

(1100/KDS/SPR)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न संख्या 41- श्री गोपाल शेटी जी।

...(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** सर, हम एक विषय उठाना चाहते हैं। ...(व्यवधान) उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह विषय बड़ा गंभीर है। हम यह मुद्दा उठाना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, शून्य काल में लॉटरी में आपका नाम खुला है, उस समय आपको मौका मिलेगा। यह आपका अधिकार है।

...(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** मैंने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस भी दिया है, इसके मद्देनजर आप मौका दीजिएगा। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपको मौका दूँगा।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपका जो प्रिविलेज है, उसके लिए मैं आपको प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था दे रहा हूँ। ठीक है? सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

## (प्रश्न 41)

**श्री गोपाल शेटी (मुंबई उत्तर):** माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। खासकर हमारे विपक्षी नेताओं को, जिन्होंने आज शांति बनाए रखी है। देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर आज चर्चा होने वाली है। मैं डिफेंस के जो तीनों अंग हैं, उनका मैं ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग सम्मान करते हैं। हमें करना भी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश को चलाने का ये काम करते हैं। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने बहुत बार इनके बारे में बोला भी है। इतना ही नहीं, यह देश के पहले प्रधान मंत्री हैं जो हर दीपावली में इनके परिवार वालों के साथ मिलकर दीपावली मनाते हैं। मैं अपना मुद्दा उठाते हुए यहां पर श्री नितिन गडकरी जी को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने चार दिन पहले अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि डिफेंस के अधिकारी एक फाइल पर निर्णय लेने में आठ-आठ साल लगाते हैं। इस बात को मैं इस विषय के साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मुद्दा है, उसको आठ साल पूरे हो गए हैं और वह नौवें साल में प्रवेश कर रहा है। वर्ष 2011 में मुंबई में आदर्श सोसायटी बिल्डिंग का जो मसला निकला, उसके बाद में एक सर्कुलर निकालकर पूरे देश के सारे कन्स्ट्रक्शन्स को बंद करने का काम किया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, नए काम को तो नहीं, लेकिन जो इनका सर्कुलर निकला हुआ है, उसमें रिपेयरिंग करने के लिए भी रोका गया है। इसे अब आठ-नौ साल हो गए हैं। मैंने स्वयं प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से यहां पर दो बार चर्चा की। फ्लोर ऑफ द हाउस, एम.ओ.एस., भामरे साहब ने उसका उत्तर दिया कि हम इस सर्कुलर को विड्रा कर रहे हैं। मैं पर्रीकर जी को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने पांच साल के बाद सर्कुलर निकालकर उसको रेक्टिफाई कर दिया और सभी लोगों को परमिशन देने की बात कही। एक टैक्निकल लूप-होल उसमें यह रह गया कि नेवी के जितने स्टेशन थे, उनका उल्लेख न करने की वजह से नेवी के लोगों ने फिर से पूरा का पूरा काम बन्द कर दिया। देश के प्रधान मंत्री जी यह कहते हैं कि देश के सभी लोगों को वर्ष 2022 तक हमें घर देना है। मैं मानता हूँ कि देश के जितने भी अंग हैं, व्यवस्थाएं और एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, सभी लोगों को प्रधान मंत्री जी के निर्देशों पर चलना चाहिए। उसके बावजूद जिनके स्वयं के घर थे और वे टूट गए, उनकी रिपेयरिंग की परमिशन को रोका गया है। कई लोगों की तो अधिक उम्र होने के कारण मृत्यु भी हो गई, लेकिन आज तक परमिशन नहीं मिली है। आज जो उत्तर आया है, उसमें यह कहा गया है कि हम इसके बारे में मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, आठ साल हो गए हैं। अभी मॉनीटरिंग करने में और कितने साल लगेंगे?  
**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य जी, कृपया संक्षेप में बोलें। कोशिश कीजिए कि प्रश्न काल में संक्षेप में अपना प्रश्न पूछें और माननीय मंत्री जी संक्षेप में उसका जवाब दें।

**श्री श्रीपाद येसो नाईक :** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसमें वह कह रहे हैं कि आठ साल हो गए, लेकिन यह मुद्दा वर्ष 2016 का मुद्दा है। जब वर्ष 2016 का नोटिफिकेशन आया, उसके मुताबिक एक नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इसके इम्प्लिमेंटेशन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि सेक्योरिटी कंसर्न की वजह से इस पर थोड़ी स्टडी चल रही है। हमारी सभी फोर्सों से हमने उनकी राय मंगवाई है, जिस पर हमारी माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आठ-दस मीटिंग्स हुई हैं।

(1105/MM/UB)

हमारी कोशिश है कि इस काम को फास्ट तरीके से किया जाए। मुझे लगता है कि हम जल्दी से जल्दी इसका समाधान दे देंगे।

**श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर):** अध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा और फिर एक बार देश के प्रधान मंत्री जी को याद कराना चाहूंगा, वे यहां बैठे भी हैं। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि “एक देश, एक कानून”। जब हम “एक देश, एक कानून” को लेकर आगे चल रहे हैं। आर्मी के लोग परमिशन दे रहे हैं, एयरफोर्स के लोग परमिशन दे रहे हैं, लेकिन नेवी के लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी का आदेश और निर्देश है कि एक देश में एक कानून, तो क्या आप उसको तुरंत इस लोक सभा का सत्र समाप्त होने के पहले अमल में लाने का प्रयास करेंगे?

**श्री श्रीपाद येसो नाईक :** अध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी के अलग-अलग मायने होते हैं। नेवी के बारे में जो माननीय सांसद बोल रहे हैं, मैं उनको एश्योर करता हूं कि यह मसला भी आखिरी एंड पर है और उसके बारे में सारी चर्चा हो गयी है और जैसा कि मैंने कहा है, नेवी ने कहा है कि जो वर्ष 2011 की गाइडलाइंस हैं, उनको बदलने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि विकास हो, इसके लिए जो कुछ भी करना है, मंत्रालय चाहता है कि उसको लेकर हम आगे बढ़ें। इसलिए इस मुद्दे का निवारण हम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं।

**DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM):** Hon. Speaker, I had the occasion to raise this issue with the previous Defence Minister as well. Now, we have our current Defence Minister here. There is a problem that we are facing in my constituency Thiruvananthapuram, where we exactly have a military camp. It is an extremely peaceful area. There has been no war since 1799. As far as I am concerned, it is inexplicable that people whose houses are within 10m are not allowed to renovate them. If one day some house collapses on passing by citizens, we will have a tragedy of monumental proportions.

I urge the Government to kindly be reasonable about these matters to issue a quick list, at least, exempting areas that are not in high-security zones so that ordinary citizens can live their lives normally, repair their homes and at the same time ensure the safety of surrounding areas. We have been put into a position where there is a blanket rule, then court cases, further delays, and massive suspension. I think the result is that lots of innocent people are suffering because they do not have an opportunity to actually repair and reconstruct their homes.

I would urge the Government to have a flexible, humane approach in this matter. Let people do their normal work and by all means, in highly sensitive and

high-security areas, we understand they need more time but this has been dragged down for three years and many, many people are in danger of this situation getting out of hand. I request for a reasonable response from the hon. Minister.

**श्री श्रीपाद येसो नाईक :** अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 की जो गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक एनओसी लेकर रिपेयर करने पर कोई बंदिश नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो भी मसले हैं, चूंकि हम डेवलपमेंट चाहते हैं और इसीलिए हमने दो-तीन बार गाइडलाइंस चेंज की हैं। आपने जो भी मुद्दा उठाया है, आप एनओसी लेकर रिपेयर कर सकते हैं और एक मुद्दा जो सभी का है कि रिपेयर हो या नयी कंस्ट्रक्शन हो, वह अभी फाइनल स्टेज पर है और जैसा मैंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी उसका निबटारा कर देंगे।

**श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण):** अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र गोपाल शेटी जी ने जो सवाल उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि मुम्बई में कोलाबा में नेवी नगर है, जो नेवी की कालोनी है, उसके साथ लगते हुए झुग्गी-झोपड़ियां हैं। कफ परेड पर भी झुग्गी-झोपड़ियां हैं। महाडा ने एक सात मंजिला बिल्डिंग बनायी, उसकी तीन मंजिलें आज तक खाली रखी हुई हैं क्योंकि नेवी ने ऑब्जेक्शन किया था। सड़क के दूसरी तरफ चालीस-चालीस मंजिल की बिल्डिंग्स हैं। लेकिन सात मंजिल की बिल्डिंग को मना कर रहे हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी गरीबों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना लेकर आए हैं, ऐसे में वहां की झुग्गी-झोपड़ियों के लिए अगर घर बनाना है तो वहां बना नहीं सकते हैं क्योंकि नेवी परमिशन नहीं देती है। इसलिए इस विषय पर आप यह मत कहिए कि देख रहे हैं, आपको इसको करना ही होगा। आपने एक कानून की बात की है, लेकिन नेवी बहुत ऑब्जेक्शन करती रहती है। चालीस-चालीस मंजिल की बिल्डिंग सड़क के दूसरी तरफ खड़ी है और आप सड़क के इस तरफ की बिल्डिंग को परमिशन नहीं देते हैं। राज्य सरकार ने वहां बिल्डिंग बनाकर रखी है। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए भी घर बन सकते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस पर कितने समय में निर्णय ले लेंगे?

**श्री श्रीपाद येसो नाईक :** अध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं, उन पर हम कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी इस विषय का सॉल्यूशन निकालेंगे।

(1110/GG/SNT)

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारतीय सेना की 342 एस्टैब्लिशमेंट्स की इन्होंने पहचान कर ली है। लेकिन वायुसेना और नौसेना की किसी स्थापना का और सेना के अन्य स्थापनाओं की पहचान नहीं की गई है। जब 21 अक्टूबर, 2016 को यह परिपत्र जारी हो गया और भारतीय सेना उसको कर रही है तो नेवी और एयरफोर्स ने इस तरह के उन प्रतिष्ठानों की सन् 2016 से ले कर अब तक कोई भी पहचान क्यों नहीं की है? कब तक इसको समय-सीमा में पहचान कर लिया जाएगा? इस बारे में बार-बार मंत्री जी कह

रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस पर काम करेंगे तथा इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। यह परिपत्र 21 अक्टूबर, 2016 को जारी हुआ था। उसके बाद भारतीय सेना ने 342 एस्टैब्लिशमेंट्स रेनोवेट करने के लिए या बनाने के लिए पहचान कर ली है। इसी तरह से शेड्डी साहब या हमारे अन्य सदस्य जो नेवी या एयरफोर्स की बात उठा रहे हैं, उनके संबंध में यह कब तक समय-सीमा में पहचान कर ली जाएगी और उसके बाद इस पर कब तक कार्यवाही होगी?

**वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण):** अध्यक्ष जी, माननीय राजनाथ जी विदेश यात्रा पर हैं और एमओएस जवाब दे रहे हैं। मगर फिर भी ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री महोदया, मेरे पास सूचना है कि माननीय राजनाथ जी के स्थान पर आपको उत्तर देना है।

**श्रीमती निर्मला सीतारमण :** अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद।

सर, चूंकि पिछले टेन्योर में रक्षा मंत्रालय को मैंने संभाला है, इसलिए मैं थोड़े फैक्ट्स सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि यह बहुत ही सेन्सिटिव मामला है। चूंकि हमारी सरकार विकास के लिए कमिटिड है, अर्बन हाऊसिंग के लिए भी कमिटिड है, इस विषय पर बहुत सारा अध्ययन मंत्रालय में हुआ है। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कहना चाहती हूँ कि यह नहीं है कि कुछ भी परमिशन नहीं दी गयी है। परमिशन दी गई है। मैं उसके लिए पहले एक स्पष्टीकरण करना चाहती हूँ कि सन् 2011 से पहले जितनी भी बिल्डिंग्स ऑलरेडी कन्सट्रक्टिड थीं, उनमें कुछ रिपेयर वगैरह हो रही हैं। यह नई पॉलिसी के अन्दर नहीं आता है। They are already there and they can do their repairs in those buildings which have been constructed before 2011. अगर हमारे मन में यह लगता है कि सन् 2017 के बाद कुछ भी परमिशन नहीं मिली, यह भी सच नहीं है। सन् 2017 के बाद मुंबई में टोटल प्रोज़ेक्ट्स रिस्वीव्ड – 22, उसमें भी अंडर एग्जामिनेशन एक है। सिक्योरिटी के कारण अगर कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए परमिशन नहीं दी गई, तो वह बात अलग है, मगर सात को परमिशन दी गई है। उस सात की लिस्ट भी मेरे हाथ में है। So, it is not as if जैसे बोला गया कि पॉलिसी बनाते-बनाते इतने साल हो गए, मगर बीच में हम रुक गए हैं और रुकावट की वजह से हम दुःख में हैं। No, it is not so. There are projects which are getting cleared. मगर जहां हाई-सिक्योरिटी का मामला आता है तो उसके कन्सीड्रेशन में, अध्ययन में और इन्सपेक्शन में समय yes, is being spent. So, I would appreciate if the House can please take into consideration that Members of Parliament can meet. I have had at least six meetings to discuss this issue and all of that is now being almost nearing the stage of finalisation. मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस समय हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि इसमें सिटी लिमिट के अंदर सेन्सिटिव एरियाज़ हैं। As hon. Member, Sawant Ji had raised issues regarding to Colaba or areas like that, can we not please remember what happened in Mumbai attack? These are the very places which are very highly exposed to the insecurities that can be attacked. इसीलिए मैं मानती हूँ कि इस विषय में सेना और रक्षा मंत्रालय के द्वारा इन्टेंस चर्चा के तहत कुछ अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए, जिससे ऑक्युपेंट्स को

दिक्कत न हो, उसी समय एकदम उधर से सबको खाली कर के देश की सुरक्षा को खतरे में न डालें। इसीलिए मैं मानती हूँ, मैं लिस्ट के साथ बोल रही हूँ, परंतु परमिशन जहां दे सकते हैं, बिना संकोच के वहां वे देते आ रहे हैं। मगर जहां पॉलिसी का इंतजार करना है, थोड़ा सब्र रखें, पॉलिसी आएगी।

(1115/KN/RSG)

**श्री राहुल रमेश शेवले (मुम्बई दक्षिण-मध्य):** अध्यक्ष महोदय, 21 अक्टूबर, 2016 को सर्कुलर निकलने के बाद हमें लगा कि मुम्बई के सभी लोगों को राहत मिलेगी और मुझे खुद को लगा कि राहत मिलेगी, क्योंकि मेरा खुद का घर नेवी के एस्टेब्लिशमेंट के बाजू में होने की वजह से इस सर्कुलर की वजह से मुझे बेनिफिट मिल रहा था, ऐसा मुझे लगता था। जैसे मैडम ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का कारण बताते हुए मुझे खुद का घर रिपेयर करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है। दुर्भाग्य की बात है कि मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मेरे पिताजी नेवी में ऑफिसर थे, अब वे रिटायर हो गए। मेरे पिताजी नेवी में और मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण मेरे खुद के घर को रिपेयर करने की परमिशन नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा की जो डेफिनेशन है, वे जो ऑफिसर्स हैं, हर बार अलग-अलग डेफिनेशन बताते हैं। जैसे अरविंद सावंत जी ने बताया कि जो नेवल कालोनी के बाजू में एक बिल्डिंग सेवन फ्लोर की है और दूसरी बिल्डिंग 40 फ्लोर की है, सभी को न्याय मिलना चाहिए। उस राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण, जो डेफिनेशन बनाई जाती है, एक्चुअली सिविलियन्स और सर्विस पर्सन्स की लड़ाई है। हम डिफेंस के सभी अधिकारियों का सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच में हम आने वाले भी नहीं हैं और उसको सहयोग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जो अधिकारी बैठते हैं, वे राष्ट्रीय सुरक्षा की डेफिनेशन अलग बताते हुए, एक अलग कानून बताते हुए यह डेवलपमेंट रुकवा रहे हैं। मुम्बई के सभी नागरिक डिलेपिडेड कंडीशन में हैं। मुम्बई में इमारत गिर सकती है, उनको इस सर्कुलर के माध्यम से राहत मिल सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से इस सर्कुलर के माध्यम से राहत नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा की डेफिनेशन के बारे में जरा विचार कीजिए। धन्यवाद।

**श्रीमती निर्मला सीतारमण:** सर, मैं इस विषय में माननीय सदस्य को ध्यान दिलाना चाह रही हूँ। एक बिल्डिंग की हाइट, मान लीजिए 10 मंजिल की है, वह बिल्डिंग लिमिट के अंदर है। उसकी शेडो मतलब उसके पीछे के शेडो के एरिया में जो आ रहे हैं, उस मंजिल तक या उससे कम तक परमिशन जरूर मिलेगी। अगर उससे ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रोसेस में टाइम लगेगा ही। मगर वह सर्कल जितने रेडियस के अंदर बिल्डिंग ऑलरेडी है, उस हाइट तक बनाने में कोई ऐतराज नहीं है। मगर उससे ज्यादा बनाना है तो प्रोसेस में टाइम लगेगा ही। वह एक विषय है। दूसरा, अगर उधर फ्लाइट लाइन में बिल्डिंग आती है, फ्लाइट लाइन के मुताबिक साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं कि इस हाइट तक ही आप बना सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट आने में, उतरने में और चढ़ने में दिक्कत न हो। यह थोड़ा डिटेल में पढ़ने में समझ में आएगा। कारण बिना और सताने के लिए तथा माननीय सदस्य ने एक शब्द का प्रयोग किया, जिस पर मैं आपत्ति बोलना चाह रही हूँ, कुछ झगड़ा नहीं है। हम सब को भी देश के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। देर हो रही है, मैं मान रही हूँ, मगर यह नहीं है कि सिविल, जनता, आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री का आपस में झगड़ा है। झगड़ा कुछ नहीं है। मदद करने के लिए हम काम कर रहे हैं, मगर समय लग रहा है, मैं मान रही हूँ, समय लग रहा है। मगर प्लीज नो कॉन्फ्लिक्ट्स। थैंक यू।

**श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हगली):** नमस्ते, अध्यक्ष महोदय। My question is this. By which time will the revised NOC guidelines come out and which are the guidelines that are being revised? Dhanyavaad.

**श्री श्रीपाद येसो नाईक :** अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले आंसर में कहा है, प्रोसेस आखिरी एंड पर है। हम उसका जल्द से जल्द निवारण करेंगे।

**श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व):** अध्यक्ष महोदय, मुम्बई के संदर्भ में जो सारे प्रश्न उठाए गए, जो मिनिस्टर साहब ने कहा, वह भी हमें मंजूर हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन इस ऑर्डिनेंस का जिस तरह से प्रयोग किया जाता है कि जहां पर नेवल रेजिडेंस कालोनी है, उसके अगल-बगल के एरिया के मकानों को परमिशन नहीं देती है। जहां पर ऑर्डिनेंस डिपो है या सुरक्षा के अन्य इश्यूज हैं, वह हमारी समझ में आता है। लेकिन जहां पर उनका रेजिडेंस है, उसके अगल-बगल के मकानों के डेवलपमेंट में या झुग्गी-बस्तियों के डेवलपमेंट में रुकावटें आती हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सरकार के मापदण्डों के द्वारा जो सिक्योरिटी के इश्यूज तय किए हैं, यह हमें मान्य हैं। लेकिन राइफल रेंज है या नेवल रेजिडेंस कालोनी है, उसके अगल-बगल के लोगों को न अटकाया जाए। ऐसी हमारी विनती है।

(1120/CS/RK)

**श्री श्रीपाद येसो नाईक :** महोदय, हम इसके बारे में निश्चित तौर पर विचार करेंगे।

**डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा):** महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सेना के बारे में कोई भी बातचीत हम लोग समझदारी से करें, यह सरकार की भी इच्छा है और पूरे देश में इसके बारे में एकरूपता है। जो मेरा राज्य झारखंड है, वहाँ इस सर्कुलर के बाद एक अलग तरह की समस्या है। सेना का रांची में जो एस्टैब्लिशमेंट था, पहले वह शहर के बाहर था, लेकिन अब वह शहर के बीच में आ गया है, क्योंकि रांची शहर राज्य की राजधानी बनने के बाद काफी बढ़ गया है। जो सेना की समस्या है, वह जमीन लीज पर थी, उस लीज का इन्होंने रिन्यूअल नहीं किया। इल्लीगल तरीके से सेना रांची में रहती है। पिछले 25 साल से उनका लीज रिन्यूअल नहीं हुआ है। हमने रांची में एक एयरपोर्ट बनाया और रांची एयरपोर्ट के रास्ते को जाने के लिए जो रास्ता चाहिए, यह कहा गया कि उसमें 8-8 साल नहीं लगते हैं, मैं खुद ही ढाई साल तक पूरी सरकार के, पूरे एस्टैब्लिशमेंट के दिल्ली में चक्कर काटता रहा और किसी तरह से ढाई साल के बाद हमको रास्ता दिया गया। वह सेना की खाली लैंड है और केवल हमें 60 मीटर की रोड चाहिए थी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं, रांची जैसी जो समस्या है, आपका लीज रिन्यूअल नहीं हुआ, एयरपोर्ट जाने के लिए जो रास्ता चाहिए, इस सर्कुलर के बाद भी जो इस तरह की समस्या होती है, क्या उसके बारे में किसी तरह की कोई कमेटी बनेगी या इस तरह की समस्याओं से आम आदमी को निजात मिलेगी?

**माननीय अध्यक्ष :** आप दोनों में से कोई एक ही प्रश्नों का जवाब दे दें।

**श्री श्रीपाद येसो नाईक :** महोदय, जो ऐसे पब्लिक हित या सार्वजनिक हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम उन्हें निश्चित तौर पर प्राथमिकता देंगे।

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** महोदय, हमारे हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में एक कैंटोनमेंट भी है। जैसे दिया तले अंधकार होता है, वैसे ही दिल्ली कैंटोनमेंट की जो विसिनिटी है, जिसकी बात अभी हो रही है, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की विसिनिटी की जो सुविधा है, उसमें कई गाँव हैं, जहाँ बिजली नहीं है। आप सोच सकते हैं कि हिन्दुस्तान की राजधानी और राजधानी के अंदर एक डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, उनके एरिया में एक गाँव है, जहाँ आजादी के बाद आज तक कोई बिजली नहीं है। लोग वहाँ बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं। आप इस बारे में सोच सकते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? आप बाद में इस पर बोल सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या आप इस मुद्दे को निपटाने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे? आप थोड़ा इस बारे में सदन के सामने बता दीजिएगा।

**श्री श्रीपाद येसो नाईक :** महोदय, यह हमारा कर्तव्य है और हम निश्चित तौर से इसके ऊपर जल्दी से जल्दी विचार करेंगे।

**श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व):** ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी एंड पब्लिक रिलेशन्स अरुणाचल प्रदेश के वासी निभाते हैं। हर साल मैत्री दिवस, आर्मी एंड पब्लिक का एक फेस्टिवल हुआ करता है। उसको 11 साल हो गए हैं। आफ्टर 1962 वार, इंडियन आर्मी 1963 से, 1964 से जैसे-जैसे अरुणाचल प्रदेश में आई, उस समय वह NEFA था, नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जितनी आर्मी आई, पब्लिक ने उसका स्वागत किया और सारी इनहैबिटेबल जमीन को पब्लिक ने आर्मी को दे दिया। आज तक उसका न सर्वे हुआ, न कंपनसैशन हुआ, जैसे वालोंग हो, मेसुका हो, एलॉग हो, हर जगह पर, आज तक पब्लिक को न वहाँ कल्टिवेशन करने का मौका मिला। पूरी आर्मी एक्सटेंड करती जा रही है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण मैडम जब डिफेंस मिनिस्टर थीं, तब मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी और आज के डिफेंस मिनिस्टर से भी मेरी रिक्वेस्ट है। अरुणाचल की पब्लिक ने जैसा आर्मी का स्वागत करके उसे रखा है, उनको कल्टिवेशन लैंड दी है, इसके कंपनसैशन के लिए, ऑफिशियली लीगली एक्वायर करने के लिए मीज़रमेंट अरुणाचल वासियों के लिए आप कब करवाएंगे? (1125/RV/PS)

**श्रीमती निर्मला सीतारमण:** सर, इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जाकर, ऑनरेबल मुख्य मंत्री जी के समक्ष अरुणाचल प्रदेश में लैंड एक्वीजीशन और उसके कम्पेनसेशन के विषय में मैंने उनसे चर्चा की। जैसा कि हमारे मेम्बर-ऑफ-पार्लियामेंट को इसकी जानकारी है, कम्पेनसेशन के बहुत सारे विषय सॉर्ट-आउट हुए हैं, तब भी मैं मानती हूँ कि आज भी कम्पेनसेशन से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर मंत्रालय डेफिनिटली उसे कंसीड्रेशन में लेकर उसके ऊपर विचार कर रहा है। मुझे जानकारी है कि उसका फैसला तुरन्त करने में मंत्रालय सक्षम है और वह इसे कर रहे हैं। But I can commit myself that I had gone there, sat with the hon. Chief Minister and cleared many of the compensations which were due for people of Arunachal Pradesh who have been extremely cooperative in many of the matters.

I recognize their cooperation with the Armed Forces. But I had cleared many of them. जो एकाध बचे हैं, उनके ऊपर मंत्रालय काम कर रहा है।

(इति)



**(Q.42)**

\*SHRI S. GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI): Sir, what is the total quantity of nuclear fuel waste generated by Kudankulam Nuclear Power Plant since the year 2013?

I would also like to know whether Environmental Impact Assessment has been done for the AFR of Kudankulam Nuclear Power Plant? I want the details. THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Hon. Speaker, Sir, I appreciate the concerns of the hon. Member. Kudankulam is one of the most important installations of the Department of Atomic Energy and it is a pride of place for Tamil Nadu as well.

Actually, this concern arose because there were certain reports among certain sections of Media about waste fuel being deposited in the reactor and then Away-from-Reactor as is the procedure. But actually, what was not realised, even by those who sought to report it, was that Kudankulam came as a result of an agreement which was very aptly accomplished by the then Government in 1988 with the Soviet Union. But after ten years, after the collapse of the Soviet Union, the agreement was renewed again rightly so by the then Government in 1998. So, as per the agreement, which was finalised in 1988, the waste fuel had to be carried to the Soviet Union. That was the understanding between the two nations. But after the collapse of the Soviet Union, in the year 1998, a fresh agreement was finalised with the Russian Government. The understanding was that it has to be deposited within India. Otherwise, possibly like Tarapur, we would already have an in-built storage facility as is being done in many of the installations now.

So, there is no reason to also have any apprehension because this is an accepted and a very safe mechanism. For the first few years, maybe five to seven years, there is an in-reactor storage and then afterwards -- as you cannot

allow the reactor to get filled up because then, it will stop functioning -- this fuel waste is carried. We do not call it as a waste because it is re-used also. So, it is carried to a place which is a little distant and as per the terminology of the Atomic Energy scientists, it is called as Away-from-Reactor storage, where it remains for as long as, maybe 40 years and it is kept deep down in the earth.

I may also add that India has also embarked on another programme which is called closed fuel process. We are pioneer in that. We are now also processing this waste fuel for reuse.

So, the apprehension is unsubstantiated. Maybe, all of us have to join together to create more awareness among the common people about the possible apprehensions that have been sought to be raised. Thank you, Sir.

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, क्या आप दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

\*SHRI S.GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI): I am asking as to where the storage is being provided.

(1130/SNB/MY)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूँ कि कुछ सवाल ऐसे हैं, जिनके बारे में हमें सदन में खुलेआम चर्चा नहीं करनी चाहिए। सदन में हर सदस्य का अधिकार है और इसके लिए सदन में चर्चा होती है।

...(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, this is a sensitive question.

(Interruptions)

**माननीय अध्यक्ष:** बालू जी, मैं आपको हमेशा परमिशन देता हूँ।

...(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, he has the right to ask the second Supplementary ... (Interruptions)

**माननीय अध्यक्ष:** आप मेरी पूरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** सदन में आपको सब जानने का अधिकार है, इसलिए यह संसद बनी है, लेकिन जब देश का सवाल हो, तो कम से कम हमें उसके बारे में यहां सोचना चाहिए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** प्लीज, आप सभी बैठिए। अभी सेकेंड सप्लिमेन्टरी है। मैं इनको टोक नहीं रहा था। मैं अगले वालों के लिए कह रहा था। मैंने उनको आग्रह करके बुलाया है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** वह सप्लिमेन्टरी नहीं पूछना चाहते थे, तो भी मैंने उनसे आग्रह किया है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आपका सवाल नहीं है। आप बैठिए। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** जिसको मैं अलाऊ न करूँ, कोई भी माननीय सदस्य सदन में न उठे। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूँ।

...(व्यवधान)

SHRI S GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI): Which are the exact places the Government has identified for storage?

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Speaker Sir, the question is well taken and we must appreciate the concern of the hon. Member because he hails from there and he has to address the concerns of the people also.

As I said, this is a part of the legacy of the two Agreements which were appropriately accomplished by the then Government, first in 1988 and then in 1998. Now, why this issue of storage has come up is that the in-house storage in that reactor is going to come to its full capacity by 2022. So, before that we are expected to make an arrangement away from the reactor. This process is called 'Away from the Reactor' storage. The exact location, as has also been hinted upon by the hon. Speaker, I may not be able to identify for security reasons but certainly this is at a reasonable distance from the reactor. The reactor gets filled up and this is then stored for as many as, maybe, 40 years deep down below the surface of the earth by nearly 15 meters and then it can be used for recycling.

The second concern which the hon. Member may have is, which has appeared in a section of Media in Tamil Nadu, that it is going to become a dumping site for waste fuel from all over India. I want to use this opportunity to clarify that it is not going to be so. Please rest assured about this. It is because this is going to be a fuel-specific, even scientifically. So, any fuel which is carried from, say, Tarapore or from Rajasthan will automatically get rejected because the inherent mechanism which is being put in place is like that. So, let us be rest

assured that this fuel will be again re-used for the same reactor which is working in collaboration with Russia.

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Hon. Speaker Sir, I want to ask the hon. Minister to please give this House details of the cyber security attack on Kudankolam Nuclear Power Plant. Is it true that the agency in-charge of the security, NPCIL, first denied the attack and then later admitted? Therefore, what steps is this Government taking to prevent future attacks and what is the source of this current attack which media reports allege that it is linked to North Korea? It is highly unfortunate that when we talk about digital India and smart city that we cannot keep even our nuclear power plants safe from foreign attacks.

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Speaker, Sir, the concern of the hon. Member is very valid and of course, it has to be a unanimous concern of the entire House. I also cannot deny, as he has said, that certain clarifications, partly admissions, were made by the Department after they realised what had actually happened. But, I think, what is a matter of great relief for all of us is that, if at all, an error like this or a fault like this happened, it happened only in the internet circuit of the Administrative Block, not *per se* in the nuclear plant premises or the nuclear plant circuit.

(1135/RU/CP)

Somehow, it got projected in the media like that because of lack of understanding or, maybe, timely awareness was not imparted. But there is a mechanism in place to segregate the Internet and the connectivity of the nuclear plant from the administrative block. There are certain new mechanisms in place like hardened Internet, blocked websites, etc. So, it is inaccessible absolutely. As the hon. Member rightly said, and later on the Department also clarified, what had happened was only confined to the administrative office and that too has been taken care of. Otherwise, we have in place, right from the beginning, a very secure, reliable and confident mechanism of preventing breach of our cyber security which, I think, is better than many other countries. We have Rapid Action Force in place. The alarm goes off immediately and usually, it is not possible to access the Internet circuit of the nuclear plant.

DR. THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I would like to quote verbatim from the reply of the hon. Minister regarding this question. It says:

“Further technologies for separation, partitioning and burning of waste are being developed in the country which will further bring down the quantity of radioactive waste.”

Does it mean that it is still in the offshoot stage? I would now quote the second sentence.

“Considering the small quantity of radioactive waste, there is no need of Deep Geological Repository in the near future.”

I feel that it is unfair to decide about the necessity of repository considering the quantity of radioactive waste. Any day, an atomic reactor is like a Damocles Sword hanging over you. We have had the worst examples from Bhopal. You have to take up this issue very seriously and provide a double guarded repository place for the waste and also take steps for construction of DGR without considering the quantity as a standard. I would like the hon. Minister to give a convincing reply to this question.

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I am glad that the hon. Member has raised this issue. I think it requires to be shared with the rest of the House. As she has said that I should give a convincing answer, I hope I will be able to convince her also along with the other Members.

The point here is, the radiation which the hon. Member is possibly referring to is not something which is in the lethal or a virulent criterion. In some of the countries in the world today, for example, in France, they have nuclear plants in residential colonies. The safeguard mechanisms are so well built and when this issue came up in the House a few years ago, I did a small research to find out as to how many scientists in the Bhabha Atomic Research Centre had actually died of radiation or fallen sick due to radiation. I took out the mortality list and found that there were hardly three or four untimely deaths. Out of them, two deaths were due to cancer which were not related to radiation.

In other words, what I am trying to say is, first of all, it is the responsibility of all of us to launch a mass awareness campaign that there is no radiation risk to health from nuclear plants because the mechanism is so built with safeguards. Otherwise, what is happening is, wherever we start a new plant or, maybe, try to use the exploration site for future prospects of building a plant, due to lack of mass awareness, there are certain kinds of apprehensions and resentments.

And then political protests also come in. We faced this in Rajasthan and in Meghalaya of North East.

As far as the closed fuel processing is concerned which you are saying, the deposit is made deep down, maybe, 15 metres below the surface of the earth. It is something which has been practised, tried and found to be reliable after a number of years of experimentation. The atomic energy plants in India are following some of the most stringent methods of monitoring. Right from the time the plant is planned, even before the construction of the plant starts, there is a deep scrutiny done. During the construction, there is scrutiny every three months. After construction also, there is scrutiny every six months. There is a review after three years. Then, after five years, we have a mechanism to get it reviewed by external sources.

(1140/NK/NKL)

We have Atomic Energy Regulatory Board. Upon that, we also then allow it to be monitored and scrutinised by the International Board of which US is also a Member. So, I think, this is a time-tested phenomenon which is going on.

Secondly, I would like to tell the House as to why this apprehension comes in. I must appreciate the hon. Member. She was referring to some of the incidents which happened abroad like Fukushima and all. Those plants were located closer to what is known as the seismic zone/Tsunami zone, because of lack of experience of the scientific fraternity at that time. Whereas, in our case, for example, the Kundankulam Nuclear Power Plant, the seismic zone/Tsunami zone is in Indonesia which is nearly 1,300 kilometres away from it. ...(*Interruptions*) On the other hand, for the other plants which are located in the Western Coast like Tarapur Nuclear Power Plant, etc., the nearest point is in Pakistan which is again about more than 1,000 kilometres away. So, I think, that apprehension is also not substantiated by scientific parameters.

Therefore, I think, we should rest assured. Rather, all of us should try to create mass awareness so that we can go ahead with these expansion programmes. Now, we have brought the Atomic Energy Plants even to North India. Closer to Delhi, we are having one in Haryana. So, I think, in that expansion campaign that we have started, mass awareness would be a great help.

(ends)

## (प्रश्न 43)

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** अध्यक्ष महोदय, इस देश की गरीब जनता जब सभी जगह से निराश हो जाती है तो न्याय मिलने का एकमात्र स्थान न्यायालय होता है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है अकेले उत्तर प्रदेश में 75,00,000 से ज्यादा केसेज कोर्ट में पेन्डिंग है। माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा भी है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है लेकिन उसका कुछ हिस्सा केन्द्र सरकार और कुछ हिस्सा प्रदेश सरकार देती है। वर्ष 2014-15 के बजट में कुछ बढ़ोतरी भी की है। क्या आने वाले कुछ वर्षों में हम देख पाएंगे कि जो 75,00,000 केस पेन्डिंग हैं, क्या इस बारे में कोई टाइम बाउंड हो सकता है, जिससे मिनिमम केसेज कोर्ट में रह जाएं?

दूसरा सवाल है कि न्याय सस्ता मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की पार्टी जब पिछले चुनाव में थी, बीस सालों से लगातार मांग करती रही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर और मेरठ चल कर हाई कोर्ट का न्याय लेने के लिए इंसान को आठ सौ किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। जब आप छोटे-छोटे राज्य एक दिन में बना सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की बेंच मेरठ या मुरादाबाद मंडल में खोलने के लिए काफी अर्से से जनता और एवेकेट्स का आंदोलन चल रहा है, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?

**کنور دانش علی (امروہہ):** محترم اسپیکر صاحب، ہمارے ملک کی غریب عوام جب سبھی جگہ سے مایوس ہو جاتی ہے تو انصاف پانے کی ایک واحد جگہ کورٹ ہوتا ہے۔ ماننے منتری جی نے جواب دیا ہے کہ اکیلے اتر پردیش میں 750000 سے زیادہ کیسز کورٹ میں پینڈنگ۔ ماننے منتری جی نے جواب میں کہا بھی ہے کہ بنیادی ڈھانچہ کی کمی ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ مرکزی سرکار اور کچھ حصہ ریاستی سرکار دیتی ہے۔ سال 2014-15 کے بجٹ میں کچھ بڑھوتری بھی کی ہے۔ کیا آنے والے کچھ سالوں میں ہم دیکھ پائیں گے کہ جو 750000 کیس پینڈنگ ہیں، کیا اس بارے میں کوئی ٹائم باؤنڈ ہو سکتا ہے، جس سے کم سے کم کیسز کورٹ میں رہ جائیں؟

دوسرا سوال ہے کہ انصاف سستا ملے، یہ سرکار کی ترجیح ہے۔ سرکار کی پارٹی جب پچھلے چناؤں میں تھی، بیس سالوں سے لگاتار مانگ کرتی رہی کہ مغربی اتر پردیش کے اندر سہارنپور اور میرٹھ چل کر ہائی کورٹ کا انصاف پانے کے لئے ایک انسان کو 800 کلو میٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ایک دن میں بنا سکتے ہیں۔ مغربی اتر پردیش کے اندر ہائی کورٹ کی بینچ میرٹھ یا مرادآباد منڈل میں کھولنے کے لئے کافی عرصہ سے عوام اور ایڈوکیٹس کا آندولن چل رہا ہے، کیا سرکار اس پر غور کر رہی ہے؟

**श्री रवि शंकर प्रसाद:** माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूँ। यह संविधान का भी दायित्व है। हमारी सरकार का भी कमिटमेंट है कि न्याय त्वरित होना चाहिए। थोड़ा गला बझा हुआ है, क्षमा करेंगे। मैं एक बात सदन को बहुत विनम्रता से बताना चाहता हूँ। जस्टिस डिलेवरी का काम जजेज का है और सरकार का काम इन्फ्रास्ट्रक्चर देना है।

(1145/SK/SRG)

यही न्यायपालिका की आजादी का मूल आधार है। सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम वर्ष 1993 से चल रही है। मैं कमिटमेंट का एक संकेत सदन को बताना चाहता हूँ, अब तक जो पैसे दिए गए, उसका 50 परसेंट पिछले पांच साल में माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में हम लोगों ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है।

माननीय सदस्य, आपके प्रदेश में 2278 कोर्ट हाउस बने हैं और 1937 रेजिडेंशियल युनिट्स बने हैं। सरकारों का भी सहयोग रहा है, मैं मानता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर 19,414 कोर्ट हाउस बने हैं और 17,103 रहने की युनिट्स बनी हैं। हमने क्या काम किया है, मैं सदन को विनम्रता से बताना चाहता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी का पहला निर्देश था कि पुराने कानून समाप्त करो। हमने 1500 पुराने कानून समाप्त किए। दूसरा, इन्फ्रास्ट्रक्चर देने में पूरा सहयोग करो, वह काम हमने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। हमने नेशनल ज्यूडिशियल ग्रिड बनाया, जिसमें 12 करोड़ डिसाइडेड और पैडिंग केसेज की सूची है और दस करोड़ आर्डर्स और डिसीजनस की सूची है। आप एक बटन दबाकर मालूम कर सकते हैं।

हमने क्या प्रोएक्टिव मीजर्स दिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास अभी तक सारी चिट्ठियों का ब्यौरा विस्तार से है। मैं सारे हाईकोर्ट के जजेज को कहता हूँ कि कृपा करके दस साल के केसिस को त्वरित डिस्पोजल करें। I have been writing to all the Chief Justices of all the High Courts of India to please expedite the disposal of civil and criminal cases. जजेज पीआईएल सुनते हैं, जल्दी सुनते हैं, अच्छी बात है, उनका अधिकार है, यहां गरीब भी जाते हैं। मैंने बार-बार सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है और व्यक्तिगत रूप से भी कहता हूँ। मैं आज सदन में बड़ी विनम्रता से सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेज से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे प्रोएक्टिव मीजर्स में दस साल और दस साल से पुराने केसेज को प्राथमिकता से डिस्पोज ऑफ करें। मैं एक बात तो यह कहना चाहता हूँ।

दूसरी बात, हमने डिजिटाइजेशन बहुत किया है, 16,000 करोड़ डिजिटाइज्ड हैं। इसे और करने की जरूरत है। माननीय दानिश अली जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि लोक अदालत में 1 करोड़ 72 लाख केस डिस्पोज आफ हो चुके हैं। मैं आईटी का भी मंत्री हूँ, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, मैं इनके माध्यम से प्रीलिटिगेशन एडवाइस का कार्यक्रम चला रहा हूँ। माननीय सैक्रेट्री जनरल मेरे साथ थीं, जब हमने जस्टिस विभाग में काम शुरू किया था। यहां एक लाख से अधिक लोगों की रिक्वेस्ट आती हैं, उनको देते हैं। हमें और काम करने की आवश्यकता है, मैं स्वीकार करता हूँ और हमारा सतत प्रयास भी है।



माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न हालांकि इससे जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी मैं इसका उत्तर देता हूँ। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है।

**श्री अखिलेश यादव (आजमगढ़):** माननीय मंत्री जी, हाई कोर्ट की बधाई तो दें।

**श्री रवि शंकर प्रसाद:** आपने कई काम अच्छे किए हैं, और कई काम और भी किए हैं, तभी तो नतीजा आया। आप इसे छोड़ दीजिए।

**श्री अखिलेश यादव (आजमगढ़):** आपकी जानकारी में है, आप बधाई तो दें।

**श्री रवि शंकर प्रसाद:** अगर आपको स्ट्रक्चरल सवाल पूछना है तो पूछिए, मैं उत्तर दूंगा।

**श्री अखिलेश यादव (आजमगढ़):** आप हाई कोर्ट की बधाई तो दीजिए, सबसे सुंदर हाई कोर्ट बना है।

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी, आप किसी भी सदस्य के प्रश्न का जवाब मत दीजिए। आपको केवल दानिश अली जी के प्रश्न का जवाब देना है।

...(व्यवधान)

**श्री रवि शंकर प्रसाद:** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुझे उनका नोटिस लेना पड़ता है।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यहां कोई वरिष्ठ नहीं है, सब माननीय सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है।

...(व्यवधान)

**श्री रवि शंकर प्रसाद:** माननीय सदस्य आप बहुत सही बात कह रहे हैं, यह मांग बहुत वर्षों से है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। मैं इस मांग के वजन को भी समझता हूँ, लेकिन इसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया यह है कि जो प्रिंसिपल हाई कोर्ट है उसका फुल कोर्ट इसे रिकमेंड करे, राज्य सरकार इसकी अनुशंसा करे और इसके लिए ढांचागत सुविधा उपलब्ध कराए। यह काम अभी तक नहीं हो पाया है। यह काम जैसे ही होगा, हम इसे त्वरित गति से आगे बढ़ाएंगे।

जहां तक बात है कि कहां होना चाहिए, यह स्वर तो पश्चिम में बहुत जगह से आता है, आप लोगों को मिलकर तय करना पड़ेगा।

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसकी एक प्रक्रिया है, मैं जानता हूँ कि यह सरकार इतनी मजबूत है और माननीय कानून मंत्री जी इतने मजबूत हैं कि अगर इच्छा है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच ऐसे ही दे दीजिए, जैसे पिछले सेशन में आप एक बिल लाए थे जिसे सुबह कैबिनेट में पास किया था और दो घंटे के बाद आ गया था।

(1150/MK/RP)

यह आपकी इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि हम जानते हैं कि ज्यादातर जेलों में दलित, पिछड़े और अकलियत के लोग हैं। क्या माननीय मंत्री जी के पास, सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा है कि कितने दलित लोग जेलों में बंदी हैं, क्या आप बताएंगे?...(व्यवधान)

کنور دانش علی (امروہ): محترم اسپیکر صاحب، ماننے منتری جی نے کہا کہ اس کی ایک پرکریا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ سرکار اتنی مضبوط ہے اور ماننے قانون منتری اتنے مضبوط ہیں کہ اگر اچھا ہے تو مغربی اتر پردیش میں ہائی کورٹ کی بینچ ایسے ہی دے دی جائے، جیسے پچھلے سیشن میں آپ ایک بل لائے تھے جسے صبح کابینہ نے پاس کیا تھا اور دو گھنٹہ بعد آ گیا تھا۔ یہ آپ کی ول پاور پر منحصر کرتا ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر جیلوں میں دلت، پچھڑے اور اقلیتی طبقہ کے لوگ ہیں۔ کیا ماننے منتری کے پاس، سرکار کے پاس کوئی ایسا آنکڑہ ہے کہ کتنے دلت لوگ جیلوں میں بند ہیں، کیا آپ بتائیں گے؟ (مداخلت)۔۔۔

**ماننیی अध्यक्ष:** ماننیی सदस्य आप बीच में न बोलें। माननीय मंत्री जी सक्षम हैं। कई बार इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य बैठे-बैठे मत बोलिए।

...(व्यवधान)

**श्री रवि शंकर प्रसाद:** माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को बहुत ही विनम्रता से बताना चाहूंगा कि भारत के संवैधानिक चिन्तन ने अभी तक अपराध नियंत्रण में जाति को नहीं रखा है और बहुत ही अच्छा है कि नहीं रखा है, चाहे वह सरकार हमारी हो या आपकी सरकार हो। जो भी अपराधी है, वह अपराधी है और हमें उनको किसी भी समुदाय में नहीं बांटना चाहिए। लेकिन, मैं आपकी बात को नोटिस में लेता हूँ। हमारी सरकार की एक कोशिश है कि जो अंडरट्रायल प्रिजनर्स हैं, अगर उन्होंने 50 परसेंट से अधिक अंडरट्रायल के रूप में पूरा कर लिया है, उनको छोड़ा जाए। यह प्रावधान भी है और मैं इसके लिए हर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखता हूँ। मैंने एक बात और भी कही है कि अगर महिला अंडरट्रायल प्रिजनर ने 25 परसेंट पूरा कर लिया, जो उनका सेन्टेंस होगा, उनको छोड़ दिया जाए, यह हमारा सतत प्रयास है। हम अंडरट्रायल के अधिकारों के महत्व का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि न्याय प्रणाली, अपराध अनुसंधान प्रणाली बिना किसी जाति, समुदाय और उपासना पद्धति के दबाव में चले और ऑब्जेक्टिवली चले। ... (व्यवधान)

**श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम):** धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। स्टैंडिंग कमेटी की विजिट के दौरान हम लोग बहुत सारे जेलों में गए। वहां हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो विदाउट ट्रायल हैं, जो तीन साल, चार साल, सात साल से वहां हैं। मुझे यह पूछना है कि अगर सात साल के बाद यह पता चले कि उसका कोई दोष नहीं है और सॉरी बोलकर उसको छोड़ देंगे। लेकिन, उसकी

जिन्दगी का जो प्राइम टाइम खराब हो गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कृपया स्पेसिफिक एक लाइन में उत्तर दीजिए कि उसकी जिन्दगी खत्म करने की जिम्मेदारी कौन लेगा?

**श्री रवि शंकर प्रसाद:** भारत के कॉस्टिट्यूशनल जस्टिस सिस्टम का एक एसेंस है कि अगर आपके खिलाफ एक आरोप लगा, अनुसंधान किया गया, पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, The court found: "We do not find sufficient evidence to convict him or her." This is a part of the judicial process. But I get your point that if on a petty offence, one is detained for a longer period, bail should be granted. That point is well taken and I am already initiating the process in this regard.

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** अंडरट्रायल के बारे में बताइए।

**श्री रवि शंकर प्रसाद:** आप पहले वहां बात कीजिए। आप इतने विद्वान प्रोफेसर हैं। आप पहले परमिशन लीजिए।

**SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR):** Sir, denied justice is equivalent to denial of justice. It is a proverb. It may be a proverb but as far as our country is concerned, I can say that it is a reality in our judicial field.

I want to know from the hon. Minister whether the Government is taking into consideration the recommendations of the Economic Survey Report 2018-19 on the appointment of additional Judges to achieve a higher clearance rate and establishment of Indian Courts and services. Is the Government aware of the impact of a burdened Judiciary on the 'ease of doing business' in the country where the pendency of cases is adding to the economic slowdown?

**SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:** Sir, since it is a very important issue, kindly allow me to speak with a little elaboration. The mandate of our hon. Prime Minister is very clear that 'ease of doing business' must become important to our governance and, therefore, we have scaled more than 70 points in that process. The Commercial Court and arbitration institutions have been set up.

As far as the appointment of Judges is concerned, I want to tell the hon. Member that in the last five years, we have made 478 appointments of the High Court Judges. It is a record. The number of Supreme Court Judges has been increased. There is a need to expedite the appointment in subordinate Judiciary. We are emphasising on that.

(1155/RCP/ASA)

Coming to that process again, there is a case for All India Judicial Service. I have said earlier; I repeat it now. I want fresh talent of graduates including of the marginalised community. They must get space like IAS, IPS so that India

has a robust all-India Judiciary to deliver justice. This is our very clear approach. I must acknowledge that some High Courts are opposed to it. We are in a discussion. Let me allow that process to continue. But justice delivery system is integral to also good governance. It is a part of our approach. Arbitration, commercial court, specifically the fact that India again is rising up in the ease of enforcement of contract, all this is a part of that process.

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, इसलिए सप्लीमेंट्री कम बुलाता हूँ। हमारे ओवैसी साहब सीट पर बैठे-बैठे कुछ कह रहे हैं। आप ही लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री दीजिए, फिर किच-किच मत करिए क्योंकि हमारा प्रयास ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लेना रहता है, क्योंकि सदन में मैंने सुबह ग्यारह बजे कहा था कि अधिकतम प्रश्न हों, संक्षिप्त जवाब हों, इसलिए मैं विनोद सोनकर और मनीश तिवारी जी के बाद अगला प्रश्न लूंगा। विनोद सोनकर जी बोलिए।

**श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) :** माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से सरकार के प्रयास से न्यायालय में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ा है और उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त पैसा दिया गया जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश में बहुत सारे ऐसे सज़ायाफ़्ता कैदी हैं जिनकी सज़ा लगभग पूरी हो गई है या पूरी होने के कगार पर है, लेकिन वे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और चलने-फिरने में भी असमर्थ हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो कैदी कैंसर रोग जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और चलने-फिरने में असमर्थ हैं और अब उम्मीद नहीं है कि इस तरह का कोई अपराध वे कर सकते हैं, क्या सरकार ऐसे लोगों को छोड़ने के लिए कुछ विचार कर रही है?

**श्री रवि शंकर प्रसाद :** देखिए, जिनको सज़ा हो गई है, वे अंडरट्रायल नहीं हैं। सज़ायाफ़्ता लोगों को पेरोल मिले या नहीं मिले, बीमारी के आधार पर मिले, यह अधिकार संबंधित राज्य सरकारों का है। अगर वे कोर्ट से चाहें तो बेल ले सकते हैं और अपनी बीमारी के आधार पर अपनी सज़ा को कम करने का आग्रह कर सकते हैं। यह अधिकार भारत सरकार का नहीं है। चूंकि अपराध-निष्पादन राज्यों का विषय है, इसलिए उनको राज्य सरकार के पास आग्रह करना पड़ेगा।

**SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB):** Thank you, Speaker, Sir. The pendency of cases in our court system is a matter of serious concern. The Minister cannot get away by just saying that justice delivery is the job of the Judges and therefore the Government has no role in it. The fact remains that even today there are about two crore cases which are pending adjudication in our judicial system. The fact remains that in our High Courts, the pendency or the non-appointment or the vacancy is almost close to 50 per cent. Therefore, I would like to ask the Minister a very straight question. He has listed a series of

initiatives which the Government has taken in the past five years. Would he like to enlighten the House as to what was the pendency in our judicial system in 2014 when they assumed office and what is the pendency in our judicial system as of today?

**SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:** I will give that data to enlighten the hon. Member. You are a lawyer yourself. I never said that I will not fulfil what is my responsibility. But you will know as a seasoned lawyer yourself that hearing the case, deciding the case, giving the judgement is the job of the Judges and it should not be the job of the Government. I am very clear about it. That is what the independence of Judiciary is all about.

I have also said that we have made the highest number of appointments. We shall continue to make it. I have already said that 478 High Court Judges have been appointed; 34 Supreme Court Judges have been appointed. ...*(Interruptions)*

Sir, I have already told him that I will get that data and revert back to him.  
**माननीय अध्यक्ष :** आप हर सवाल का जवाब मत दीजिए। जो आपसे पूछा गया है, उसका जवाब दीजिए।

**श्री रवि शंकर प्रसाद :** मनीष तिवारी जी, वह डाटा लेकर मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास सब उपलब्ध है। मैं आपको विस्तार से पत्र लिखकर भेज दूंगा। क्या अब आप संतुष्ट हैं?

(इति)

(1200/SMN/RAJ)

**(Q.44)**

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Thank you very much hon. Speaker Sir for giving me an opportunity to speak about mobile services in rural and scheduled areas. As per the report, over 77,000 employees of BSNL have opted for Voluntary Retirement Scheme. The BSNL's total strength is 1,50,000. It means more than 50 per cent staff is going out. My question to the hon. Minister is this. How can the BSNL run with 50 per cent of the staff?

My second question is this. What are the steps that are being taken to overcome this situation?

Is there any chance for any new recruitment to absorb the unemployed youth in the BSNL in the near future?

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी, कृपया शॉर्ट में जवाब दें।

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे):** माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण सवाल किया है।

**श्री रवि शंकर प्रसाद :** सर, यह हम से बार-बार सदन में सवाल पूछते थे कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को कब जिंदा करेंगे, हम उनको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं...(व्यवधान) कृपया आप शांत रहिए...(व्यवधान)

Sir, we are going to revive BSNL and make it profitable. I want to assure this House.

(ends)

**QUESTION HOUR OVER**

## स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर माननीय सदस्यों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

-----

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

**माननीय अध्यक्ष :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। डॉ. जितेन्द्र सिंह जी।  
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) तीसरा संशोधन विनियम, 2019 जो 20 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 672(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों) नियम, 2019 जो 24 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 810 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

-----

...(व्यवधान)

...

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नम्बर श्री, श्री सोम प्रकाश।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): I beg to lay on the Table a copy of the Registration and Licensing of Industrial Undertaking (Amendment) Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification NO. G.S.R. 637(E) in Gazette of India dated 6<sup>th</sup> September, 2019 under sub-section (4) of Section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

-----

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I have a point of order under rule 288. As far as the Business Advisory Committee is concerned, I am citing some of the points under Rule 288. Rule 288(1) says:

“It shall be the function of the Committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such Government Bills and other business as the Speaker, in consultation with the Leader of the House, may direct for being referred to the Committee.”

सर, एक के बाद एक बीएसी कमेटी की मीटिंग होती जा रही हैं, हम इश्यूज चुनते हैं, सदन शुरू हो चुका है, लेकिन आज तक हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है कि यहां कौन-सा विषय आने वाला है।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर कल रख दी गई है। इसलिए आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है।

...(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** सर, पूरे हफ्ते के बिजनेस नहीं होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** पूरे हफ्ते का ही रखा है।

...(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** सर, आपने एसोसिएशन के बारे में सहमति जताई थी, वह नहीं आया।

----



**सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे): अध्यक्ष महोदय, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित “भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति” पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सदन पटल पर रखता हूँ।

-----

**कार्य मंत्रणा समिति  
आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव**

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ :

“कि यह सभा 19 नवम्बर, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि यह सभा 19 नवम्बर, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

.....

(1205/VB/MMN)

**माननीय अध्यक्ष:** अब शून्यकाल।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री अधीर रंजन चौधरी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आज सूची में आपका प्रश्न है।

...(व्यवधान)

## RULING RE: QUESTION OF PRIVILEGE

**माननीय अध्यक्ष:** मैं आपकी व्यवस्था दे दूँ कृपया आप बैठ जाएँ

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं प्रिविलेज मोशन की व्यवस्था दे दूँ

...(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): I have raised a privilege issue.

**माननीय अध्यक्ष:** मैंने आपका प्रिविलेज मोशन देख लिया है, यह मुझे मिल गया है। मैं आपके प्रिविलेज मोशन की व्यवस्था दे रहा हूँ

...(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): This is a privilege of not a Member. It is of the House. I am raising this because the privilege of this House has been violated. ...(*Interruptions*) We have already given a notice. This is not of a Member but of the House.

**माननीय अध्यक्ष:** मैं व्यवस्था दे रहा हूँ

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, कॉल एंड शकधर, चैप्टर-11, पेज नम्बर 269 (अंग्रेजी) एवं पेज नम्बर 244 और 289 (हिन्दी) में उल्लिखित है कि विशेषाधिकार का क्षेत्र फौजदारी मामलों में नहीं है। संसद किसी भी सदस्य का फौजदारी कानून प्रक्रिया से किंचित भी बचाव नहीं कर सकती है।

दाण्डिक न्याय के प्रशासन में यदि किसी संसद सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी से हाउस का विशेषाधिकार भंग नहीं माना जाएगा।

भारत के न्यायालयों ने भी उपरोक्त की पुष्टि की है।

...(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, I am not talking of the privilege of the Member. I am talking of the privilege of the House. The House should be informed. ...(*Interruptions*). All I am saying is that I am raising this ...  
...(*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** जब कोई रूलिंग दे दी जाती है, तो रूलिंग के बाद कोई डिसकशन नहीं होती है। माननीय सदस्य, आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। नियम एवं प्रक्रिया की किताब में यह बात लिखी है कि जब अध्यक्ष किसी मामले में निर्देश दे दे, तो उस पर कोई डिसकशन नहीं होती है।

...(व्यवधान)

## SPECIAL MENTIONS

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय अधीर रंजन जी, आप बोलें।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Speaker, Sir, there is a point of order.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: There is no point of order during 'zero hour'. शून्यकाल में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है।

आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस सदन को चलाने वाले सभापति हैं। शून्यकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री अधीर रंजन जी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अधीर रंजन जी का नाम लिस्ट में है, इसलिए ये बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to draw the attention of the Chair as well as the Government to the procurement of rice from the State of Chhatisgarh which has been in a distress condition because the Government has been willy-nilly denying the legitimate right of the State Government of Chhatisgarh. Chhatisgarh is recognised as the rice bowl of our country. You will be astonished to note that as many as 20,000 varieties of rice have been recorded in this region. It is by the sweat of those indigenous and especially, the tribal population, who have been struggling hard for centuries, that it was possible to maintain these many varieties of rice about which we can be proud of.

(1210/PC/VR)

राज्यों की प्राथमिकता किसानों को आर्थिक रूप से मज़बूत कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।  
...(व्यवधान) इस उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त धन उत्पादन हेतु  
प्रोत्साहन राशि भी दी जानी प्रारंभ की गई है।...(व्यवधान)

सर, क्या प्रोत्साहन राशि देना अन्याय है? ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, शून्यकाल में आपने अपना विषय रख दिया है।

...(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) :** सर, सरकार वहां से चावल नहीं खरीदती है। ...(व्यवधान)

हिन्दुस्तान में और बहुत सारे राज्य हैं, जहां से चावल खरीदा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से चावल नहीं  
खरीदा जाता है। ...(व्यवधान) पिछले दो सालों से, वर्ष 2017 और 2018 से यह जो नियम है, उसको  
शिथिल किया गया था। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** टी. आर. बालू जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) :** सर, यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** केवल टी. आर. बालू जी की ही बात रिकॉर्ड में अंकित हो।

...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Hon. Speaker, at the outset, I thank the  
then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and Sonia ji for having declared Tamil as  
a classical language. ...(Interruptions)

Sir, Dr. Kalaignar Karunanidhi is a Dravidian major. ...(Interruptions) He was  
the most glorified leader of the Tamil world. ...(Interruptions)

He donated Rs.1 crore for the Classical Tamil Award and for the development of Tamil language. ...(*Interruptions*)

In 2010, a Professor of Finland has been given this award. ...(*Interruptions*)

Sir, what is it? ...(*Interruptions*) The House is not in order. How can I speak, Sir? ...(*Interruptions*) Sir, let the House be in order. ...(*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** संतोष पाण्डेय जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप छत्तीसगढ़ के बारे में क्या बोल रहे हैं?

**श्री संतोष पाण्डेय (राजनंदगाँव) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में किसानों को छला गया है। ...(*व्यवधान*) जब मृत्यु का समय आता है, उस समय व्यक्ति को गंगा जल पिलाया जाता है और बछिया की पूंछ को पकड़ा जाता है। ...(*व्यवधान*) जब यह चुनाव आया, तब चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडे, अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम पूरे छत्तीसगढ़ में वाइन को, शराब को बंद करेंगे। ...(*व्यवधान*) हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे और धान का एक-एक दाना, एक-एक बीज खरीदने की बात इन्होंने कही थी। ...(*व्यवधान*)

आज छत्तीसगढ़ की जनता इनसे पूछना चाहती है। ...(*व्यवधान*) इन्होंने गंगा जल उठाकर सौगंध ली थी। ...(*व्यवधान*) इन्होंने दारुबंदी की बात की थी, इन्होंने कर्जा माफी की बात की थी। ...(*व्यवधान*) मैं आज इस सदन से पूछना चाहता हूँ कि आपने दो बार तेंदूपत्ता का बोनास, गन्ने का बोनास 2,500 रुपये में खरीदने की बात की है। ...(*व्यवधान*) आप छत्तीसगढ़ की जनता को बरगलाने की कोशिश न करें। ...(*व्यवधान*) आज छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने धान खरीदी में 15 दिनों का विलंब क्यों किया? ...(*व्यवधान*)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) :** सर, मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूँ कि पिछले बरस की भांति इस बरस भी नियमों को शिथिल करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से 28 लाख मीट्रिक टन उसना चावल और 4 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल सरकार से खरीदने की मैं मांग करता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष :** टी. आर. बालू जी।

...(*व्यवधान*)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) :** सर, आप कुछ तो कहिए।

HON. SPEAKER: No chance. Only T.R. Baalu ji's submission will go on record.  
1214 बजे

(इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, the Tamil major, Dr. Kalaignar Karunanidhi has donated Rs.1 crore for the sake of the award and for the

development of Classical Tamil. ...(*Interruptions*) It was to create an endowment award. ... (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** बालू जी, आप बैठ जाएं।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, I have to speak. ...(*Interruptions*)

I want to put my demand before the Government. ...(*Interruptions*)

(1215/KDS/SAN)

Sir, in 2010, out of the endowment of one crore rupees, a professor of Finland by name Askar Parpola was given the first Classical Tamil Award for the development of classical Tamil. From 2010 onwards up to this date, nine awards would have been extended to the scholars of eminence, but so far nothing has been done.

Sir, 143 permanent posts have been sanctioned by the Government of India, but not even a single post has been filled till now. The Government of India has deserted the institution. It is defunct now. There is no Director; there is no Registrar; and there is no Financial Advisor. There is not even a single person in permanent position.

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, नहीं-नहीं, आप नहीं।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, kindly give me two minutes. Mr. Speaker, Sir, what is this? Sir, I am not talking for hours together.

Sir, my leader Dr. Stalin appreciates our Prime Minister, whenever he tours abroad or India, glorifies Tamil, citing Thiruvalluvar, Kaniyan Pungundranar, Thirukkural and Purananuru and so on. But what is the reality?

Sir, it is not fair. You are very generous now-a-days, but I do not know what has happened today. Sir, you asked me to speak and I have to mention my demand to the Government of India.

Dear Sir, what I suggest is that the reality is something else.

HON. SPEAKER: No political allegation please. आप अपना विषय रखिए।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, the people belonging to the BJP are saffronising Thiruvalluvar in Chennai.

HON. SPEAKER: No.

Shri Mohanbhai Kundariya.

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, my demand is to see that the ruling party comes forward to sanction all the 143 permanent posts, and awards in the name of Kalaignar Karunanidhi.

**श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया (राजकोट):** महोदय, मैं आपका ध्यान सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट शहर की ओर दिलाना चाहता हूँ। राजकोट शहर सौराष्ट्र क्षेत्र का मुख्य इंडस्ट्रियल एरिया है और गुजरात की 35 प्रतिशत जनसंख्या कार्य करती है। गुजरात के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा राजकोट एक औद्योगिक नगरी है और ऑटो मोबाइल, ज्वैलरी, टाइल्स, घड़ियों व फूड प्रोसेसिंग में मुख्यतः अग्रणी भूमिका निभाती है। इस क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ का मुख्य गिर वन और ऐतिहासिक सोमनाथ द्वारकाधीश मंदिर है। यह क्षेत्र अपने उपरोक्त कार्यों के कारण सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस क्षेत्र में कार्यकलाप, बिजनेस मीटिंग व धार्मिक गतिविधियां भी दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं।

मान्यवर, मैं उपरोक्त गतिविधियों के लिए आपके माध्यम से एक कन्वेंशन सेंटर व सेमिनार हॉल का निर्माण करवाने का अनुरोध करता हूँ, जो उपरोक्त सभी कार्यों को निर्देश देने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण NSIC ग्राउंड में करवाया जा सकता है। यह कन्वेंशन सेंटर ऑडिटोरियम, पुस्तकालय, एग्जिबिशन हॉल व फूड कोर्ट आदि की सुविधाओं से परिपूर्ण हो। अंत में आपसे पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में उक्त मांगों को पूरा करने पर विचार करने का कष्ट करें।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री सी.पी. जोशी को श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री दिलीप साईकिया (मंगलदाई):** बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।

“धन्य-धन्य कलिकाल, धन्य नर तनुभाल, धन्य जनम भारतबरिषे”

असमिया साहित्य, संस्कृति, समाज व आध्यात्मिक जीवन में युगांतरकारी महापुरुष जगद्गुरु श्रीमंत शंकरदेव का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक क्रांति का सूत्रपात किया। पूर्वोत्तर भारत में वैष्णव संस्कृति और श्रीकृष्ण संस्कृति के प्रसार के लिए जगद्गुरु श्रीमंत शंकरदेव ने बरगीत, अंकिया नाट, भाओना, नाघर, सत्र स्थापित कर पूरे पूर्वोत्तर भारत के निवासियों को भाईचारे, सामाजिक सदभाव, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का संदेश दिया।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज के एकात्मवाद के सिद्धांत को 15वीं शताब्दी में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने प्रकृति रक्षा के विचारों को प्रतिपादित कर कहा था कि-

“कुकुर, श्रीगाल, गदरभरो आत्माराम-जानियों सबाको कोरियो प्रणाम कोरियो प्रणामा”

(1220/MM/SAN)

अर्थात् कुत्ता, भेड़िया और गधा, सभी की आत्मा एक ही है।

देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, लेकिन देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य लगभग 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से किया था। इन विचारों और सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने दो बार सम्पूर्ण भारत वर्ष की पदयात्रा की थी। 15वीं शताब्दी में समकालीन भक्ति आंदोलन

में नेतृत्व देने वाले महान संतों में भारतीय राष्ट्रवाद को सबसे अधिक परिभाषित श्रीमंत शंकरदेव ने ही किया था। उन्होंने कहा था –

“कोटि-कोटि जन्मान्तरे जाहार आसे महापून्य राखि  
हि-हि कदासित मनुष्य होअय भारत बरिषे आसी।”

अर्थात् करोड़ों जन्मों के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है उसी पुण्य के फलस्वरूप मनुष्य को भारत वर्ष में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी कहा था-

“धन्य-धन्य कलिकाल धन्य नर तनु भाल धन्य धन्य भारत बरिषे।”

भारत वर्ष की इतनी महान संकल्पना श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रतिपादित की गयी थी।

**माननीय अध्यक्ष :** आप अपनी मांग रखिए कि आपको सरकार से क्या लगवाना या करवाना है? आप कहें तो आपकी तरफ से मैं रख देता हूं।

**श्री दिलीप साईकिया (मंगलदाई):** सर, मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे महापुरुष के बारे में पूरे भारतवर्ष में बहुत ही कम जानकारी है। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री जी से निवेदन है कि डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की तरह देश में श्रीमंत शंकरदेव फाउंडेशन स्थापित किया जाए। जिससे पूर्वोत्तर ही नहीं, सम्पूर्ण भारत में भी श्रीमंत शंकरदेव की शिक्षाओं और सिद्धांतों को पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ देश भर में श्रीमंत शंकरदेव की पुण्य जन्म तिथि को एन.आई. एक्ट के तहत राजकीय अवकाश घोषित किया जाए जिससे उनके आदर्शों और सिद्धांतों को सच्ची श्रद्धा और सम्मान दिया जा सके।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, शून्य काल में जिस विषय पर आप सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से उसे सदन में रखें ताकि सरकार का और देश की जनता का आपके विषय पर ध्यान पहुंच सके। यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री सी.पी. जोशी को श्री दिलीप साईकिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री राजन बाबूराव विचारे (ठाणे):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी है।

महोदय, ठाणे रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। यहां से देश की पहली रेल दिनांक 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी। यह स्टेशन करीब 266 साल पुराना है। यहां पर प्रतिदिन करीब आठ लाख से ज्यादा यात्री आना-जाना करते हैं एवं सुबह-शाम के दौरान यात्रियों की भीड़ ज्यादा रहती है। करीब पांच महीने पहले दिनांक 30 जून, 2019 को मैंने प्रत्यक्ष रूप से स्टेशन का दौरा किया था तो मुझे पता चला कि वर्तमान समय में इस स्टेशन की इमारत करीब पचास साल पुरानी होने के कारण जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। इमारत में कई जगहों पर दरारें भी आ चुकी हैं, जिससे इमारत कभी भी गिर सकती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से विनती करता हूं कि ठाणे रेलवे स्टेशन की पुरानी जर्जर इमारत को गिराकर उसकी जगह पर एक नई आधुनिक इमारत जिसमें कार्यालय,



प्रतीक्षा कक्ष एवं म्यूजियम रूम भी बनाने के लिए संबंधित विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश देने की कृपा करें।

**श्री रामदास तडस (वर्धा):** अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से केन्द्रीय वस्त्र मंत्री जी का ध्यान कपास की खरीदी के संदर्भ में आकृष्ट करना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार ने चालू कपास सीजन वर्ष 2019-20 के लिए लंबे रेशे वाले कपास का एमएसपी 5550 रुपये प्रति क्विंटल और मध्यम रेशे के कपास का 5255 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों के लिए सफेद सोना कहलाने वाली फसल कपास इस बार उनके लिए सफेद सोना साबित नहीं होने जा रही है क्योंकि देश में कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया केन्द्र द्वारा बड़े पैमाने पर खरीद शुरू न करने के कारण किसान सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव 4000-4500 रुपये प्रति क्विंटल पर कपास बेचने को मजबूर है, जिससे किसान को प्रति क्विंटल एक हजार रुपये से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। विश्व में कपास की मंदी के कारण कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 20 लाख गांठ खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इसे बढ़ाकर एक करोड़ गांठ खरीदी की जाए जिससे सही भाव भी मिले और खुले मार्किट में भी किसानों को सही भाव के ऊपर दाम मिले। आज महाराष्ट्र राज्य में बहुत जगहों पर ज्यादा बारिश होने से किसानों का नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने से केन्द्र सरकार से मदद की अपेक्षा है।

(1225/GG/RBN)

कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया केन्द्र द्वारा कपास की खरीदी करते समय कपास की आद्रता की सीमा 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक है। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए 15 प्रतिशत करने की आवश्यकता है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से केन्द्रीय वस्त्र मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त सभी समस्याओं पर अपने स्तर से विचार कर शीघ्र समस्याओं का निदान कराने का कष्ट करें।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री सी.पी. जोशी को श्री रामदास तडस द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी):** अध्यक्ष महोदय, असम में जो सीबीएसई और केन्द्रीय विद्यालय हैं, उनमें अभी तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई नहीं हो रही है। क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हो, इस बारे में वहां की जनता पिछले काफी समय से प्रयास कर रही है, किन्तु अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि असम में सीबीएसई के सभी विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई करवाई जाए, इस बारे में आप आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री अब्दुल खालेक को श्रीमती क्वीन ओझा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग):** अध्यक्ष महोदय, इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म के माध्यम से जो दूर जाने वाली ट्रेनें हैं, जैसे कि दूरंतो है, राजधानी है, शताब्दी है, इन ट्रेनों से प्रवास करने वाले प्रवासियों के ऊपर आईआरसीटीसी ने खान-पान की दरों में बढ़ोत्तरी करने का

परिपत्र जारी किया है, जिसको खारिज करने की विनती मैं इस शून्य प्रहर के माध्यम से सरकार को करना चाहता हूँ

महोदय, आप तो जानते हैं कि दूरंतो, राजधानी और शताब्दी आदि दो-दो दिनों तक चलने वाली ट्रेने हैं, जिनसे हजारों प्रवासी प्रवास करते हैं। जैसे आम आदमी जाते हैं, वैसे ही मध्यम वर्गीय भी जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले 15 रुपये चाय का भाव था, उसको बढ़ा कर 35 रुपये किया गया है। यह सवेरे की चाय का भाव हुआ है। वही चाय अगर शाम को पीते हैं तो 140 रुपये देने पड़ेंगे। नाश्ते के लिए 90 रुपये से बढ़ा कर 140 रुपये और लंच के लिए 145 रुपये से बढ़ा कर सीधे 245 रुपये कर दिए गए हैं, यानी सौ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। जो आम आदमी ट्रेन से जाते हैं, यह उनके ऊपर भारी अन्याय होगा।

इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो भारी मात्रा में बढ़ोत्तरी की है, वह खारिज करें। रेल मंत्री जी को इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप आम आदमी को सहूलियत देने की कृपा करें।

**श्री अरुण साव (बिलासपुर):** अध्यक्ष महोदय, मेरा मुंगेली क्षेत्र अमरूद यानी बिही के लिए बड़ा मशहूर क्षेत्र है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। ब्रिटिश शासन के समय क्षेत्र में रेलवे लाइन का काम प्रारंभ हुआ था, परंतु ब्रिटिश शासन के अंत के साथ ही वह परियोजना ठप्प हो गई थी। बाद में देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और तत्कालीन मुख्य मंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रयासों से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम बना कर रेलवे का काम प्रारंभ किया गया। लेकिन पिछले एक साल से उस काम में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। क्षेत्र की जनता परेशान है। यह क्षेत्र की जनता की बहुप्रतिक्षित मांग है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि उक्त योजना के काम में तेज़ी लाएं, ताकि जनता को रेल सेवा का लाभ मिल सके।

(1230/KN/SM)

**श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित (पालघर):** अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पालघर, महाराष्ट्र में जो बारिश हुई है, पालघर में करीबन 47 हजार हेक्टेयर खेती का नुकसान हुआ है। पालघर ट्राइबल एरिया होने के नाते वहां पर सबसे ज्यादा नागली और वरई तथा अन्य फसलों का काफी नुकसान हुआ है। इसमें किसान पूरी तरह से टूट गया है। वसई और पालघर में सबसे ज्यादा फूलों की खेती होती है। फूलों की खेती करने वाले किसानों का भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीकू का उत्पादन होता है, बारिश की वजह से उसका भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य में चीकू का सबसे ज्यादा उत्पादन धांड में होता है। महाराष्ट्र में जो मछुवारे हैं, पालघर में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है, किसानों के साथ-साथ उन मछुवारों की भी मदद करने की आवश्यकता है।

महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में बारिश के कारण प्रभावित किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए जो 6 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, राष्ट्रपति शासन होने की वजह से जो 6 हजार रुपये दिया जा

रहा है, उसके बदले में करीबन 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तथा बागवानी खेती के लिए 18 हजार प्रति हेक्टेयर के बदले 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा उनको दिया जाए।

**श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा (छोटा उदयपुर):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में अपने लोक सभा क्षेत्र का एक अति महत्वपूर्ण विषय रखने जा रही हूँ, जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर के किसान भाइयों की सिंचाई का समाधान मिल सकेगा।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र पहाड़ी तथा ऊँचाई क्षेत्र में है। वहां नर्मदा नदी होने के बावजूद भी किसान भाइयों को जल की कठिनाई के कारण खेती करने में काफी दिक्कत होती है। साथ ही आम जनमानस को भी जल की काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।

महोदय, यदि हमारे संसदीय क्षेत्र की हेरन नदी, मेन नदी, करा नदी, ओरसंग नदी तथा रामी नदी में बांध बना दिया जाए तो जल की समस्या से निजात मिल सकेगा, जिससे आस-पास के स्थानों का भी जलस्तर बढ़ेगा। जल की जो व्यापक समस्या है, उसका भी समाधान हो जाएगा। साथ ही जिन तहसीलों में जल की समस्या है, वहां के किसान भाइयों को खेती करने में भी अधिक सुविधा मिलेगी। इस प्रयास से जमीन का जलस्तर बढ़ने के परिणामस्वरूप नलकूप तथा कुएं में जल की उपलब्धता वर्ष भर रहेगी और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना 'हर घर जल, हर घर नल, हर खेत में पानी' का सपना भी साकार हो जाएगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर के हेरन नदी, मेन नदी, करा नदी, ओरसंग नदी तथा रामी नदी में बांध बनाने की कृपा करें। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री सी.पी. जोशी को श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI):** Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. I want to raise an important issue not for myself only. I am talking for all the hon. MPs, not only elected now, but also for those who are going to be elected in future including yourself, Sir! It will be useful to you and Ministers also.

This is regarding MP Local Area Development Funds. ...*(Interruptions)*. Please give me two minutes. It was started in 1993-94 with Rs.5 lakh. Then it was increased in 1998-99 to Rs.2 crore. It was further increased in 2011-12 to Rs.5 crore. But for the last 7-8 years, there has been no increase.

Sir, Dr. Kalaignar was the Chief Minister of Tamil Nadu in 1988-89. At that time, I was an MLA. I was the first person to make the request in the House. Then Dr. Kalaignar announced Rs.25 lakh for MLA Local Area Development Funds. Now, after 30 years, it is Rs.3 crore in Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*. I

am coming to that point. In Kerala, it is Rs.6 crore. In Delhi, it is Rs.4 crore and is planning to increase it to Rs.10 crore.

(1235/AK/CS)

So, on an average, in almost all the States, they have increased it anything between Rs. 2 crore and Rs. 10 crore. This is only for one MLA segment. MP constituencies are having in some areas like in Tamil Nadu six MLA constituencies, in Kerala seven, and in some States it is eight. I would request the Government to increase the MP Local Area Development Fund to at least Rs. 2 crore per MLA constituency. This is the very minimum.

HON. SPEAKER: Next is Shri K. Shanmuga Sundaram.

... (*Interruptions*)

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Sir, give me one more minute. The MLAs are having office buildings in the Constituency, but there is no office space for MPs. So, I request the Government to please allow Rs. 50 lakh out of the MPLAD Fund to construct an MP office in the headquarters of the Parliamentary Constituency. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Next is Shri K. Shanmuga Sundaram. Is he present?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Next, Shri Haji Fazlur Rehman.

... (*Interruptions*)

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Sir, one more minute. Out of this Fund, we have to spend nearly 22 per cent, that is, 15 per cent for SC; 7.2 per cent for ST; for a national calamity one can give Rs. 1 crore; and for State calamity one can give Rs. 25 lakh. ...(*Interruptions*)

This money should not go waste. It should not be spent lavishly, and no corruption should be there. The Government could have a monitoring committee to monitor this, but it may try to increase this amount and at least double it. So, per MLA constituency, it should be at least Rs. 2 crore. It will be useful to the Ministers also. So, I would request the Government to consider this as early as possible, and I think that all the MPs will support this request. Thank you, Sir.

**श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर):** महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया।

सहारनपुर लोक सभा क्षेत्र में एक बेहट तहसील है। जहाँ पर फायर ब्रिगेड का कोई इंतजाम नहीं है। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। मेरा आपसे कहना है कि हर साल गर्मी के मौसम में झुग्गी-

झोपड़ियों में आग लग जाती है और जान-माल का बहुत नुकसान होता है। इसी तरीके से गर्मी में बिजली के तार टूटने पर वहाँ फसल जलकर राख हो जाती है और उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है।

मान्यवर, बेहट तहसील में फायर ब्रिगेड की कोई शाखा नहीं है और आग लगने पर जनपद मुख्यालय सहारनपुर से फायर ब्रिगेड पहुँचने में लगभग एक से डेढ़ घंटा लग जाता है। हमारा यह कहना है कि इस तहसील का रकबा लगभग 50-60 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि यह एक बहुत पुरानी समस्या है। इस पर पहले भी काफी मर्तबा गौर किया गया, लेकिन इत्तेफाक से आज तक इस पर अमल नहीं हो पाया।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस समस्या को हल कराने में जिला सहारनपुर के लोगों की मदद करने का कार्य करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

**جناب حاجی فضل الرحمن صاحب (سہارنپور): جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ**

**کہ آپ نے مجھے زیرو اور میں بولنے کا موقع دیا۔**

سہانپور پارلیمانی حلقہ میں ایک بیہٹ تحصیل ہے۔ جہاں پر فائر بریگیڈ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ میرا آپ سے کہنا ہے کہ ہر سال گرمی کے موسم میں جھگی جھوپڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے اور جان و مال کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بجلی کے تار ٹوٹنے پر وہاں فصل جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔

محترم، بیہٹ تحصیل میں فائر بریگیڈ کی کوئی شاخہ نہیں ہے اور آگ لگنے پر ضلع مکھیالیہ سہارنپور سے فائر بریگیڈ پہنچنے میں لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس تحصیل کا رقبہ لگ بھگ 50-60 کلو میٹر کے بیچ میں پھیلا ہوا ہے۔ اس لئے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے۔ اس پر پہلے بھی کافی بار غور کیا گیا ہے، لیکن بد قسمتی سے آج تک اس پر عمل نہیں ہو پایا۔

میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو حل کرانے میں ضلع سہارنپور کے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے، ایسی مجھے امید ہے۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادرا کرتا ہوں۔

**(ختم شد)**

**माननीय अध्यक्ष :** श्री गिरीश चन्द्र – उपस्थित नहीं।

श्री प्रतापराव जाधव।

**श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा):** महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने लोक सभा क्षेत्र बुलढाणा के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर रखना चाहता हूँ। वर्ष 2010-11 के अर्थ संकल्प में महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में खामगाव-जालना नई रेल लाइन बनाने हेतु 26 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 2012-13 में रेल विभाग को सर्वेक्षण की रिपोर्ट के साथ 1,026 करोड़ रुपये का इस्टीमेट भी दिया गया था। उसके बाद 25 फरवरी, 2016 के रेलवे अर्थ संकल्प में पूंजी निवेश कार्यक्रम के तहत वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित नई लाइन्स में खामगाव-जालना रेल मार्ग बनाने हेतु तीन हजार करोड़ रुपये की लागत राशि स्वीकृत की गई थी। इस संदर्भ में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। विगत 100 वर्षों से खामगाव-जालना नई रेल लाइन बनाने की माँग क्षेत्र की जनता की ओर से की जा रही है।

(1240/RV/SPR)

यह अत्यधिक चिंता एवं आश्चर्य का विषय है कि इसके निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। विधान सभा चुनाव 2014 के दौरान माननीय प्रधान मंत्री जी ने खामगांव में अपनी चुनावी रैली में कहा था कि अगर खामगांव का विधायक और महाराष्ट्र में बी.जे.पी. की सत्ता आएगी तो इस रेल लाइन के काम को हम प्राथमिकता से शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक यह काम शुरू नहीं हुआ है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से विनती है कि बुलढाणा जिला पिछड़ा जिला है। यह आत्महत्याग्रस्त किसानों का जिला है। इस जिले में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इस रेल लाइन शुरू करने की कार्रवाई करें।

**श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने काफी प्रगति की है, लेकिन आपका ध्यान मैं देश के आखिरी छोर कुशीनगर लोक सभा क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूँ।

वहाँ रेल से संबंधित तीन प्रमुख मुद्दे हैं। एक, छितौनी से तमकुही तक 64 किलोमीटर की रेल परियोजना दस सालों में मात्र चार किलोमीटर तक पूर्ण हुई है और इस परियोजना को धन के अभाव में पूर्ण रूप से लम्बित कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, आपका इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस परियोजना को बिहार, कुशीनगर और नेपाल की जनता के लिए शुरू कराया जाए।

कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र बौद्ध सर्किट क्षेत्र में है। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण आखिरी दौर में है। पर, वह आज तक रेल की सुविधा से वंचित है। वहाँ रेल की परियोजना की पूर्ण डीपीआर वर्ष 2018 से रेलवे बोर्ड में सुप्तावस्था में है। इसे जाग्रत करके इस परियोजना को शीघ्र शुरू किया जाए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री सी.पी. जोशी को श्री विजय कुमार दूबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI):** Sir, thousands of Wakf properties are still under the illegal occupation of encroachers, and the Government is not taking any effective steps to get them evacuated. Even the concerned Minister himself has reported that more than 2,000 cases of encroachments in the last one and a half years have taken place.  
...(Interruptions)

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** सर, जीरो आवर चल रहा है और हाउस में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आप सभी किताब पढ़ा कीजिए। शून्य काल में किसी कैबिनेट मंत्री की आवश्यकता नहीं है।

आप वरिष्ठ सदस्य हैं। शून्य काल में कोई भी माननीय कैबिनेट मंत्री के होने की आवश्यकता नहीं है। एक, दो, सभी मंत्रीगण बैठे हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं सब बातों का नोटिस ले रहा हूँ। मैं अध्यक्ष हूँ। आपका संरक्षण करने की जिम्मेदारी मेरी है।

**SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI):** It is shocking to know that Wakf lands are illegally occupied by the Central and State Governments also. Figures revealed by the Minister itself show that 16,963 number of Wakf properties in 25 States are illegally occupied.

Hence, I urge upon the Government to take urgent and necessary steps to evacuate such Wakf land and pave way to use it for religious purposes for which it is meant.

**माननीय अध्यक्ष:** सबको मौका मिलेगा। सदन सबके लिए है।

(1245/MY/UB)

**श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़):** अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रख रहा हूँ, इसलिए मुझे आपका संरक्षण चाहिए। चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान में किसानों की फसल बर्बाद हुई है।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** संरक्षण किसी को ज्यादा बोलने के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण विषय के लिए है।

**श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़):** अध्यक्ष महोदय, इस विषय में आपका संरक्षण इसलिए चाहिए, क्योंकि राजस्थान की सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है और किसानों के प्रति भेदभाव कर रही है, इसलिए आपका संरक्षण चाहिए।

महोदय, पिछले कार्यकाल में जब राजस्थान में आदरणीय वसुंधरा राजे जी मुख्य मंत्री थी, तो उस समय भी फसल खराब हुई थी, लेकिन उस समय तीन दिनों तक विधान सभा स्थगित की गयी और हम सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में गए थे। 50 परसेंट फसल खराबी का जो नियम था, पहली बार उसको घटाकर 33 परसेंट किया गया और करोड़ों रुपये किसानों के खातों में भारत सरकार, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से गए। अभी चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में एक दिन में ही 8 से 10 इंच बारिश हुई। प्रतापगढ़ में 125 इंच तक बारिश हुई, जो कि कल्पना से परे है। वहां किसानों के खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उन किसानों को राहत पहुंचाई जाए। अभी राज्य सरकार ने किसानों की मांग के ऊपर गिरदावरी शुरू की है, लेकिन ऊपर से अधिकारियों को निर्देश है कि गिरदावरी में 30-32 परसेंट से ज्यादा फसल की खराबी नहीं दिखानी है, जब कि फसल की खराबी 80 परसेंट से ज्यादा हुई है।

महोदय, इसके लिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है। पहले भी भारत सरकार की टीम आई और अध्ययन करके गई। वहां वास्तव में जो फसल की खराबी हुई है, उसका अध्ययन करके किसानों की फसल खराबी का पैसा दिलाया जाए।

महोदय, वहां अफीम के किसान भी हैं। उनकी फसल खराबी के कारण भी मार्फिन पूरी नहीं बैठ पाई। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, माननीय मंत्री महोदय यहां विराजे हैं, हमने भी उनसे आग्रह किया है। अगर इसमें कमी होगी, तो निश्चित रूप से किसानों के हित में फैसला नहीं होगा। यही आग्रह मैं अपनी ओर से करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री दुष्यंत सिंह को श्री सी.पी. जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जिन माननीय सदस्यों को इस सप्ताह के अंदर शून्य काल में अतिरिक्त समय बिना लिस्टेड दिया गया है, उनका नंबर अगले सप्ताह के शून्य काल में नहीं आएगा, जब तक कि बहुत अर्जेंट सब्जेक्ट नहीं हो। यदि बहुत अर्जेंट सब्जेक्ट होगा, तो उनका नंबर आ जाएगा और यदि जनरल विषय होगा, तो नहीं आएगा। न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए।

**श्रीमती संध्या राय (भिंड):** अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भिंड, मध्य प्रदेश में विगत 15-16 नवंबर को अत्यधिक वर्षा हुई। कोटा बैराज और राजस्थान की चंबल नदी में लगातार अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई। इसके कारण आठ विधान सभा के छोटे एवं सीमांत किसानों की हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हुई, इसके साथ ही सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हुए, सड़कें बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं और बेजुबान मवेशियों को कष्ट झेलना पड़ा है। वहां कई मवेशियों की मौत भी हो गई है।

मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और सड़कों की मरम्मतकरण के लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए। वहां जिनके मकान बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनके भवनों के जीर्णोद्धार कराने के साथ-साथ मवेशियों को चारा आदि उपलब्ध कराने के लिए भी मैं सरकार से आर्थिक सहायता प्रदान करने की



मांग करती हूँ। जिन किसान भाई-बहनों की फसल बर्बाद हुई है, उनके लिए भी मैं मुआवजे की मांग करती हूँ।

महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।

**SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI):** Sir, according to the research carried out by the Government, India has lost almost one-third of its coastline to sea erosion. In Tamil Nadu, nearly 41 per cent of its coastline has been lost to sea erosion. In my constituency, Thoothukkudi, we have a large coastline and hundreds of fishing hamlets are located there. Within a few weeks, we have lost half of the village into the sea. It is a very, very alarming situation, and the Government is building seawalls and groynes which is not a permanent solution to this alarming situation across the country. I do not know what the Government is doing. Does it have a long-term plan to protect these villages and the lives of the fishermen?

**माननीय अध्यक्ष:** श्री बी. मणिकम टैगोर तथा श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1250/SNT/CP)

श्रीमती सुप्रिया सुले जी।

**श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती):** सर, नमस्ते, थैंक यू। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कल एक एक्सीडेंट हुआ था। जो वारकरी सम्प्रदाय के लोग हैं, उनमें 2 का देहान्त हो गया और 16 का एक्सीडेंट हो गया। एक प्रोग्राम नितिन जी की लीडरशिप में शुरू हुआ था। आलंदी से पंडरपुर और देहू से पंडरपुर, जिसको हम महाराष्ट्र में पालकी मार्ग कहते हैं, उसको जल्द से जल्द पैसा मिले और वह काम पूरा हो जाए।

**SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANNIYAKUMARI):** I wish to bring to the notice of the House a serious issue concerning poor people of State of Tamil Nadu. The rice distributed under the Public Distribution System has been drastically reduced. It is understood that 10 per cent reduction has been made in the supply of rice based on the sale of rice in October. Because of the insensitive action by the Central Government, major portion of rice of the poor people will be affected due to non-availability of rice. It is estimated that every 100 persons out of 1,000 beneficiaries will be deprived of rice.

Respected Speaker Sir, in my Kanyakumari constituency, 25 tonnes of rice have not been supplied to ration shops and in the whole State, 21,000 tonnes of rice have not been supplied. Sir, I would like to remind the House on

this occasion that during the Congress rule, rice was supplied to State Governments at the rate of Rs.3.50 per kg, whereas the BJP Government now supply rice at the rate of Rs.32.50 per kg. There are two crore family ration cards in Tamil Nadu. Out of this, majority are getting rice. Due to Central Government's insensitive action, poor people will be affected. Therefore, I request, through you, the Central Government to restore the normal supply of rice to Tamil Nadu and safeguard the poor people.

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अगर आप लिख कर भी लाए हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक मिनट का वहां पर ध्यान रखेंगे और उतना ही पढ़ कर बोलेंगे।

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Thank you very much, Speaker Sir. I would like to draw the attention of this august House regarding two incidents in India which took place in JNU, Delhi, day before yesterday, and another incident which took place in Thiruvananthapuram yesterday.

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आपने केरल का मामला बोला है।

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** No, I am not raising the Kerala issue. I am raising an issue regarding how the student community in India is being dealt with by the police. The day before yesterday, in JNU, the students were being manhandled like anything. Yesterday, in Trivandrum, Shafi Parambil, MLA, and KSU State President, K.M. Abhijith were on strike. You may kindly see the reason for the strike. Two *Dalit* girl students of age 9 years and 13 years have committed suicide and the prosecution did nothing and finally, the court has acquitted them. To have a CBI probe in the matter, the student community in Kerala had conducted a march to Assembly yesterday. The MLA was brutally manhandled. Sir, the photographs show how the President of KSU was being manhandled by the police. These types of incidents never happened before. This is not the way by which the student community in the country is being dealt with. So, I am demanding a CBI inquiry on the Walayar incident and also to conduct a fair inquiry into all these matters. The student community have the right to do strike. For the genuine democratic demands of the student community, they have a right to do strike. ...(*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** आप सब एसोशिएट कर दीजिए।

...(*व्यवधान*)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री के. मुरलीधरन और श्री कोडिकुन्निल सुरेश को श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. सुभाष सरकार (बंकुरा):** मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं पश्चिम बंगाल में जनता पर डेंगू के द्वारा हुए अटैक के हाल के बारे में बताऊंगा। मैं इसे बांग्ला में बताना चाहता हूँ।

\*In West Bengal 50,000 people are afflicted with Dengue and 23 persons have already died. The State Government is not ready to accept this fact. Just yesterday Hon. Chief Minister announced that so many people have died. Therefore it seems that the Government is unable to control this menace. In Kolkata's children's hospitals, 85% patients are suffering from Dengue. Hon. Chief Minister should seek immediate relief from the Central Government's Health Department. I want to ask her that where the crores of rupees released by the Union Government for vector control have been diverted to? Why the water bodies are not being cleaned regularly by the funds of the National Health Mission and MGNREGA? She should make this clear to the common people. Through you Sir, I urge upon the Government of India that it should ask for a report from the State Government on this issue, should want to know what is the ground reality, how many Dengue deaths have taken place and whether the

State Government requires any assistance from the centre or not in this regard. Thank you Sir.

(1255/NK/RSG)

**श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज):** अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र लालगंज में सरायमीर रेलवे स्टेशन के पूरब ग्राम पवई-लाड़पुर समपार संख्या 50 सी एवं ग्राम खरेवा समपार संख्या 52 सी है। यहां अंग्रेजों के जमाने से पटरी बिछायी गई है। उक्त दोनों गेटों से 50 गांवों की जनता जाती है। छात्र-छात्राओं के लिए मदरसा, स्कूल, कॉलेज एवं ब्लॉक आदि तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है। किन्तु जनवरी, 2018 में 50सी और 52सी को बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस बारे में शासन-प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है।

अतः आप से अनुरोध है कि संपूर्ण जनता की जनभावना के हित में समपार संख्या 50सी और 52सी को पुनः खोलने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

\* Original in Bengali.

**माननीय अध्यक्ष :** श्री रेखा अरूण वर्मा को श्रीमती संगीता आजाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM):** Sir, please permit me to raise the following matter of urgent public importance in this august House.

The Hindustan Newsprint Limited is in great distress for the last one year. More than 5,000 employees are not paid their wages and other benefits for the last one year. This matter was brought up by me before this august House during the last Session of Parliament. There was a discussion held in Kolkata with the liquidator of the parent company, Hindustan Paper Corporation Limited, along with the representatives of the Government of Kerala, State Bank of India, Canara Bank and the Managing Director of HNL. It is understood that during the meeting the liquidator has agreed to hand over 100 per cent shares of HNL to the Government of Kerala for a consideration of Rs. 25 crore.

It is my humble request before the Government of India, Ministry of Heavy Industries to give approval to the same immediately so that the company can restart its operations and employees and workers are paid their wages. This would have a boosting impact on the newspaper industry and for more than 5,000 families depending on this industrial unit for their survival. I would once again urge upon the Government of India through this august House to give consent to this proposal immediately.

**SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI):** Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity. My constituency Tiruvannamalai is an internationally renowned religious place which attracts lakhs of pilgrims to the Arunachaleswar Temple for Darshan and Parikrama of the Holy Hill, which is known as Girivalam round the year, every month.

There is no direct train between Chennai and Tiruvannamalai. Even the Puducherry-Howrah Express train which passes through Tiruvannamalai does not have a halt at that place. The railway station at Tiruvannamalai is in a poor state; even, there is no waiting room for the passengers. The progress of work relating to the new broad gauge railway line from Tindivanam to Tiruvannamalai is very slow. There is an urgent need for direct train connectivity between Chennai and Tiruvannamalai to enable passengers to reach the city by train.

I seek the personal intervention of the hon. Minister of Railways, through you, to introduce a daily intercity express train between Chennai and Tiruvannamalai in the upcoming General Budget. Thank you.

**श्री राहुल कस्वां (चुरु):** अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरु में मूंगफली की जो खरीद हो रही है, उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में 85 प्रतिशत वर्षा आधारित खेती होती है, मात्र 15 परसेंट ही पानी से सिंचाई होती है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले बारिश हुई, हमारे क्षेत्र में मूंगफली की पैदावार होती है, उसमें कुछ खराब भी हो गई। (1300/SK/RK)

नैफेड खरीद करती है वह राजफैड के थ्रू करती है। मूंगफली के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। किसानों का शोषण हो रहा है। वे पूरी रात ठंड के मौसम में बाहर लेकर बैठे रहते हैं।

मेरा अनुरोध है कि सरकार द्वारा इस बात को फोकस किया जाना चाहिए। नैफेड को निर्देशित किया जाना चाहिए कि खरीद पारदर्शिता से हो। 25 क्विंटल का मिनिमम कैप किसान पर लगा रखा है यानी एक किसान से 25 क्विंटल मूंगफली ही खरीदी जाएगी। मेरा निवेदन है कि इस कैप को हटाया जाना चाहिए। किसान की जितनी पैदावार हुई है, उसे खरीदने का कष्ट सरकार करे। मेरा यही अनुरोध सरकार से है।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री दुष्यंत सिंह को राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY):** Hon. Speaker, Sir, from Puducherry near about 1.5 lakh workers are enrolled in the ESI Corporation. Most of the family members of these workers are also included in the three lakh beneficiaries. So, in total 4.5 lakh people are enrolled in the ESI Corporation. There is no direct hospital facility for the workers in the ESI Corporation. So, I would request the ESI Corporation to set up a 100-bedded model hospital in Puducherry as then only the workers can get the facility of major operations like heart operation. At present, there is no operation facility and even the employees are not able to get reimbursement of their medical bills. Through hon. Speaker, I would request the hon. Minister to take steps to set up a hospital in Puducherry.

**SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET):** The Government of Andhra Pradesh has taken up a very important project of renovating all the primary and secondary Government schools. This is an important issue because the dropout rate has been very high in Andhra Pradesh. Through you, Sir, I would request two things from the Central Government.

In line with the Beti Bachao, Beti Padoos Yojana, there are more than 50 per cent girl students who are studying in the Government schools. I would request the Central Government to give 50 per cent matching grant to Andhra Pradesh so that the girl children will have good facilities to study in these Government schools.

Secondly, I would request the Government to integrate the schools' renovation with MNREGA so that all the works relating to painting and carpentry, and even construction of additional classrooms will provide employment to the local labourers.

**श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सीट बदलकर दी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। मैं साथ ही लोकसभा सचिवालय का आभार व्यक्त करता हूँ, खासकर मैडम सैक्रेट्री जनरल का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के बारे में बोलना चाहता हूँ। भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, गरीब लोगों के लिए काफी लोकप्रिय और महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार से निर्देश हुआ है कि जितनी भी स्कीम्स हैं, वहां की लोकल बॉडीज़, चुनी हुई इकाइयों के थ्रू लागू किया जाए ताकि सही में बेनिफिशरीज़ को लाभ प्राप्त हो सके। यह निर्देश भारत सरकार से जारी हुआ है।

हमने देखा कि इसके बावजूद भी जितनी भी योजनाएं हैं, उनको ठीक से लागू नहीं किया गया है। इसके पीछे कारण यह है कि लोकल बॉडीज़ को बाईपास किया गया है और सारी योजनाएं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पास रख ली हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों को सही से इसका लाभ नहीं मिला। इसके अलावा काफी कम्प्लेंट्स हुईं, भारत सरकार के सामने भी हुईं। केंद्र शासित प्रदेश या जहां एसेम्बली नहीं है, वहां केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि निर्देश जारी करे और जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक तरह से लागू की जाएं। इनके ऊपर ध्यान रखना भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए और इसके बावजूद भी इसे लागू नहीं किया गया।

(1305/MK/PS)

परिणाम यह हुआ कि काफी लोग परेशान हुए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि तुरंत दादरा और नागर हवेली में जो निर्देश जारी किए गए हैं, उनके बारे में फिर से बताया जाए कि उसको ठीक से लागू करें ताकि जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ अच्छी तरह से लोगों को मिले। यह मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूँ।

**SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR):** Hon. Speaker, Sir, just now, the matter was raised that due to dengue fever, 50,000 people have died. In Kolkata city, the death toll has gone up to 23, as per the report of the hon. Chief Minister. Kolkata is the only State, in India, where the hon. Chief Minister holds the portfolio of the Health Ministry. So, naturally, Health Department gets a major priority.

I have been appointed by the Government of India as the Chairman of the National Urban Health Mission for monitoring this situation for the city of Kolkata. I have been appointed by the Government of India and a letter has been issued from the hon. Speaker's Office.

So, I would like to say that the House should not be allowed to be confused because Health is a State subject. We are all concerned with the death of the children. We should all see that dengue is eradicated at an early possible time.

**श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा):** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बिहार राज्य के सहरसा जिला में कोसी नदी जो हिमालय से निकलती है, वह इस जिले से भी होकर गुजरती है। स्थिति यह है कि सहरसा जिला की दर्जनों पंचायत जो इसके पश्चिमी हिस्से में हैं, उनका सम्पर्क प्रखंड, अनुमंडल और जिला कार्यालय से कटा गया है, जिसके कारण वहां के लोगों को आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है। उन इलाकों में चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है और यदि कोई व्यक्ति रात में गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो उसको मरना ही पड़ता है। कोसी नदी एक प्रखर नदी है और उस पर जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक उस इलाके के लोगों का कल्याण नहीं होगा। उस इलाके को सिर्फ कोसी नदी ही नहीं बल्कि बागमती और कमला नदी भी पीछे से घेरती है। वहां के लोगों का जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उस इलाके के लोगों को भी सुविधा मिले। भारत सरकार डेंगराही घाट कठडूमर घाट में पुल का निर्माण कराए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यही मांग करता हूं।

**श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर):** अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जयपुर और नागौर जिले में विस्तारित और विश्व की सबसे बड़ी नमक की झीलों में से एक सांभर झील के अंदर लगातार पक्षियों की बहुत त्रासदी हो रही है। मैं एक मिनट में आपकी बात को समाप्त करूंगा। सांभर झील में हर साल हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस के साथ-साथ दूसरे पक्षी अपना जीवन चक्र बढ़ाने के लिए सांभर झील में आते हैं। मगर, दुर्भाग्य से 17 हजार से ज्यादा प्रवासी पक्षी काल-कवलित हो गए। देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी के रूप में विश्व के पटल पर एक बार फिर राजस्थान की नाकारा सरकार की वजह से कहीं न कहीं देश की साख पर सवाल उठा है। पन्द्रह दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सही रूप से यह पता नहीं चल पाया कि हजारों की तादाद में पक्षियों की मौत कैसे हुई। राजस्थान में जांच के लिए कोई लैब नहीं है। केंद्र से भी टीम गई थी, मगर पक्षियों का मरना अभी भी लगातार जारी है। केंद्र सरकार बड़े स्तर पर मानवीय दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए हस्तक्षेप करे और वहां बचे हुए पक्षियों का रेस्क्यू करवाए। रेस्क्यू में जो लापरवाही हुई है, उसकी उच्च स्तर पर जांच कराकर कार्रवाई करे।

इसका दूसरा कारण यह भी है कि बरसाती नदियों का सम्मिलित क्षेत्र में अतिक्रमण भारी तादाद में हो गया है। एक निजी रिसोर्ट को पूर्व की सरकार ने साल्ट लेक की जमीन लीज पर दे दी। लगभग 431 बीघा जमीन पर अतिक्रमण है। पक्षियों की त्रासदी का यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस पर एक उच्च स्तरीय निर्णय जरूरी है क्योंकि साल्ट लेक का मामला केंद्र से भी जुड़ा हुआ है और इसमें कहीं न कहीं राज्य सरकार की बड़ी लापरवाही है। आप इसके लिए तत्काल कदम उठाएं, नहीं तो साइबेरियन सारस खत्म हो जाएंगे, उनका यहां आना बंद हो जाएगा। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री सुमेधानन्द सरस्वती को श्री हनुमान बैनिवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1310/SNB/ASA)

DR. THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): The East Coast Road (ECR), State Highway 49, was the cynosure of all eyes during the visit of our dear hon. Prime Minister to Chennai, Tamil Nadu. It is very scenic and beautiful. But it is one of the most accident-prone fatal roads in Tamil Nadu, particularly in the Chennai area. The reason for the accident being high speeding, deep bends, black spots and rampant encroachments on both sides of the ECR. Though there are many reasons, the main cause for fatality is lack of a full-fledged hospital with real trauma and emergency care.

In 2016, the fatality rate in Tamil Nadu has been reported at 17000 which has alarmingly increased by 2019. There is already an existing Government hospital with seven beds at Injambakkam. But that is not a full-fledged hospital which cannot cater to the needs of an emergency.

Sir, so, through you, I would like to request to insist upon the State Government through the Central Government to construct a full-fledged multi-speciality Government hospital in Cholinganallur in my constituency for the sake of the people of Tamil Nadu.

**श्री सैयद इम्तियाज़ जलील (औरंगाबाद):** माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मालूम है कि सदन के अंदर बहुत सारे ऐसे माननीय सांसद हैं जो शिरडी के साईबाबा के भक्त हैं। शिरडी जाने के लिए जो रास्ता है और विशेषकर दक्षिण राज्यों से जो श्रद्धालु आते हैं, वे औरंगाबाद में उतरते हैं और औरंगाबाद से शिरडी की तरफ जाते हैं। यह रास्ता महज सौ कि.मी. का है लेकिन यह रास्ता इतना खराब है कि सौ कि.मी. ट्रेवल करने के लिए तीन-साढ़े-तीन घंटे लग जाते हैं। हमने पी.डब्ल्यू.डी मिनिस्टर साहब से अपील की है कि अगर औरंगाबाद और शिरडी को जोड़ने के लिए एक सुपर एक्सप्रेस-वे बनाया जाए तो यकीनन बहुत सारे श्रद्धालुओं को इसका फायदा मिलेगा और जो सफर तीन घंटे के अंदर कटता है, वह वे एक या सवा घंटे के अंदर वहां पर पहुंच सकते हैं और यकीनन वे जाते हैं तो दुआ मांगने के लिए जाते हैं। हमारी यह उम्मीद रहेगी कि वे वहां पर दुआ मांगें और अगर आप सुपर एक्सप्रेस-वे बनाने की इजाजत दे दें तो यकीनन वे लोग सरकार के लिए और आपके लिए भी दुआएं करेंगे।

**श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे फिल्म फेस्टिवल अटैंड करने के लिए चाइना जाना था। मेरा जो प्रोफेशन है, उसके लिए वहां जाना था। उसके साथ पॉलिटिक्स का कोई संबंध नहीं था। लेकिन वीसा के लिए वे लोग बोले कि होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से एन.ओ.सी. लेना चाहिए और आपको इनफॉर्मेशन देनी चाहिए थी जो हमने उनको दे दी। लेकिन इनफॉर्मेशन, एनओसी के लिए जो हैरिसमेंट हुआ, वह बताने के लिए मुझे दस जीरो ऑवर चाहिए। वह मैं छोड़ रही हूँ। लेकिन फिर भी जब मुझे वीसा भी मिल गया, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से मुझे एनओसी डिक्लाइन कर दिया गया और वह भी बिना किसी



कारण के डिक्लाइन कर दिया गया। मुझे जानना है कि मुझे एनओसी क्यों नहीं दिया गया? मैंने जब उनके ऑफिस में रीज़न जानने के लिए फोन किया तो वे लोग रीज़न बता नहीं सकते। लेकिन आपको इसमें इंटरफियर करना चाहिए क्योंकि मैं एम.पी. बन गई हूँ, इसलिए बाहर नहीं जा सकती। यह कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि उसी दिन हम लोगों के ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, ऐसे मत बोलिए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, जो सवाल उठाया है, वह सदन के पटल पर आ गया है लेकिन बोलते समय संयम भाषा में बात करें।

...(व्यवधान)

**श्री शंकर लालवानी (इन्दौर):** माननीय अध्यक्ष जी, जो करतारपुर कॉरीडोर माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने खोला है, उसके लिए पूरे देश भर से और खासकर सिख और सिंधी समाज की तरफ से मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूँ। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वहां जाने के लिए जो पासपोर्ट कम्प्लेसरी किया गया है, उसे बंद करना चाहिए।

(1315/RAJ/RU)

जो गरीब लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको वहां जाने के लिए सिर्फ पासपोर्ट बनाना पड़े, यह न्यायोचित नहीं है। पासपोर्ट की कंडीशन हटानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने 2000 रुपये या 1500 रुपये जो शुल्क रखा है, उसको भी अबॉलिश करना चाहिए। वह शुल्क भी नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान के श्रद्धालु अजमेर की दरगाह में आते हैं तो हम उनसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं। अगर लोग यहां से वहां माथा टेकने जाते हैं तो उनसे भी शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। यह आपसे अपील है।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री जसबीर सिंह को श्री श्री शंकर लालवानी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री गुमान सिंह दामोर (रतलाम):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र के दो जिले झाबुआ और अलीराजपुर में बीएसएनएल की सर्विसेज पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। वहां न तो लैंडलाइन के फोन चल रहे हैं और न ही बीएसएनएल के फोन चल रहे हैं। जब मैंने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बोला कि हमें पिछले पांच-सात महीनों से वेतन नहीं मिला, मजदूरों को देने के लिए पैसा नहीं है और जो केबल कट जाती है तो हमारे पास केबल भी नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस ओर विशेष ध्यान दे कर इस समस्या का निराकरण करें।

**SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI):** Sir, I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister, through you, regarding denial of students loan by the banks. Invariably all the banks are rejecting loans even for professional course students. This is so not only in my constituency but also in the whole of Tamil Nadu. When students approach the banks for loans, students

are asked for collateral security. How is it possible for the students to give collateral security? There is a clear verdict of the Supreme Court that even for Rs. 4 lakhs of loan, there is no need of collateral security. In this situation, the students end up in discontinuing the course or they proceed to moneylenders and ultimately, it leads to huge tragedy.

So, I kindly request the hon. Finance Minister to instruct the banks to give loans to the students who require them.

HON. SPEAKER: Shri DNV Senthilkumar S., is permitted to associate with the issue raised by Shri Gautham Sigamani Pon.

SHRIMATI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Sir, to Andhra Pradesh, a Central Tribal University was sanctioned. It was proposed to be set up in Relli village of Vizianagaram. Relli village was proposed to be the location of the permanent campus. However, on re-examination by the State Government, it was decided to locate it outside the scheduled area. Several representations were made by the tribal organisations to set up the Central Tribal University in the scheduled area only. For this, the Government of Andhra Pradesh identified 250 acres of land in Saluru of Vizianagaram as appropriate location for the Central University. The Secretary to the Government of Andhra Pradesh has already written a letter to the Ministry in this regard.

I request the Government of India to approve the shifting of the location of the Central Tribal University, AP from Relli village to Saluru in Vizianagaram district.

SHRI NITESH GANGA DEB (SAMBALPUR): Sir, I thank you for allowing me to speak on crop insurance and farmers' distress relating to my parliamentary constituency of Sambalpur of the State of Odisha.

My parliamentary constituency, Sambalpur, is located in the western part of Odisha. Farmers of my parliamentary constituency are on strike for the past almost 28 days. These small and medium farmers totally depend upon their farm produce for their livelihood. Natural calamities like cyclone and drought have destroyed their kharif crops. These farmers are leading a minimum standard of life. Kharif crop failure has taken away their smiles and happiness. They have travelled from pillar to post for getting crop insurance. I have also personally visited them during their strike. Instead of sending Crop Insurance Beneficiary Report to the Central Government, I am sorry to state that the Government of Odisha has held up this Report for almost nine months. This speaks of the negligence of the Government of Odisha towards farmers.

I condemn this attitude of the State Government. I recently came to know that the Government of Odisha has sent the list of crop insurance beneficiaries to the Central Government a few days back.

I urge the Central Government through you to release the crop insurance money to the farmers of my parliamentary constituency as early as possible.

(1320/NKL/VB)

Sir, I would also request, through you, the Central Government to increase the paddy price as recommended by the Swaminathan Committee, and to strengthen the *Mandis* to purchase paddy directly from the farmers. Thank you.

**श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश के इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से पूरे देश के वृद्ध महिला-पुरुष, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं की एक बड़ी और गम्भीर समस्या को सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ।

जब हम लोग गाँवों में घूमते हैं, तो हजारों लोग ऐसी शिकायत करते हुए मिलते हैं, ऐसे लोगों की संख्या मेरे जिले में लाखों की है और पूरे देश में उनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है। पहले जिनको पेंशन मिलती थी, आज वह बंद है, चाहे वह दिव्यांगजन, विधवा या वृद्ध के लिए हो। केन्द्र सरकार द्वारा भी पेंशन दी जाती है और उसमें राज्य सरकारों का अंश भी होता है।

इस समस्या को रखते हुए, इस संबंध में मैं भारत सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ कि सर्वे के कारण या किसी भी तकनीकी कारण से ऐसे लोगों के नाम छूट गये हैं या पहले जिन लोगों को पेंशन मिलती थी, किसी कारण से आज उनको पेंशन मिलनी बंद हो गई है, तो उसके लिए भारत सरकार फिर से सर्वे कराए। जब सर्वे होता है, तो एजेन्सियों की गलती के कारण, वैसे लोग जो इसके सही हकदार हैं, जो जेन्यून बेनिफिशियरीज हैं, उनके नाम छूट जाते हैं।

जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वे सांसद हों या विधायक हों, उनको भी पाँच-दस प्रतिशत छूट मिले और उनसे एक सर्टिफिकेट लिया जाए कि हाँ, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, यह सच में निर्धन और भूमिहीन हैं। इसलिए जो इसके हकदार हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। यह देश के करोड़ों लोगों के कल्याण की योजना है, जिसे मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहूँगा कि करोड़ों गरीब लोगों का भला होना चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री निशिकांत दुबे को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद):** सर, मैं आपका ध्यान मुरादाबाद के गरीब आर्टिजन्स की ओर दिलाना चाहता हूँ। ये इतने गरीब आर्टिजन्स हैं, जो दिनभर काम करते हैं, तो रात को रोटी नसीब होती है।

अचानक तुगलकी फरमान आता है कि उनकी भट्टियों को बंद कर दिया जाए। इस सिलसिले में हमने श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से बात की। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने पॉजीटिव रेस्पॉंस दिया। मुरादाबाद में पीएनजी लगाने का ऑर्डर दिया गया।

मेरी आपके माध्यम से दरखास्त है कि इनकी भट्टियों को उस वक्त तक न बंद किया जाए, जब तक पीएनजी वहाँ अवेलेबल न हो जाए। यह उनके डोर-स्टेप तक पहुँच जाए ताकि उनकी रोज़ी-रोटी चल सके।

हम सब जानते हैं कि पॉलूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन पॉलूशन के साथ-साथ भुखमरी या इलाज के अभाव में लोग मरने लगें, तो यह भी हमारे लिए एक शर्मनाक बात होगी।

**श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खरगौन लोक सभा क्षेत्र के तहत बड़वानी और खरगौन जिलों के ज्वलंत मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

इस वर्ष दोनों जिलों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण काफी नुकसान हुआ है। यह क्षेत्र सफेद सोने के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर काफी कपास होता है। परन्तु मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा मेरे किसान भाइयों का व्यवस्थित रूप से सर्वे न करने और सही मूल्यांकन न करने के कारण उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। बीमा कम्पनियों द्वारा भी सर्वे किया गया है। परन्तु कई किसानों द्वारा शिकायत करने के बाद भी आज तक हमारे किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ ताकि मेरे किसान भाइयों को शीघ्र ही लाभ मिले। बीमा कम्पनियों से लाभ दिलाएँ ताकि किसानों का हित हो सके।

(1325/PC/SRG)

**SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR):** Thank you very much, Speaker Sir, for giving me this opportunity. One Boya community, known as Valmikis, is the largest living community in Rayalaseema region of Andhra Pradesh. Boyas are known for their bravery, courage, fearlessness, values and loyalty. They are one of the ancient tribes, particularly war tribes. They fought many battles. In earlier days, they served kings and kingdoms like Cholas, Chalukyas, Kakatiya and Vijayanagar with utmost loyalty, valour and values. In the British era, Boya Valmikis were treated as criminal tribe and habitual offenders. In the recent past, Boya Valmikis are being used by warlords, highly influenced politicians, factionists and Naxals for anti-social activities. Due to their innocence, illiteracy, backwardness, Boya Valmikis were involved in brutal killings and as a result of that, if they died, they went to graveyards. If they did not die, they went to jails. Boya Valmikis are known for their loyalty and fighting spirit. They have good qualities, but they are being misused by highly influenced, anti-social elements.

So, I request the Union Government, through you, to set up one Boya Regiment exclusively, so that Boya youths can be inducted and they can fight for the country. They will defend the country from enemy countries.  
...(Interruptions)

More so, in Telugu States, Boya Valmiki who are residing in plain areas are treated as backward classes. The same community in adjoining areas of Telugu States are in ST category. ...(*Interruptions*). I request the Government to remove this discrimination and do justice to Valmiki who are living in plain areas by granting them ST status.

**श्री जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल (महाराजगंज) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे जनहित के एक महत्वपूर्ण मामले पर बोलने का अवसर दिया है।

महोदय, पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने एक बहुत महत्वकांक्षी योजना के तहत लोक सभा स्तर पर पासपोर्ट ऑफिस खोलने का निर्णय लिया, जो कि देश के बहुत सारे लोक सभा क्षेत्रों में खोला भी गया।

महोदय, मैं बिहार के महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अभी तक महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र में पासपोर्ट ऑफिस नहीं खुल पाया है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पासपोर्ट ऑफिस न खुलने का जो कारण है, वह वहाँ का वरीय डाक अधीक्षक है। मैं चाहता हूँ कि उन वरीय डाक अधीक्षक के मनमानेपन पर आप अपने स्तर से एक निर्देश दें, जिससे उन पर रोक लगाई जाए। मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार वे अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के पदस्थापन में भी काफी अनियमितता बरतते हैं। उनके माध्यम से कर्मचारियों को भी काफी परेशान किया जाता रहा है। ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। विभाग कार्रवाई कर के ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर के कठोर सजा दे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ।

महोदय, महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र में शीघ्र पासपोर्ट ऑफिस खुले, ऐसा निवेदन करते हुए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों के अविलंब लोक महत्व के विषय मुझे मिले हैं, मैं बिल पारित होने के बाद प्रयास करूँगा कि उन माननीय सदस्यों को समय दे सकूँ।

सभा की कार्यवाही दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

1329 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(1430/KDS/RP)

1433 hours

*The Lok Sabha re-assembled at thirty-three minutes past Fourteen of the Clock.*

(Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

### MATTERS UNDER RULE 377

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Now, submissions under Rule 377. Shri. C.P. Joshi – Not present.

Shri Vinod Kumar Sonkar.

#### **RE: Need to set up a campus of Allahabad University and a Kendriya Vidyalaya in Kaushambi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh**

**श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी):** आज देश में विशेषतः पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले छात्र/छात्राओं के लिए अच्छी शिक्षा के उचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास धन और अन्य साधनों की कमी है। हालांकि, केन्द्र सरकार ने शिक्षा के गहन अध्ययन हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की है और इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कैम्पस निकटवर्ती क्षेत्रों में खोलकर छात्र/छात्राओं को अच्छी और सस्ती शिक्षा की व्यवस्था की है। चूंकि बिना शिक्षा के जीवन लक्ष्य रहित और कठिन हो जाता है, इसलिए शिक्षा के महत्व और दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता को समझते हुए विशेषतः देश के पिछड़े क्षेत्रों में छात्र/छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

(1435/MM/RCP)

मेरा संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी एक अति पिछड़ा हुआ अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक कैम्पस खोलने एवं केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की मांग विगत काफी समय से की जा रही है। लेकिन अभी तक यहां पर न तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कैम्पस खोला गया है और न ही केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने हेतु कोई कदम उठाया गया है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक कैम्पस खोलने के साथ-साथ वहां पर एक केन्द्रीय विद्यालय की भी स्थापना किए जाने हेतु शीघ्र कदम उठाए, ताकि स्थानीय गरीब छात्रों को सुगमता से शिक्षा प्राप्त हो सके।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Shrimati Poonamben Hematbhai Maadam – not present.

**Re: Need to set up an IT University in Dhanbad district, Jharkhand**

**श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद):** महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र धनबाद (झारखंड) में आईटी यूनिवर्सिटी न होने से, होने वाली समस्या पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। झारखंड राज्य में आई.टी. यूनिवर्सिटी नहीं रहने के कारण झारखंड राज्य के बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। इस राज्य के लोग काफी गरीब हैं और बड़ी संख्या में आदिवासी हैं, जिन्हें बाहर जाकर पढ़ने में काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।

अतः सरकार से सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि झारखंड राज्य के धनबाद जिले के सिन्द्री में आई.टी. यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए जहाँ पर सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज बिरसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आई.टी. यूनिवर्सिटी बनायी जाए। (इति)

---

HON. CHAIRPERSON: Dr. Sujay Vikhe Patil – not present.

Shrimati Raksha Nikhil Khadse – not present.

Shri Rajendra Agrawal – not present.

**Re: Need to organise a 'Krishi Mela' in Gorakhpur Parliamentary constituency, Uttar Pradesh**

**श्री रवि किशन (गोरखपुर):** महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक प्रमुख महानगर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल है। गोरखपुर और इसके आस-पास बड़ी संख्या में चीनी मिलें स्थित हैं। पूर्वांचल की भूमि उपजाऊ है। यहाँ अन्य फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन इस क्षेत्र की उर्वर भूमि की इष्टतम क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है। किसानों को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में आधुनिक कृषि तकनीक के इस्तेमाल का महत्वपूर्ण योगदान है। समय-समय पर कृषि विशेषज्ञों से किसानों को प्राप्त उचित मार्गदर्शन से भी कृषि पैदावार में वृद्धि होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि गोरखपुर में प्रति वर्ष एक किसान मेले का आयोजन करने की कृपा करें। इससे इस क्षेत्र के किसानों को अनेकानेक लाभ होंगे और कृषि पैदावार में कई गुना वृद्धि होगी। कृषि मेले में किसानों को अद्यतन कृषि तकनीक, उच्च कोटि के बीज, उपयुक्त उर्वरक के बारे में विशेषज्ञों की राय मिलेगी और उनके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी किसान मेला बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। अतः इस संबंध में मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में कृषि मेले का आयोजन करने की कृपा करें। (इति)

---

(1440/GG/SMN)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Subhash Ramrao Bhamre – not present.

**Re: Need to provide financial assistance to farmers who suffered loss of crops due to heavy rains in Dhar Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh.**

**श्री छतरसिंह दरबार (धार):** महोदय, यदि हमारे देश का कृषि क्षेत्र मजबूत हो जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। देश के कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुधारने, कृषि के विविधिकरण वाली बुनियादी सुविधाओं और उच्च मूल्यवाली आपूर्ति श्रृंखला से छोटे किसानों को जोड़ने से लघु और सीमांत कृषकों की आय में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि जब तक समाज का यह बड़ा वर्ग गरीबी से पीड़ित रहेगा तब तक हमारे समग्र आर्थिक विकास का कोई महत्व नहीं होगा। पिछले कुछ वर्षों से लघु और सीमांत किसानों की स्थिति और ज्यादा खराब हुई है। हमारे मध्य प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र धार के किसानों की फसलें इस बार अतिवृष्टि के कारण विनष्ट हो गई हैं। सरकार से मेरा आग्रह है कि किसान सम्मान निधि की तर्ज पर सभी किसानों के खातों में एक वाजिब रकम तत्काल अंतरित की जाए, जिससे इन्हें वर्तमान खराब स्थिति का सामना करने में मदद मिल सके तथा वे अगली फसल की बुआई आदि कर सकें।

(इति)

---

**Re: Need to grant patta to people dwelling in reserve forest areas in Bharuch Parliamentary Constituency, Gujarat.**

**श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरुच):** महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच के अन्तर्गत एवं नर्मदा में रिजर्व फारेस्ट एरिया के लोग मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं। उन लोगों को यातायात के लिए सड़कों का आभाव है और उनके खेतों को पानी नहीं मिलता है। उनके बच्चे स्कूल के अभाव में शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसका कारण यह है कि वन संबंधी जो कानून हैं, उनके कारण सड़कें नहीं बन पाती हैं, स्कूल नहीं बन पाते हैं तथा सिंचाई के लिए चैकडैम नहीं बन पाते हैं।

केन्द्र सरकार का कहना है कि विकास संबंधी कार्यों में कोई देरी नहीं होती है, परन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र में आदिवासियों की मौलिक सुविधाओं के लिए जो निर्माण कार्य होने हैं उन्हें अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। इन सबके कारण वनों में रहने वाले वनवासी लोग शहर जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। हमारे क्षेत्र में वनभूमि के पट्टों का अधिकार कई लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

मेरा सरकार से इस संबंध में आग्रह है कि आदिवासियों को तत्काल वन भूमि के पट्टों का अधिकार दिया जाए।

(इति)

---



**Re: Financial assistance to farmers who suffered loss of crops due to heavy rains in Tikamgarh Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh.**

**डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** महोदय, मध्य प्रदेश में मेरा संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ विकास के हिसाब से अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृष और पशुपालन है। इस बार मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा के कारण पूरे बुंदेलखंड और बघेलखंड के किसान भीषण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वर्षा के कारण फसल नष्ट हो जाने की वजह से किसानों की हालत अति दयनीय हो गई है। सरकार की किसान सम्मान निधि किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में सम्मान निधि बिल्कुल अपर्याप्त है।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि सम्मान निधि की तरह ही पीड़ित किसानों के खातों में एक वाजिब रकम तत्काल अंतरित की जाए, जिससे किसान अगली फसल की तैयारी के साथ अपना जीवनयापन कर पाएं।

(इति)

---

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Smt. Meenakshi Lekhi – Not present.

**Re: BPCL disinvestment**

**SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM):** The in principle decision to disinvest 53.29% stake held by the Government in BPCL along with management control for about USD 10 billion is detrimental to the national interest and foundational strategic imperatives envisaged through the establishment of the PSU.

With an asset spread of Rupees eight lakh crore, Gross Revenue from operations for 2018-19 at Rs. 3,37,622.53 crore and registering a profit of Rs. 13,000 crore besides being the torchbearer of social justice, in terms of employment opportunities to the SC/ST/OBC/Minorities & disadvantaged groups and primary source of access to affordable energy resources to target beneficiaries of PAHAL (DBTL), I urge upon the Union Government to revoke the decision to disinvest the BPCL forthwith and ensure the Maharatna public sector's survival for the benefit of the nation.

(इति)

---

(1445/MMN/KN)

**Re: Providing Ex-servicemen status to retired employees of GREF**

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): The General Reserve Engineer Force was created in 1960 and it was made permanent in 1969. The structure of the Force was on the same pattern as that of the army. The army officers and subordinate personnel are posted to GREF as it is done in any other army formations. In 2015, GREF has been brought under the Ministry of Defence. The hon. Supreme Court of India in its landmark judgment on 6<sup>th</sup> May, 1983 in the case of R. Viswan & Others Vs. Union of India and others held that GREF is an integral part of armed forces of India and various other hon. courts in the country also held the same view. Vide Notification BRDB No.F81(1)84.Estt/70463/DGBR/E2A(T&C) dated 14<sup>th</sup> August, 1985, the GREF was declared as an integral part of armed forces of India. Therefore, it is urged upon the Government to provide Ex-Servicemen status to the retired employees of GREF. (ends)

---

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Shri Benny Behanan – Not present.

Shri A. Ganeshamurthi – Not present.

**Re: Water problem in Perambalur Parliamentary Constituency,  
Tamil Nadu**

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): The lake Panjapatti in my Perambalur Constituency, Tamil Nadu is water-starved. This water body covers about 1,000 acres and has the capacity to cater to the water needs of 30 villages in the vicinity. The water from this lake is used extensively for irrigating agricultural lands and other potable needs. However, this lake has been neglected and it is dry now.

During the rainy season, the Cauvery River overflows. The excess water is not stored and most of the time it is drained into the sea. I suggest that this excess water can be stored by channelizing it into such lakes and water bodies instead of draining them into the sea wastefully. If this water is diverted to lakes, apart from filling so many other small lakes on the way, it will not only just increase the groundwater level but also serve agriculture and drinking water purposes. This is also a way of potentially solving drinking water crisis problems permanently.

So, I urge upon the Ministry of Jal Shakti, through this august House, to solve this dire water problem in my constituency by some feasible mechanism. (ends)

---

(1450/VR/CS)

**Re: MVA charges being collected by the Power Grid Corporation**

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): The Power Grid Corporation of India Limited is collecting MVA charges for the power supply receiving at APTRANSCO substations at higher rates. The charges being paid by Andhra Pradesh come around Rs.85 to 100 crore towards power supply transmitting charges every month to the Power Grid Corporation of India Limited for taking power from Central Generating Stations NTPC for 2500 MW. Whether the Power Ministry propose to reduce MVA charges being collected by the Power Grid Corporation of India Limited to reduce the financial burden on Andhra Pradesh Discoms because Andhra Pradesh is a newly formed State.

(end)

---

**Re: Payment of salaries to employees of BSNL and MTNL**

श्री राहुल रमेश शेवले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महोदय, लोकतंत्र में ऐसी धारणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ लोगों का विश्वास है कि सरकार हमेशा उनकी रक्षा करेगी। परन्तु पिछले कुछ समय से देश के पीएसयूज की वर्तमान स्थिति काफी परेशान करने वाली है। इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने कर्मचारियों को उनकी सैलरी के भुगतान पर लगातार देरी कर रही हैं। पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है और न ही त्योहारों पर उनको कोई इन्सेंटिव मिला है। यह बेहद निराशाजनक स्थिति है। कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में यह देरी उनके परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। कई परिवारों में कर्मचारी एकमात्र कमाने वाला होता है और इस स्थिति में रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। यह स्थिति सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है कि सरकार निजी क्षेत्र के लिए किस तरह का उदाहरण पेश कर रही है। इस विषय पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह तुरन्त ही इन उपक्रमों के कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान करे।

(इति)

---

(1455/RV/SAN)

**Re: Rail connectivity in Gopalganj district, Bihar**

**डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज):** माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज से काफी संख्या में लोग इलाज कराने, पढ़ने एवं व्यापार के लिए विभिन्न महानगरों में जाते हैं। गोपालगंज जिले से कोई भी सीधी ट्रेन दिल्ली के लिए नहीं है। गोपालगंज जिले की जनसंख्या लगभग 26 लाख है।

अतः माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से सादर आग्रह है कि वैशाली एक्सप्रेस, बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस तथा अन्य मेल एक्सप्रेस को डायवर्ट कर गोपालगंज-थावे जं० होते हुए नई दिल्ली के लिए चलाने की कृपा की जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्रवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

(इति)

---

HON. CHAIRPERSON (SHRI N.K. PREMACHANDRAN): Shri K. Navaskani – not present.

**Re: Compensation to people affected due to natural calamities in Rajasthan**

**श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर):** माननीय सभापति महोदय, आपदा प्रबंधन विभाग से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जनहानि/पशुधन हानि/फसलों के नुकसान सहित अन्य नुकसानों में राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन से मिलने वाली राशि अत्यंत कम है, जिसकी वजह से वास्तविक नुकसान की एक तिहाई भरपाई भी नहीं हो पाती है। वहीं राज्य सरकार भी उक्त सहायता राशि के लिए केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा राहत कोष पर निर्भर है और हाल ही में राजस्थान में अतिवृष्टि व बाढ़ से हुए नुकसान से राहत के लिए केन्द्र सरकार को 2645 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग हेतु पत्र भी प्रेषित किया था। मैं आपका ध्यान आपदा प्रबंधन के नियमों व फसलों के नुकसान के लिए तय शर्त की तरफ आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के लिए नियमों व शर्तों में इस पर बदलाव किया जाए, जिससे कि खेत के खसरे को ईकाई मानकर वास्तविक नुकसान की भरपाई हो सके। साथ ही राजस्थान राहत कोष में ऐसी कई आपदाएं शामिल हैं जो राष्ट्रीय आपदा कोष की सूची में वर्णित नहीं हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय आपदा कोष में सम्मिलित करने तथा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के एवज में मिलने वाली राशि को दोगुना करने हेतु सरकार को निदेशित करें।

(इति)

---

**Re: Need to include Pratapgarh district of Rajasthan in Tribal Circuit**

**श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़):** महोदय, संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का जनजाति बाहुल्य जिला प्रतापगढ़ कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। आज भी यहां के निवासियों की जीवनशैली, खान-पान, त्यौहार, रीति रिवाज में अपनी पुरानी संस्कृति की अमिट छाप दिखाई देती है। प्रतापगढ़ क्षेत्र एक पहाड़ी एवं वनीय क्षेत्र होने के साथ-साथ पठारी भाग पर बसा है। यहां पर पर्यटन की प्रचुर संभावना है, भरपूर प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ-साथ प्राचीन पुरातात्विक स्थलों, विशेष खान-पान व आज के आधुनिक युग के दौर में भी वो प्राचीन सी परम्परागत संस्कृति यथा नृत्य, संगीत, पहनावा, भाषा शैली, खेल तथा सोने पर की जाने वाली थेवा कला अपने आप में एक महत्वपूर्ण ही पहचान बनाते हैं।

मेरा आग्रह है कि प्रतापगढ़ को ट्राइबल सर्किट में शामिल किया जाये जिससे इनकी संस्कृति का संरक्षण हो एवं स्वरोजगार को प्रात्साहन मिले।

(इति)

---

**Re: Need to provide financial assistance to farmers in Maharashtra who suffered loss and damage to their crops caused by unseasonal rains in the State**

**डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर):** महाराष्ट्र में बेमौसम वर्षा से हुए नुकसान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दिए जाने की आवश्यकता है।

(इति)

(1500/MY/RBN)

**Re: RCS UDAN Scheme**

**श्रीमती रक्षा निखिल खडसे (रावेर):** RCS UDAN स्कीम के तहत देश में बहुत छोटे शहरों को बड़े शहरों से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। ऐसे कई छोटे एयरपोर्ट्स पर प्राइवेट एयर ऑपरेटर्स ने हवाई सफर की शुरुआत की है। RCS UDAN स्कीम के तहत प्राइवेट एयर ऑपरेटर्स को इस रूट के अलावा और एडिशनल रूट अलॉट किए हैं, जो इन ऑपरेटर्स को फायदेमंद है। यह प्राइवेट एयर ऑपरेटर ऐसे फायदेमंद रूप पर अपनी एयर सेवा अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं और RCS UDAN स्कीम के रूट पर सरकार द्वारा जारी किए रूट पर एयर सेवा में ज्यादातर समय अलग-अलग कारण बताकर फ्लाइट कैंसल करती हुई नजर आ रही हैं। RCS UDAN स्कीम के रूट पर स्थापित इन एयरपोर्ट्स पर रात में लैंडिंग की व्यवस्था न होने के कारण भी यह एयर ऑपरेटर कई बार इस कारण का आधार लेकर फ्लाइट कैंसल कर रहे हैं। जलगांव एयरपोर्ट में इसी RCS UDAN स्कीम के तहत कुछ रूट को अलॉट किया गया है। इन रूट पर ज्यादातर समय फ्लाइट कैंसल हुई हैं।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि ऐसे सभी RCS UDAN स्कीम के रूट पर अलॉट किए हुए प्राइवेट एयर ऑपरेटर की समीक्षा करें और उन्हें इस स्कीम के तहत अलॉट किए हुए रूट पर एयर सेवा ऑपरेट करने के निर्देश दें। ऐसे एयरपोर्ट्स जहां नाइट लैंडिंग की व्यवस्था नहीं है, वहां जल्द से जल्द यह सुविधा प्रदान करने के लिए प्रावधान करें। RCS UDAN स्कीम के रूट पर रेगुलर एयर सेवा सुविधा उपलब्ध करने की यह मांग मैं सदन के माध्यम से करती हूँ।

(इति)

**Re: Need to review the residential and other amenities provided to central civil servants in the country**

**श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):** महोदय, देश को आजाद हुए 72 वर्ष से अधिक हो गए, परंतु आज भी हमारी अनेक व्यवस्थाएं सामंती युग का स्मरण दिलाती हैं। जिला तथा इसके मंडल मुख्यालयों पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के आवास इसके उदाहरण हैं। अनेक स्थानों पर ये आवास कई एकड़ में फैले हैं। इनमें खेती भी होती है तथा अन्य कार्यों को करने के लिए राजकोष से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी सेवा में रहते हैं, जिनकी संख्या 20-25 अथवा 50 तक भी होती है। उपरोक्त प्रकार के बंगले तथा राजसी व्यवस्थाएँ जहां एक ओर इन अधिकारियों को जनता के सेवक के स्थान पर जनता का अहंकारी मालिक बनाती हैं, वहीं आम आदमी अपनी व्यथा इनके सामने रखने का साहस नहीं जुटा पाता।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के आवास तथा व्यवस्थाओं के संबंध में ऐसे नियम निर्धारित किए जाएं, जो लोकतंत्र की भावना के अनुरूप हों।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N.K. PREMACHANDRAN): Dr. Subhash Ramrao Bhamre – not present.

**Re: Need to address Tuberculosis disease**

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Drug-resistant Tuberculosis is a public health issue and India faces the highest burden of the disease in the world. According to WHO data, in 2017, 410,000 people succumbed to the disease and an additional 11,000 deaths have been estimated among HIV patients.

People from socially and economically disadvantaged groups and with compromised immune system face the brunt of this disease. The Government interventions in the form of Revised National Tuberculosis Control Programme (RNTCP) and Direct Benefit Transfer through NIKSHAY and National Strategic Plan (NSP) are necessary. However, civic responsibilities are also crucial.

Hence, I urge the House to kindly treat this as an issue of high priority.

(ends)

HON. CHAIRPERSON: Shri Benny Behanan – not present.

**Re: Inclusion of Gloriosa Superba, a species of a flowering plant in the list of approved medicinal plants**

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): Gloriosa Superba is a species of a flowering plant which is grown in a large area of more than 5,000 acres in Tiruppur, Karur, Dindigul and Erode districts of Tamil Nadu. The seeds of this plant have medicinal value. Approximately one lakh tonnes of seeds of this Gloriosa Superba plant were exported. There is a market value in foreign countries knowing the importance of this medicinal plant. Since it is a medicinal plant its value increases due to its large scale exports. The price value is high for this plant in foreign countries. Some businessmen and business organisations procure this medicinal plant on a large scale from the farmers at a low price and sell them abroad at a high price. Gloriosa Superba seeds are not found in the list of medicinal products or farm products of the Government of India. Due to this, farmers do not get remunerative price for the plants grown by

them which makes them unable to get collateral loans from banks. As many as 10,000 small farmers are affected.

I, therefore, urge upon the Union Government to include Gloriosa Superba plant in the approved list of medicinal plants besides making arrangements for direct procurement of those plants so that farmers can get remunerative prices for their produce.

(ends)

(1505/SM/CP)

**Re: Waqf properties**

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Under Islamic law a Waqf is an inalienable charitable endowment for religious or humanitarian activities. Waqf properties are spread over six Lakh acres across the country with an estimated market value of Rs 1.20 Lakh crore according to the Ministry of Minority Affairs and there are about 512556 registered and non-registered Waqf properties across the country. But a major part of these properties are under encroachment and many cases were registered for fraudulent sale of these massive resources. More than 3000 cases of encroachment of Waqf properties have been filed over the past three years but no strict action has been taken against the accused.

It is my humble request to Hon'ble Minister of Minority Affairs to ensure the properties are used for the socio economic and educational empowerment of minorities. Necessary steps should be taken to digitise records of all the Waqf Boards and extend all support to state bodies in this connection.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N.K. PREMACHANDRAN): Now the matters listed under Rule 377 are over. We will resume the discussion on Chit Funds (Amendment) Bill, 2019.



## CHIT FUNDS (AMENDMENT) BILL – contd.

1505 hours

HON. CHAIRPERSON: Shri Jasbir Singh.

SHRI JASBIR SINGH (DIMPA) GILL (KHADOOR SAHIB): Thank you, Chairman, Sir, to allow me to speak on this Bill. Chit fund is the oldest and native business in India.

1506 hours

(Shri P.V. Midhun Reddy *in the Chair*)

But 99 per cent of this business is unregistered or unregulated, as we can say. This Bill, I feel, has just got cosmetic changes. It is a paper tiger or toothless tiger because nothing but just the terms have been changed.

In this Bill, foreman has got his security. His commission has been increased from 5 to 7 per cent. He can withhold the payment of the group members to a certain extent. You can look into the chit fund scams which have been in the newspaper and they have been very widely reported. Most of the foremen are the companies which conduct the chit funds. They have run away with thousands of crores of people's money. But the common people have not been given any kind of security.

यहां पर कोई भी प्रोविजन पीनल एक्शन के लिए या कोई नोडल आफिसर अप्वाइंट नहीं किया गया। अगर आप ड्राफ्ट बिल को देख लें, तो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको उनके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। जो वे पैसे देते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अगर उनके साथ धोखा होता है, तो वे अपने पैसे कैसे रिकवर करेंगे, उनको कैसे सिक्योर किया जाएगा, यह कहीं भी मंशन नहीं है। इस बिल में यह कहीं भी मंशन नहीं है कि एक फोरमैन या जो कंडक्टिंग कंपनी है, वह कितने ग्रुप्स चला सकती है। मेरा मानना है कि इसको हमें रेग्युलेट करना चाहिए। इसकी गिल्टी पर विराम लगाना चाहिए, ताकि कोई बड़ा घपला, कोई मैग्नीट्यूट का फ्रॉड, जैसे हमें पीछे देखने को मिला कि बहुत बड़े-बड़े अमाउंट के फ्रॉड हुए हैं, उससे लोगों को बचाया जा सके।

सर, इस सारे बिल में जाएंगे, तो इसमें कहीं भी कोई रेग्युलेटर नहीं है। जैसे छोटे लेवल पर इसे रेग्युलेट करने के लिए, देख-रेख करने के लिए कांटीब्यूटर्स की कोई छोटी-छोटी शिकायतें रहती हैं, ईवेन अगर फोरमैन की भी शिकायत हो, तो सब डिवीजनल लेवल पर जैसे एसडीएम रहते हैं, कोई गलत नहीं कर रहा, कोई हेराफेरी नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से उनको एक तरह का लोकल लेवल तक रेग्युलेटर लगा देना चाहिए। यह 50 रुपये, 100 रुपये से शुरू होकर बड़े शहरों में ज्यादा अमाउंट तक जाता है।

सर, यह देखने को मिला है, जैसे मैं अमृतसर से हूँ, अमृतसर सोने के व्यापार की एक बहुत बड़ी मंडी है, अमृतसर के गहने काफी फेमस हैं। वहां पर जितनी स्वर्णकार बिरादरी है, वे भी अपना एक चिटफंड चलाते हैं।

(1510/NK/AK)

वह भी एक अपना चिट फंड चलाते हैं, मगर उसमें कन्ट्रीब्यूशन पैसे से नहीं किया जाता है बल्कि उसमें हर आदमी और हर ग्रुप मेंबर एक सर्टन अमाउंट सोना या चांदी का देता है, वे ड्रा भी सोने या चांदी में निकालते हैं, पैसे में नहीं निकालते हैं। अगर हम इसे एलाउ कर दें कि पैसे के अलावा हम सोने-चांदी में भी कन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जो इल्लीगल काम चल रहा है उसे हम एक लीगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे रेग्युलेट कर सकते हैं। सभी का पैसा है, चाहे वह सोना-चांदी या रुपये में हो, उसका ख्याल रखा जा सके। माननीय मंत्री अनुराग जी से मेरी दरख्वास्त है।

हमारे देश में गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि हम प्लास्टिक मनी की तरफ जाएं। मगर इस बिल में कहीं भी नहीं लिखा कि क्या यह पैसा चेक से देना है या कैश में देना है, ऑनलाइन देना है या क्रेडिट कार्ड से देना है। अगर इसी तरह कैश से चलता गया तो ब्लैक मनी ही यूज होगी। इसे रेग्युलेट करने और इस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ परसेंटेज कैश भी एलाऊ कर दें। अगर इसे अच्छी तरह से रेग्युलेट करना है तो उसे चेक से पेमेंट करने का प्रावधान करना चाहिए। इस पर बहुत हैरानी वाली बात है ये छोटे-छोटे लोग गुप्स में चलते हैं। एक गांव में दस महिला इकट्ठा होकर अपने लिए कर लेंगी, बड़े ऑफिसर्स के वाइफ और स्पाउस के लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स भी है। They will organize a kitty party in a big hotel. चिट-चैट करेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन भी दे देंगे। बैंक को जीएसटी से बाहर किया जा सकता है। चिट फंड पर बारह परसेंट जीएसटी लगाना अन्याय है, इसे बाहर रखना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री अनुराग जी से रिक्वेस्ट करूंगा, भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है। हमारी टोपोग्राफी, जियोग्राफी और फाइनेन्शियल कन्डीशन और सोशल कन्डीशन काफी में फर्क है। पंजाब में एक कहावत है दस कोस, which is approximately 2.5 kilometres दस कोस पर हमारी लेंगेज बदल जाती है, इनको सेंट्रलाइज्ड करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप इसको रेग्युलेट करने की मेक्सिमम पॉवर और लिमिट्स फिक्स करने के लिए स्टेट को ऑथराइज करें। इसी के साथ मैं अपनी बात रखते हुए आपका फिर से धन्यवाद करता हूं।

(इति)

1513 बजे

**डॉ. सुभाष सरकार (बंकुरा):** सभापति महोदय, आपने मुझे चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019 बिल पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019 का मैं समर्थन करता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी है। प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शी व्यवस्था हो, उसी तरह से व्यवसाय सुगम हो, काम करने में आसानी हो, इसके साथ-साथ व्यवसाय भी सिस्टम में आ जाए, यह हमारी सरकार और प्रधान मंत्री जी की सोच है।

(1515/SK/SPR)

इसके लिए सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। पिछले दिनों देश के विभिन्न भागों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें गैर कानूनी तरीके से जमा राशि संबंधी योजनाओं के जरिये लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। इस तरह की योजनाओं का सबसे अधिक शिकार कौन होता है? सबसे ज्यादा गरीब लोग इसका शिकार बनते हैं। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ, मैं जानता हूँ कि गरीब लोगों को कितना दुख हुआ, कितने लोगों का हजारों करोड़ों रुपया चला गया। मैंने आंखों से देखा है कि कितने गरीब आदमियों का पैसा गया, कितने एजेंट्स घर से बाहर हो गए, महीना भर इधर से उधर घूमते रहे। लोगों की कंडीशन कितनी बुरी हो गई थी।

चिट फंड के नाम से बहुत घोटाले सामने आ चुके हैं। यह देश के कई राज्यों में फैला हुआ है जैसे ओडिशा, असम आदि। इस बिल पर काफी चर्चा हो गई है, इसलिए मैं ज्यादा बातें दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ, इस संशोधन में सरकार जो प्रस्ताव लाई है, वह स्वागत योग्य है। इस विधेयक से चिट फंड योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और ग्राहकों को सुरक्षा मिलेगी। इस विधेयक में अधिनियम की धारा-2 के अनुबंध बी में देखिए, परिभाषा कैसे बदल रही है। सरकार की सोच कितनी सुंदर है। परिभाषा में 'बंधुत्व फंड' और 'आवर्ती बचत और क्रेडिट संस्थान' जोड़ा गया है, जो चिट को परिभाषित करता है। इसमें चिट फंड द्वारा लोगों की आर्थिक समस्या का समाधान करने की व्यवस्था का भी स्वागत है।

विधेयक में व्यक्ति के लिए निर्धारित कुल चिट राशि की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है। जो कंपनी छः आदमी की है, उसे छः लाख रुपये से बढ़ाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है। इस विधेयक में खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसमें दो ग्राहकों की उपस्थिति या तो व्यक्तिगत रूप से या फोरमैन द्वारा विधिवत रिकार्डिंग वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनिवार्य की गई है। यह अधिनियम की धारा 16 की उपधारा-2 के तहत आवश्यक है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को दो सुझाव देना चाहता हूँ। आपने 18 लाख रुपये तो किया ही है, इसके साथ ही डिडिडेंड और प्राइस शब्दों को हटाकर शेयर आफ डिस्काउंट किया है। यह बहुत अच्छा है। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन शेयर आफ डिस्काउंट की एक लिमिट होनी चाहिए। नहीं तो शेयर आफ डिस्काउंट में चिट फंड के ख्वाब दिखा देंगे और फिर लोगों का पैसा जमा करेंगे। इससे कोई बड़ी कंपनी छोटे चिट फंड से पूरा चैनल बना सकती है। इसे रोकने के लिए शेयर आफ डिस्काउंट में लिमिटेशन होनी चाहिए ताकि ग्राहकों तक झूठे ख्वाब न पहुंचें।

एक्टिविटी की कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। जहां चिट फंड का आफिस हो, उसकी एरिया ऑफ एक्टिविटी 20 किलोमीटर रेडियस की लिमिटेशन में होनी चाहिए।

(1520/MK/UB)

ऐसे लिमिटेशन होने चाहिए। तब शायद सीआरएफ डिस्काउंट ज्यादा दिखाकर ज्यादा ख्वाब दिखाया, जो पहले हुआ था, वह बंद हो सकता है। सरकार जिस प्रावधान के लिए आई है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा सदन इससे सहमत होकर एक साथ मिलकर यह बिल पास कर दे, नहीं तो हमें ऐसा लगेगा, जैसे ... *(Not recorded)* जो इसका विरोध करेंगे तो हमें लगेगा कि... *(Not recorded)* ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मिलकर यह बिल पास कर दीजिए।

(इति)

1521 बजे

**श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर):** सभापति महोदय, आज चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019 पर चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से इससे पूरा देश पीड़ित है। आजकल अखबार के पन्ने पलटते ही कहीं न कहीं यह समाचार जरूर मिलता है कि मध्यम वर्ग के व्यक्ति के पैसे कोई कंपनी हड़पकर भाग गई। गरीब आदमी जो दो सौ रुपये, ढाई सौ रुपये की दिहाड़ी करता है वह चाहता है कि कहीं न कहीं मेरा पैसा ठीक जगह सुरक्षित हो, मेरा पैसा दोगुना हो। इस तरह की कई कंपनियां आती हैं, रजिस्ट्रेशन कराती हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के भी यह गोरख धंघा देश और प्रदेश के कोने-कोने के अंदर चल रहा है, जिससे हमारे लाखों लोगों की जीवन भर की कमाई चिट फंड के नाम से ये उड़ा कर ले जाते हैं। इस मामले में बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं। मैं वित्त मंत्री जी और वित्त राज्य मंत्री अनुराग जी, जो यहां विराजमान हैं, को धन्यवाद दूंगा। मेरा एक सजेशन है कि लाइसेंस को जारी ही नहीं करनी चाहिए। चिट फंड की क्या जरूरत है? हमारा यहां पहले से बैंकिंग व्यवस्था एवं अन्य सिस्टम हैं। इसमें धीरे-धीरे सुधार होगा। क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश को बर्बाद किया है तो धीरे-धीरे कोई न कोई रास्ता निकलेगा। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप पुराने 1982 एक्ट में संशोधन लेकर आए हैं। आपने इस संशोधन विधेयक द्वारा चिट फंड योजनाओं में पारदर्शिता लाने का आश्वासन दिया है। इसके सकारात्मक परिणाम मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद इस देश की जनता को है।

पश्चिम बंगाल के अंदर बहुचर्चित शारदा चिट फंड घोटाला हुआ, जिसमें सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गई। ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति (श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी):** आप कंटिन्यू कीजिए।

**श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर):** नवजीवन को-ऑपरेटिव सोसाएटी, राजस्थान के अंदर आदर्श को-ऑपरेटिव सोसाएटी तथा पीएसीएल, जिसने करोड़ों रुपये हड़प लिए। इसी चिंता के कारण केंद्र सरकार यह बिल लेकर लाई है। चिट फंड की जो कंपनियां हैं, उनका राष्ट्रीय डाटाबेस इस बिल के पास होने के बाद बनेगा तब आम आदमी के पैसे की सुरक्षा हो सकेगी और घोटालों पर भी लगाम लगेगी क्योंकि आरोपियों से जब्त राशि पर प्रथम अधिकार जमाकर्ता का होगा।

सभापति महोदय, एक तो यह बिल यहां आया है। इससे पहले मोटर व्हीकल एक्ट बिल आया तथा प्रधान मंत्री जी ने जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाईं, उसको कई राज्य सरकारों ने यह मानकर, कि यह दिल्ली की योजना है, नहीं चलाया। कई राज्यों ने जो मोटर व्हीकल एक्ट है, उसको अभी तक लागू नहीं किया है। हमारे राजस्थान में विशेष रूप से लागू नहीं है। यह सही बात है कि पिछले पांच सालों तक जो मोदी जी की सरकार रही, उसमें किसी भी मंत्री का, किसी भी नेता का घोटाले के अंदर नाम नहीं आया। लेकिन, दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बार सरकार आई और इनके जो वित्त मंत्री थे, खैर उनका चिट फंड से मतलब नहीं था। उन्होंने फेमा का उल्लंघन किया था, जिसके आरोप में वे जेल काट रहे थे। कल आप लोग हाय-हाय कर रहे थे कि उनको बाहर लाओ।

(1525/ASA/SNT)

बाहर तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जमानत देगा। ये थोड़ी लाएंगे। आप उनकी जमानत की तैयारी करो। लेकिन इस तरह से राजनेताओं के जेल जाने से देश की बदनामी विश्व के नक्शे पर हुई

है। एक तरफ तो हमारे प्रधान मंत्री जी भारत को ऊंचाई पर लेकर जाते हैं, जहां पुराने कांग्रेस के समय में जब यहां के प्रधान मंत्री जी अमरीका जाते थे तो वहां के अमरीका के राष्ट्रपति उनसे नहीं मिलते थे और बिना मिले ही वापस लौट आते थे। आज 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम के अंदर जब प्रधान मंत्री मोदी जी गये तो अमरीका के राष्ट्रपति ने उनको सम्मान दिया। हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया। ... (व्यवधान) आप चिन्ता मत करो। आप इस चीज की चिन्ता करो कि ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) जेल कब जा रहा है। ... (व्यवधान) नहीं जाए, यह ध्यान रखना क्योंकि वह भी जाने वाला ही है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): This will not go on the record.

... (Interruptions)

**माननीय सभापति :** बैनिवाल जी, आप केवल बिल पर ही बात कीजिए।

... (व्यवधान)

**श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर):** सर, मैं बिल पर ही आ रहा हूं। इसके अंदर एक निवेदन है कि यह बिल यहां से पारित हो जाएगा। इसमें हमारे विपक्ष के साथी भी कहीं न कहीं साथ देंगे क्योंकि इनके अंदर भी कई भले लोग हैं, साथ देंगे, यह इनको भी पता है कि अब जनता जाग चुकी है। अगर सही बात पर साथ नहीं देंगे तो यह संख्या भी अगली बार कम हो जाएगी। इसलिए मदद भी करेंगे। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कि राज्य में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और उसने सेन्टर में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ एफआईआर लॉज नहीं करेगी। वह बाध्य नहीं है। राज्य सरकारें इसके लिए बाध्य हों, इस तरह का कानून पार्लियामेंट में पास हो जाए तो राज्य सरकारें मजबूर हों। ये कोई राज्य के हितों पर कुठाराघात नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकारों का सिस्टम अलग है। आज आपके पास जो केन्द्र की जांच एजेंसी सीबीआई है, सीबीआई जांच तब करेगी जब स्टेट के अंदर किसी कंपनी के खिलाफ एफआईआर लॉज होगी और स्टेट रिकमेंड करेगा। उसके बिना आप नहीं कर सकते। मेरा निवेदन था कि ऐसे मामलों के अंदर इसमें खुलकर आना चाहिए कि किस तरह से पीड़ित आदमी को न्याय मिले। अगर कोई घोटाला करके भाग जाए तो कैसे उसको पकड़ें। वैसे इसमें आपने यह भी किया है कि जिस राज्य की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 3 और कंपनी के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 18 लाख की है, यह स्वागत योग्य है।

निश्चित तौर पर आम आदमी का पैसा नहीं डूबे, इस उद्देश्य से बिल महत्वपूर्ण है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकारों को अलग से पाबंद करें, चाहे तो मंत्री जी पूरे देश के जो वित्त मंत्री हैं, उनकी अलग से एक बैठक लें। प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्रियों को निर्देशित करें कि जो पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया जिसमें आधे से ज्यादा विपक्ष के लोग भी साथ देते रहेंगे और इसमें साथ दे रहे हैं और इन्होंने कहा भी था कि हम साथ देंगे लेकिन इनका ज्यादा भरोसा नहीं है। ये अंदर साथ देने की बात करते हैं और यहां सारे वैल में आ जाते हैं। मैं दो-तीन दिन से देख रहा हूं कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते हैं। इससे कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। 2024 की बुकिंग तो इनकी हो गयी है। 2024 से आगे की तैयारी करो। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा बचा होगा। मेरा मंत्री जी

से यही निवेदन था कि जो आम आदमी है या जो गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग का आदमी है, जिसका पैसा ये कंपनियां लूटकर ले जाती हैं और कई जगह तो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ था। किसी ने पूरे जीवन की पूंजी घर बनाने के लिए जमा करी थी। ये कंपनी दुगुना, तिगुना कर देंगी, ऐसा आश्वासन देकर पैसा लेकर भाग जाती हैं। इनके लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। आप यह बिल लेकर आए हैं। ऐसा ही बिल और आप लेकर आए ताकि आम आदमी के पैसे को बचाया जा सके।

मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि काला धन लाने की शुरुआत की है। अब आप कहेंगे कि काला धन आया तो नहीं है। काला धन आ रहा है। धीरे-धीरे आ रहा है। समय लगेगा। एक दिन में नहीं होगा। 70 साल खड़्डे खोदे हैं। उन खड़्डों को भरने में अभी समय लगेगा। धारा 370 हटी और सुप्रीम कोर्ट ने भी राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दे दी। इस कार्यकाल के अंदर दो बड़ी जीत हुई हैं और अब जो बाकी बचा है, ... (व्यवधान) मैं बिल पर ही आ रहा हूं। वैसे मैं विपक्ष के अंदर रहा हूं। मुझे बोलने दो। दादा, आप अपनी बात करें। ... (व्यवधान) मैं ऑलराउंडर हूं। मेरा यही निवेदन होगा कि प्रधान मंत्री जी ने जिस सशक्त भारत की बात कही है, भारत को सशक्त किया, तकलीफ इनके मन के जरूर है। छोटे-मोटे कोई नगरपालिकाओं के चुनाव जीत गये होंगे।

(1530/RAJ/RSG)

लेकिन नगरपालिका वाले यहां नहीं बैठेंगे। यहां मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव जीत कर आएंगे और जो पीएम बनेंगे, वे ही राज चलाएंगे। इसलिए आप ज्यादा खुश न हों। ... (व्यवधान) अब देश उस दिन का इंतजार कर रहा है, जब सबसे बड़े घराने जिन्होंने 70 साल इस देश को लूटा, उनके ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कब सलाखों के पीछे होंगे, यह देश देखना चाहता है। ... (व्यवधान) ईडी कार्रवाई कब करेगी? ... (व्यवधान) मैं उस जगह नहीं हूं। ... (व्यवधान) अगर मैं उस जगह होता तो अब तक पकड़ लेता। ... (व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर):** राजस्थान में क्या हुआ? ... (व्यवधान)

**श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर):** वहां क्या हुआ? ... (व्यवधान) जीत गए। ... (व्यवधान) एक हम आ गए और एक रो-धो कर आप आ गए। ... (व्यवधान) बिल के बारे में मेरे से ज्यादा विद्वान लोगों ने बोला है। ... (व्यवधान)

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): Nothing will go on record except the speech of Shri Natarajan.

(Interruptions) ... (Not recorded)

(1530/RSG/RAJ)

1531 hours

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Chit Fund (Amendment) Bill, 2019.

I appreciate the intention of the Bill to bring more regulatory mechanism to the chit fund sector but am sad to see that the Bill has a lot of loopholes. The main contention is that the Bill does not have a provision for insurance coverage. I remind you the case of Saradha Chit Fund scandal that duped over 1.7 million depositors before it collapsed in April, 2013. Even after this huge scandal, it is unfortunate that efficient regulatory mechanisms are not in place to deal with the ponzy schemes. The following are some of the other issues in this sector.

There are stray cases of employees' fraud in chit fund companies committed on their own or in collusion with subscribers, thereby eroding the trust of the consumers in the sector. The weak regulatory framework makes it relatively easy for errant chit fund companies to get away with fraudulent activities. At times, the foreman also disappears with the corpus fund, leaving the subscribers with no clue about the future continuance of the fund. Chit fund business profits have been found to be used in money laundering activities. The weak financial literacy is one of the major problems in this sector.

I strongly feel that the Chit Fund (Amendment) Bill without the provision for insurance coverage for subscribers is a toothless tiger.

Thank you.

(ends)



1533 बजे

**श्री भगवंत मान (संगरूर):** सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया है। यह चीट फंड जब तक छोटे लेवल पर रहता है, इसके बारे में लोग आपस में एक-दूसरे को जानते हैं, लोग एक-दूसरे से पैसे इकट्ठे करते हैं, लोग इसे कमेटी भी बोलते हैं, तब तक यह ठीक रहता है, लेकिन जब यह बड़ी कंपनियों के पास चला जाता है, जब लोगों को बड़े-बड़े लालच दे दिए जाते हैं कि आपके पैसे को दुगुना कर देंगे, तिगुना कर देंगे और वे एक-दो किशतें दे भी देते हैं, ताकि लोगों को यकीन हो जाए। फिर वे कहते हैं कि इसमें अपने रिश्तेदारों के पैसे भी लगवाएं, आपके पैसे बहुत अच्छी तरह से वापस आ रहे हैं। दो-तीन किशतें वापस भी आ जाती हैं, तब चेन रिएक्शन हो जाता है। लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पैसे उस कंपनी में लगवा देते हैं। माननीय वित्त राज्य मंत्री, अनुराग ठाकुर जी यहां बैठे हैं। शायद उनके यहां भी उस कंपनी से पीड़ित लोग हों। वह 'पर्ल' कंपनी है। मेरे संसदीय क्षेत्र का एक गांव छाजली है। वह कंपनी उस एक गांव का दो करोड़ रुपये लेकर भाग गई। दस आदमियों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के पैसे उस कंपनी में लगवा दिए थे। अब सोशल स्टिग्मा है कि मेरे रिश्तेदारों में मेरी नाक कटेगी, तो एक गांव के दस आदमियों ने आत्महत्या कर ली। बहुत-से गरीब लोगों का पैसा 'पर्ल' कंपनी लेकर भाग गई। पंजाब, दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश में उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। देश में पांच करोड़ लोग उस कंपनी से प्रभावित हैं। जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे तो मैंने सवाल किया था।

(1535/VB/RK)

उन्होंने कहा था कि उस कम्पनी का जो मालिक है, वह गिरफ्तार हो गया है और कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन, लोग पूछ रहे हैं कि उसके गिरफ्तार होने का हमें क्या फायदा हुआ। गिरफ्तारी भी कैसी है, वह बीमारी का बहाना बनाकर फाइव स्टार हॉस्पिटल में है। उसकी इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है कि उसने बैंकों से मिलकर उस पर लोन ले लिया है। उसको कुर्क करके और उसकी जायदाद को बेचकर लोगों के पैसे दें। उसको भले ही छोड़ दें, हमें उससे क्या करना है? उसका जेल के अंदर होना या हॉस्पिटल के अंदर एसी कमरे में बैठकर मजे लेने से तो लोगों के पैसे वापस नहीं आएंगे, लोग कहाँ जाएँ? क्या वे एफ.आई.आर. करवाएँ या क्या करें?

चिट फंड के जो घोटाले हैं, क्राउन कम्पनी भाग गई। अब तो लोगों का विश्वास बैंकों से भी उठ रहा है। यदि वे प्राइवेट में पैसे लगाते हैं, तो चिट फंड वाले भाग जाते हैं। लोगों की कमाई को लूटा जा रहा है।

वित्त राज्य मंत्री जी, मैं एक उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में ऐलन स्टैनफोर्ड नाम का एक आदमी था। उसने वहाँ के लोगों से पैसे ले लिए, यह कहकर कि वह उनके पैसे को डबल-ट्रिपल कर देगा। उसके बाद उसने लोगों के साथ धोखा किया। वह बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रिक चेयर से बचा। वहाँ फाँसी नहीं है, उसके स्थान पर इलेक्ट्रिक चेयर है। वह बड़ी मुश्किल से बचा, लेकिन उसे 185 साल की सजा हुई। इसलिए ऐसी कोई मिसाली सजा दें ताकि कोई भविष्य में ऐसे घोटालेबाज लोग, आम लोगों के खून-पसीने के पैसे लेकर न भागें। बैंकों से पैसे लेकर भाग जाते हैं। हमें क्या पता, अब कौन-

सा नया नीरव मोदी और विजय माल्या निकल आएगा? हम बैंक में पैसे जमा करवाने से भी डरने लगे हैं। हम किसी प्राइवेट को पैसे देते हैं कि वह ब्याज दे देगा, तो चिट फंड कम्पनी वाला भाग जाता है। आखिर जाएं, तो जाएं कहाँ? डी.सी. नहीं सुनता, पुलिस में जाएंगे, तो गरीब आदमी की थाने में कौन सुनता है?

यह अच्छा बिल है। मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई एकाउंटबिलिटी भी दीजिए। किसके पास जाएँ? कोई कलेक्टर है या एस.डी.एम. लेवल का कोई अधिकारी है, जिसके पास ऐसे आर्थिक अपराध की शिकायत की जा सके? ऐसे तो कोई भी नयी कम्पनी आ जाती है, लोगों का विश्वास फिर टूट जाता है। ऐसे में लोग करें, तो क्या करें?

यह संसद लोकतंत्र का बहुत बड़ा मन्दिर है। यहाँ पर बोली हुई एक-एक बात लोग सुनते हैं और यहाँ से कानून बनते हैं। इतने बड़े-बड़े घोटाले हैं कि लोगों का दिमाग भी घोटालेबाजों ने ऊँचा उठा दिया है। इतने हजार करोड़ रुपये का घपला, 76 हजार करोड़ रुपये का घपला, हमें तो यह भी नहीं पता कि उस रकम को लिखने के लिए कितने ज़ीरो लगते हैं। पाँच-दस करोड़ रुपये के घोटाले तो आम लोग भी नहीं पढ़ते हैं कि छोड़ो यार, कोई छोटा-मोटा चोर होगा। शायद अंग्रेजों ने दो सौ साल में देश को उतना नहीं लूटा होगा, जितना हमारे लोगों ने 70 सालों में लूट लिया।

इसलिए कोई ऐसा कानून बने ताकि मिसाली सजा मिल सके और चिट फंड वाले लोगों के साथ धोखा न कर पाएँ। लोगों के पैसे न लेकर भाग सकें।

मैं एक बार फिर से वित्त राज्य मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि पर्ल कम्पनी में लोगों के जितने पैसे लगे हैं, उस कम्पनी की जायदाद को बेचकर लोगों के पैसे दिए जाएं। इस कम्पनी की जायदाद ऑस्ट्रेलिया तक है, जो बेनामी है, किसी के दामाद के नाम पर है, किसी के भतीजे के नाम पर है। इसलिए इंटरनेशनल कानूनों के जरिए उन जायदादों का भी पता करके यहाँ के लोगों के पैसे ब्याज सहित वापस दिए जाएं। इस बिल में थोड़ा विस्तार से एकाउंटबिलिटी तय करें, तो और भी अच्छा होगा।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, क्योंकि इसमें आम लोगों के पैसे लगे हुए हैं। यदि उनको निकालने की आपकी इच्छाशक्ति है, वह सच्ची है, तो अच्छी है।

(इति)

1539 बजे

**सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और अपने दल का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ऐसे विशेष विषय पर बोलने का मौका दिया।

यह विधेयक 2019 में आया है, यह विधेयक पहले भी था, यह वर्ष 1982 में पहले आया, उसके बाद इसमें बदलाव किया गया।

चिट फंड में ज्यादा-से-ज्यादा गरीब लोगों के साथ ही धोखाधड़ी हुई है।

(1540/PC/PS)

मैं जिस स्टेट से आती हूँ, वह त्रिपुरा है। त्रिपुरा का नाम यहां के बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ... (व्यवधान) हम लोगों ने चिट फंड के दर्द को झेला है। हमारी जनसंख्या 37 लाख है, जिसमें से 16 लाख लोग इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। हमारा इस साल का बजट 16 हजार करोड़ रुपये का था। वर्ष 2006, 2007, 2010, 2011 में हमारे स्टेट से 10 हजार करोड़ रुपये लूटा गया है, आप इस पर चिंता कीजिए। जो चाय बेचने वाला और सब्जी बेचने वाला गरीब 200 रुपये कमाता है, ऐसे लोगों को बहुत लूटा गया है। जो गरीब लोग जॉब करते हैं, वे जॉब से रिटायरमेंट के बाद मिले पेंशन के पैसे के बारे में इनसे बहुत अच्छा-अच्छा बोला जाता है कि यह पैसा दो साल में डबल होगा, पांच साल में तिगुना होगा। यह बोल-बोलकर इन लोगों से 10 हजार करोड़ रुपये लूटे गए हैं।

सभापति महोदय, उस टाइम हमारी जो सरकार थी, वर्ष 2018 में मोदी जी के कारण सरकार बदली है। उस टाइम हमारे स्टेट के जो मुख्य मंत्री थे, उन्हें मुख्य मंत्री के रूप में पूरी दुनिया जानती है कि वह बहुत गरीब मुख्य मंत्री हैं, जो पैदल सचिवालय जाते हैं। ऐसे मुख्य मंत्री ने उस रोज़ वैली पार्क का उद्घाटन किया। उस पार्क में खड़े होकर ... (Not recorded) ने कहा कि आप रोज़ वैली में पैसा रखिए, आपका वह पैसा सेफ रहेगा। लेकिन जब हमारे स्टेट के लोग लुट गए तो उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। वहां के ... (Not recorded) वे खुद एक एजेंट थे। मेरे स्टेट में ... (Not recorded) के जितने लोग थे, वे सब लोग एजेंट थे। ऐसा कोई घर नहीं है, जिस घर में रोज़ वैली चिट फंड स्कैम में पैसा लूटा नहीं गया।

महोदय, यह बहुत अच्छा विधेयक लाया गया है। मैं आशा करती हूँ कि इससे मेरे स्टेट के लोगों को जस्टिस मिलेगा और आगे चलकर चिट फंड के नाम से लोगों का दिल नहीं कांपेगा। जितनी चिट फंड कंपनियां हैं, चाहे वह रोज़ वैली हो, आई-कोर हो, सपोर्ट इंडिया हो, रामेल हो, वारिस हो, जितनी भी कंपनियां हैं, ये 102 कंपनीज़ त्रिपुरा में गई थीं। इन सबके तार वैस्ट बंगाल में हैं। ... (व्यवधान) वैस्ट बंगाल में अभी जो पहली फिल्म सिटी बनी है, वह अगरतला से पैसा लेकर बनी है। इसके बाद वैस्ट बंगाल के लोगों को लूटा है। ... (व्यवधान) इन लोगों को लास्ट में लूटा है। ... (व्यवधान) अब वैस्ट बंगाल को इसके बारे में पता है। ... (व्यवधान) बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की है। अब कम से कम दस हजार लड़के-लड़कियां त्रिपुरा में नहीं हैं, वे रोज़ वैली के एजेंट हुआ करते थे। ... (Not recorded) ने हम लोगों को ऐसी सरकार दी थी। अब मोदी जी हैं तो मुमकिन है। वे अभी यहां से चले गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट से जो 10 हजार करोड़ रुपये लूटे गए हैं, उस पर सीबीआई जांच तो चल रही है लेकिन अच्छा होगा कि हमारे लोगों को उनका पैसा मिले। हमारा

बजट 16 हजार करोड़ रुपये का है, 10 हजार करोड़ रुपये लोगों से लूटा गया है। इनमें चाय वाले हैं, सब्जी वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, जो ट्यूशन्स पढ़ते हैं।

सभापति महोदय, मोदी जी की जन-धन योजना से पहले हमारा बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी ने जब जन-धन योजना में बैंक अकाउंट चालू किए थे तो उसमें लोग खाता न खोलें, इसकी पूरी व्यवस्था उन लोगों ने कर के रखी थी। इससे इन लोगों ने बहुत पैसा लूटा है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि वे यह संशोधन विधेयक लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि इस संशोधन विधेयक से अच्छे काम हों और चिट फंड के नाम से जो बदनामी हुई है, उससे उबरकर जिन लोगों ने अपने खून-पसीने से पैसा कमाया है, उनके लिए अच्छा काम हो। उन लोगों ने अपने भविष्य की रक्षा करने के लिए जो पैसा रखा था, वह पैसा लुट गया था।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। चिट फंड घोटाले में सिर्फ गरीब का पैसा ही नहीं गया, उन लोगों ने आत्महत्या भी की है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि चिट फंड घोटाला करने वाले लोग और जिन लोगों ने उन्हें संरक्षण दिया है, उनके ऊपर धोखाधड़ी का मामला हो और उनसे पैसा वापस लेकर इन लोगों के बीच में बांटा जाए। इनकी जितनी भी संपत्ति है, उसको भी सीज़ कर के उसका पैसा भी इन लोगों में बांटा जाए, यह व्यवस्था भी आप इस बिल में रखें।

सभापति महोदय, मैं अंत में केवल यह कहना चाहती हूँ कि पूरा सदन इस चिट फंड बिल का समर्थन करे और हम दुनिया को यह संदेश दें कि घोटालेबाजों के लिए हमारे भारत में कोई जगह नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।

(इति)

(1545/KDS/SNB)

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):** धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे चिट फंड संशोधन विधेयक-2019 पर चर्चा में बोलने का मौका दिया। सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप जो चिट फंड कानून लाए हैं, वह गरीबों के हित के लिए है। हर प्रदेश में हजारों लोग इसके शिकार हुए हैं। मैं बिहार से आता हूँ और मेरा संसदीय क्षेत्र नालंदा है। वहां भी कई लोग हमको बता रहे हैं कि अगरतला, बंगाल, राजस्थान में जहां भी जो लोग काम कर रहे हैं, हर जगह लोग चिट फंड से परेशान हैं। चाहे कंपनी का नाम शारदा हो, चाहे रोजवैली हो या पर्ल हो, कई तरह के बोर्ड लगाकर लोग गरीबों का पैसा लेते हैं और कहते हैं कि ढाई साल में, तीन साल में दुगुना हो जाएगा। इस तरह का काम करने वाले लोगों के लिए ऐसा कानून आप जरूर लाएं कि दोबारा कोई ऐसा गलत काम न करे कि वह एक बोर्ड लगा दे और उसका गलत काम चलना शुरू हो जाए। यह एक सोची-समझी प्लानिंग है, जिसमें जो अच्छे लोग हैं, उसमें से चार आदमी, पढ़े-लिखे रिटायर लोगों को लाते हैं और एक ग्रुप बनाकर हर प्रदेश में एक बोर्ड लगाकर ठगी का काम चला रहे हैं। व्यापारियों को कहा जाता है कि मैं तुमको एक लाख रुपया देता हूँ और कल तुम मुझको सवा लाख रुपया लौटाओ। इस तरह से काफी लोगों को पैसा देकर यह काम किया जाता है। पी.ए.सी.एल. का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, कि उस कंपनी द्वारा लगभग हजारों लोगों का और हमारे संसदीय क्षेत्र के भी कई लोगों ने बताया है कि उनकी मेहनत का काफी पैसा गलत तरीके से निकाल लिया गया है। ये सब छोटे लोग हैं। कोई रेहड़ी का काम करता है, कोई ठेला चलाने का काम करता है, छोटे-छोटे दुकानदार हैं, चाय वाले हैं। अतः इस बिल को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। मेरा एक सुझाव भी होगा कि चिट फंड वित्तीय लेनदेन से जुड़ा जो नियमन है, इसमें लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए। किसी भी सूरत में आम जनता का पैसा न डूबे। सभी लोग, जिनका पैसा डूब गया है, उनके लिए सरकार प्रयास करे कि इनका पैसा कैसे निकले। इनकी जो सम्पत्ति है, उसे बेचकर उन लोगों का पैसा निकलवाने का सरकार प्रयास करे। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

1548 बजे

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** बहुत कम शब्दों में मैं बोलूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी की ओर से श्री बन्दोपाध्याय जी ने इससे पहले बोला है। मैं सरकार की एक-दो कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह चिट फंड अमेंडमेंट बिल पिछली लोक सभा में रखा गया था। उसके बाद वह स्टैंडिंग कमेटी में आया। मैं भी उस समय मेंबर था। हम लोगों ने अगस्त, 2018 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और आज नवम्बर, 2019 चल रहा है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद पुनः इस बिल को लाने में एक साल तीन महीने लग गए। अब इस बिल की डेट देखिए – “निर्मला सीतारमण, 31 जुलाई, 2019” एक बिल लाने में इतने दिन क्यों लगे? यह जो देर होती है, इसी से कानून की एफिकेसी कम हो जाती है। मैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये विगत दो दिन से आ रहे हैं और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी दो दिन नहीं आई थीं। मैं चाहूंगा कि यह नौजवान मंत्री जी यह सब चीजें देखें ताकि यह समय पर हो।

दूसरी बात यह है कि चिट फंड के बारे में लोगों की धारणा साफ नहीं है। त्रिपुरा से हमारी बहन बोलीं और जो अन्य लोग बोले, वे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बोल रहे थे। यह चिट फंड बहुत छोटी चीज है। कुछ लोग मिलकर एक फंड बनाते हैं, वही लोग आपस में बांट लेते हैं। पब्लिक से पैसा उठाने का कोई सवाल नहीं है। इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, जो लाया गया है। अब चिट फंड को फ्रैटर्निटी फंड कहा जाएगा। फोरमैन का कम्पेन्सेशन बढ़ाया जाएगा और इस चिट फंड अमेंडमेंट बिल में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(1550/MM/RU)

एक बात और कही गई थी कि दो मैम्बर रहेंगे और विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वे भाग ले सकते हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन तब भी यह चिट फंड अमेंडमेंट बिल में खास आपत्ति के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को फॉलो किया है और इस बिल में उसी को इनक्लूड किया गया है।

यहां भाषण देते हुए सभी लोगों ने शारदा, रोज़ वैली, पंजाब की पर्ल और ओडिशा की सी-शोर के बारे में कहा है। यह जो हजारों-करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ, इसके लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं, एक, हमारा बैंकिंग सिस्टम का फैल्योर है। हम लोगों तक नहीं पहुंच सके और कलेक्टिव स्कीम्स के लोगों ने पर्सनल इंफ्ल्यूएंस से लोगों से पैसा उठा लिया। अगर सब जगह बैंकिंग सिस्टम पहुंच गया होता तो लोग इसकी तरफ नहीं जाते। यह चिट फंड नाम मिसलीडिंग है। यह सीएचईएटी चीट नहीं है, यह सीएचआईटी चीट है, मतलब कागज का छोटा-सा टुकड़ा। सब लोग इसी पर भाषण देते गए कि शारदा हुआ, नारदा हुआ, लेकिन इस बिल का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो बैंकिंग सिस्टम का फैल्योर और दूसरा, कलेक्टिव स्कीम्स के बनने में हमारे रेगुलेटर्स का फेल्योर है। हमारे देश में रेगुलेटर्स हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है। हमारे कम्पनी अफेयर्स डिपार्टमेंट में एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस भी एक रेगुलेटर हो सकता है। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया और हजारों- करोड़ों रुपये इसमें डूब गए।

बीजेपी के पश्चिम बंगाल से दो माननीय सदस्य श्रीमती लॉकेट चटर्जी और श्री दिलीप घोष, इस पर भाषण करते रहे और बिल पर कुछ नहीं बोले। पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री के खिलाफ कुछ इल्जाम इन्होंने लगाया, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप उसको देखें और जहां भी पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री का नाम है, उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। ये सदस्य जो बोले हैं, ये नासमझ हैं। चिट फण्ड का मतलब ही नहीं समझे और इस पर बोल दिया, जो उचित नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि चिट फण्ड में जो भी दोषी है उसको शास्ति हो। आपके हाथ में सीबीआई है तो सीबीआई इतने दिन तक ... (व्यवधान) मैं नासमझ मैम्बर को बोल रहा हूँ और यह कोई गाली तो नहीं है। आप बोलिए सर, आप डिक्शनरी देखिए ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): Kindly address the Chair.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: We will consider it but please address the Chair now.

... (Interruptions)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** नासमझ कहना खराब बात नहीं है, असम्मानजनक नहीं है, अनपार्लियामेंट्री नहीं है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

... (Interruptions)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** सर, इसलिए यह सब बातें यहां कहना ठीक नहीं है। हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम में जो गलतियां हैं, उन गलतियों को हमें सुधारना है। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और अनरेगुलेटेड डिपोजिट पर अभी पाबंदी लगाई गई है। और भी कड़े कदम उठाने हैं, ताकि देश में कहीं भी गरीब आदमी का पैसा चौपट न हो। अगर कोई केस है तो उस पर जल्द से जल्द फैसला लीजिए, सीबीआई चार्जशीट दे और शास्ति हो और जो होना है, वह होगा। लेकिन हाउस में इल्जाम लगाना कि त्रिणमूल के लोग इससे जुड़े हुए हैं, यह गलत बात है, यह नहीं होना चाहिए। इससे हाउस की मर्यादा की हानि होती है। मैं आशा करता हूँ कि रूलिंग पार्टी के लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे। आपके ऊपर देश को चलाने की जिम्मेदारी है। अगर कोई दोषी पाया गया है तो उसको शास्ति देने की जिम्मेदारी है।

(1555/GG/NKL)

आप समझिए यह जिम्मेदारी आपको ठीक से निभानी चाहिए। झगड़ा कर के नहीं, खाली हाउस में गलत इल्जाम लगा कर वह यह नहीं होगा। इसके साथ मैंने कुछ अमेंडमेंट्स दिए हैं, लेकिन ब्रॉडली इन प्रिंसिपल जो चिट-फंड्स अमेंडमेंट स्कीम आप लाए हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार है, उसका मैं समर्थन करता हूँ (इति)

1556 hours

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): Respected Chairperson Sir, I rise to stand here before you to support the Bill.

I have gone through some of the provisions of the Bill. It has already gone through the Standing Committee which has made a couple of very good suggestions. The hon. Member who spoke before me did say something about the Serious Fraud Investigation Office. About 185 such cases have been brought forward to the SFIO in 2017.

Now, we have had over 30000 registered Chit Fund Companies in India, and if we talk about the unregistered Chit Funds, the figure is approximately 100 times more. So, when you have such a large number in such an informal sector, I am happy to see that the Government is trying its best to regulate this. Chit Funds, Committees, Kitties are the various names given to it, and there has always been a sense of doubt regarding all these funds.

I have had one incident in my own constituency of Jhansi, where a family of four, the Uдания Family, was unfortunately burnt alive just before Diwali. It is because most of these people tend to collect the money and reimburse or disburse it back around Diwali. Unfortunately, there was over a crore rupees lying in the house and someone took it. So, we have seen what happens when there is so much of unaccounted wealth or wealth which is being suppressed and not brought into the system. Such heinous crimes do take place. This constantly seems to be a trend which is mainly because people think that Chit Funds are very necessary. It is not the failure of the banking system, as mentioned by an hon. Member earlier. Chit Funds are for a limited period of time and for a specific purpose. Once that purpose is solved, they are able to lend quicker, they are able to collect the money quicker and people are able to get some kind of return from it. So, I am very happy to see that the Government has brought in certain changes, and provisions like increasing the limit to Rs. 3 lakh for an individual or to Rs. 18 lakh for a firm will definitely help the people.

Regarding technology, the only thing I wanted to know is that if the recording is done through video conferencing, then would that data need to be stored somewhere so that, that can be reverified by all the investors?



It is an excellent thing to increase the ceiling from five per cent to seven per cent, calling it a ROSCA. But we need to bring in as many people into the formal sector.

Since both the Finance Ministers are sitting here, my question would be, could a certain size of funds and their communication be monitored like what they are really communicating and from where they are collecting the money? Could they be asked to submit it? Many times, what happens is like this. When they start promising high returns like 3 per cent, 5 per cent or 10 per cent a month, then it lures the ordinary common person to invest in such schemes. So, that could be monitored or they could be forced to submit it to the local offices, may be, the District Administration or whoever monitors it from the ROSCA. If that communication could be monitored, it will prevent them from making tall claims which cannot be fulfilled. When tall claims are made and extra money is collected, people tend to run away.

I would again like to congratulate the Government for bringing in this Bill and using technology for the purpose of monitoring, and hence, I would like to extend my support to the Government on this Bill.

(ends)

(1600/KN/SRG)

1600 बजे

**श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली):** महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? समाज में दिक्कतें क्या थीं? सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी, जिसको हम पॉजी स्कीम कहते हैं या चिट फंड स्कीम कहते हैं, ये स्कीम्स देश भर में चल रही थीं। चिट मतलब कागज की स्लिप, जो पर्ची या कमेटी के माध्यम से निकाली जाती थी। उसके कारण बहुत सारे लोगों को ठगा गया। उसका नाम ही चिट फंड कर दिया गया। चिट फंड को अगर देखा जाए तो जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए रहती थी कि एक बहुत बड़ी आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था में जिन लोगों को शामिल किया जाना था, वे शामिल नहीं हुए। यही कारण है कि वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार आई तो 32 करोड़ लोगों के खाते खोले गए, यानी 32 करोड़ परिवार के खाते मात्र 4 महीने में खोले गए। आज़ादी के 70 साल बाद तक इस देश में मात्र 12 करोड़ खाते थे, यानी 12 करोड़ का भी आप अंदाजा लगाएं तो कई ऐसे परिवार होंगे, जिनके एक ही परिवार में चार-चार, पांच-पांच, आठ-आठ, दस-दस खाते रहे होंगे तो आठ से दस करोड़ मात्र परिवारों के खाते थे। बाकी सब लोग अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए नहीं थे। वे लोग अपना व्यवसाय कैसे करते थे, बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी, कैसे मार्केट से पैसा उठाते थे, कैसे उनको जरूरत पड़ती थी। आपस में सहयोग से, मिल-जुलकर चिट फंड के माध्यम से कुछ रोटी-रोजगार के प्रबंध के लिए सॉफ्ट लोन उठाना, सॉफ्ट लोन बनाना, ये सब किया करते थे। इसी कारण चिट फंड का प्रचलन इस देश में बढ़ा। लेकिन अनरेग्युलेटेड होने की वजह से लगातार यहां पर दिक्कतें बढ़ती गईं और लोगों के साथ धोखाधड़ी होती गई। वर्ष 1982 में कुछ कानूनी प्रावधान बना कर इस सब चीजों को, गलत चीजों को रोकने का एक प्रयास किया गया, लेकिन वह एक असफल प्रयास था। मुझे याद है कि हम लोग स्कूल में थे तब संचायिका की स्कीम शुरू हुई और हम सब ने अपने स्कूल्स में भी एक छोटी गुल्लक के माध्यम से जो भी थोड़े पैसे मिलते थे, वह जोड़ कर एक खाता बना कर स्कूल में हमें बैंकिंग सिखाने की दृष्टि से संचायिका में हम सब ने पैसा जमा किया। वह सब पैसा भी उड़ गया। संचायिका के बाद 70 के दशक के बाद तमाम ऐसे शारदा-नारदा नामों से प्रचलित ये स्कीम्स हुईं, जो कि असलियत में चिट फंड तो नहीं थीं, फेमस चिट फंड के नाम से हुईं, जहां पर 200 कम्पनियों के कंसोर्टियम ने मतलब 17 लाख लोगों को धोखा दिया और 5-6 बिलियन रुपया इस देश का चुराया गया। गरीब से गरीब आदमी जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं था, फार्मर बैंकिंग अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं था, उसका पैसा चोरी हो गया, उसका पैसा निकल गया। तमाम बड़े-बड़े नाम मतलब एक राज्य के डीजीपीए, एक राज्य के स्पोर्ट मिनिस्टर ऐसे तमाम लोग ऐसी स्कीम्स के अंदर पकड़े गए और उनको सज़ा भी हुई। इस चिट फंड अमेंडमेंट एक्ट से पूर्व सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज में चिट फंड आदि धोखे वाली, साज़िश वाली स्कीम्स को शामिल किया। उस कानूनी बदलाव में भी पिछले सत्र में उस पर काम किया गया तो मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि सीरियसनेस ऑफ परपज जो है, वह दिखाई देता है। देश में जो यह सिस्टम चल रहा है, इसको ठीक करने की जरूरत है। इस सिस्टम को

जब ठीक करने की जरूरत है तो उन्हीं स्कीम्स में से एक यह स्कीम भी लागू की गई, जिसके माध्यम से इसको ठीक किया गया। फ्रॉड्यूलेंट स्कीम्स मतलब कमी क्या है, पहले में दो-चार लाइनों में इस बात को बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो एक फ्रॉड्यूलेंट स्कीम है कि लोगों से झूठे वायदे किए जाते हैं। 200 पेड़, 5000 पेड़, इतने पैसे, उतने पैसे, ये जमीन, वह जमीन हर तरीके के झूठे वायदे करके लोगों को ठगा जाता है। उस ठगी के आधार पर लोगों का पैसा जब इकट्ठा हो जाता है तो वह लोगों से चुराया लिया जाता है। जब एक पार्टिक्युलर सोसायटी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हटाया जाता है तो उसको इंस्टीट्यूशनल एक्सेस न मिले और वह पौंजी स्कीम का हिस्सा न बन जाए। इसके लिए जरूरत है कि ग्रास रूट के ऊपर मतलब जमीनी स्तर पर राज्यों को अधिकृत करने की आवश्यकता थी।

(1605/CS/RP)

राज्यों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी ताकि राज्य ऐसी तमाम स्कीम्स को कंट्रोल कर सकें और सीधे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार हो। यह दिक्कत थी, इसलिए यह कानून में बदलाव लाया गया। इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत फाइनेंशियल लिटरैसी की है। पहले तो लिटरैसी थी, अब लिटरैसी की ताकत बढ़ाई गई है, पढ़ने-लिखने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरैसी आज भी देश में कम है। लोगों को अर्थव्यवस्था से जुड़ने के माध्यम और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं है। यही कारण है कि वे पौंजी स्कीम्स और अन्य ऐसी स्कीम्स का हिस्सा बनते हैं। बैंकिंग व्यवस्था के अंदर कई बार पाया गया कि बैंक्स गरीब आदमी के लिए अवलेबल नहीं थे। हमने यह बदलाव पिछले 5 साल में देखा। सरकार बैंकिंग ऑफिसर्स के रवैये में बदलाव लेकर आयी। अभी चाहे वह अटल पेंशन योजना है, चाहे अन्य दुर्घटना से संबंधित योजनाएं हैं। उन सब योजनाओं को लेकर, छोटी-छोटी योजनाओं को लेकर, खाते खुलवाने से लेकर आज बैंक वाला उस गरीब के घर जाकर यह काम करके आता है। वह उस क्षेत्र के अंदर कैम्प लगाता है, जिसे पहले बैंक के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। इसी माध्यम से फाइनेंशियल लिटरैसी की आवश्यकता है। कहीं न कहीं सरकार उस पर काम करने का प्रयास कर रही है। फाइनेंशियल लिटरैसी के अभाव में लोग ऐसी स्कीम्स में फंसते हैं। एक जो अल्टरनेटिव ओपिनियन है, वह है कि इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो हैं, वे स्कैमस्टर्स को एब्यूज करते हैं और क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि पैसा दोगुना कैसे हो, रातों-रात पैसा बढ़ जाए, इसलिए वे इनके झांसे में आ जाते हैं। कहीं न कहीं लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि अगर इंटरैस्ट रेट 8 से 9 परसेंट है, तो आप 50 परसेंट, 100 परसेंट पैसा नहीं कमा सकते। जब इतना पैसा नहीं कमा सकते तो जो भी स्कीम आपको इस तरीके का लालच दे रही है, वह गलत स्कीम है। शारदा और इस तरह के अन्य फाइनेंशियल घोटाले-घपले हुए हैं और तकरीबन 200 प्राइवेट कंपनीज ऐसी स्कीम्स में शामिल रहीं। वर्ष 2013 में वह मामला सामने आया, जिसका सबने असर भी देखा। मैं कुछ प्रोमिनेन्ट पर्सनललिटीज का नाम जरूर लेना चाहती हूँ। दुख: की बात है हमारे संसद में सदस्य थे कुणाल घोष, श्रृंजॉय बोस, जो कि डीजी थे, रजत मजूमदार और देबव्रत सरकार, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। ये जो स्कैम्स हैं, वे इसी सर्किलेशन की वजह से सामने आए हैं। प्राइस चिट मनी और मनी सर्किलेशन

बिल जो है, उसमें अंतर स्थापति करने की जरूरत थी, जिसको पूर्व में इसी सरकार ने बैन किया। वह बैन करने के बाद जो सही चिट्स हैं, किस तरीके से उसको रेग्युलेट किया जाए, उसके लिए यह प्रावधान लाया गया। मैं स्थायी समिति की 35वीं रिपोर्ट, 2015-16 की रिपोर्ट का एक पैरा पढ़कर बताना चाहती हूँ।

In their Action Taken Reply, the Ministry of Corporate Affairs has submitted as follows:

“The Government has undertaken a massive exercise of financial inclusion through the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana wherein about 21 crore bank accounts have been opened with a view to provide regulated financial services. Further, through the three Jan Suraksha Schemes namely Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Atal Pension Yojana, over 12.53 crore citizens have been covered under the social security schemes of life or accidental insurance and old-age pension.”

मैं यही बताना चाहती हूँ कि यही प्रमुख कारण थे, जिसकी वजह से पॉजी स्कीम्स चलती थीं। सरकार इन सब पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को जब ज्यादा अधिकार दिए गए हैं तो राज्य सरकारें भी फाइनेन्शियल इंकलूजन और फाइनेन्शियल लिटरेसी के लिए आगे आकर काम करें ताकि उनके क्षेत्र के अंदर इस तरह की स्कीम्स का कारोबार न चल पाये। इसमें एक शब्द, जो अभी अमेंडमेंट है, मैं उसका जिक्र करना चाहती हूँ। इसमें एक शब्द फ्रटर्निटी फंड जोड़ा गया है। फ्रटर्निटी फंड को जोड़ने के पीछे जो कारण है, वह कारण यह है कि जिस तरीके से ऐच्छिक फंड, क्योंकि चिट्स एंड मनी सर्किलेशन प्राइज मनी वाला जो है, उसे बैन किया गया है। इसलिए फ्रटर्निटी फंड का नाम देकर जो रेग्युलेटिड स्कीम्स हैं, गरीब तबके के लोगों के फायदे के लिए लोग खुद इकट्ठा होकर चलाते हैं, उन स्कीम्स को प्राइज मनी वाले से कम्पेयर न किया जा सके, इसलिए फ्रटर्निटी फंड का नया नाम दिया गया है।

(1610/RV/RCP)

दो व्यक्तियों को फोरमैन के रूप में उपलब्ध कराना और अगर किसी कारण से, क्योंकि कई बार इंडीरियर्स में ये स्कीम्स चल रही होती हैं, गांव-देहात में चल रही होती हैं और लोग उससे दूर बैठे होते हैं तो फोरमैन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यह अधिकार दिया। मुझे खुशी है कि 'डिजिटल इंडिया' के माध्यम से कई सारी पंचायतों को जोड़ा गया है। अगर गांव के लेवल पर कोई पंचायत ऐसी स्कीम रेगुलेटेड तरीके से चलाना चाहता है तो वह चला पाए। साथ ही, वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रांसपैरेंसी मेनटेन करते हुए वहां पर उपलब्ध रह सके और सरकारी तौर पर उसकी कानूनी व्यवस्था थोड़ी ठीक हो सके।

तीसरी बात है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट को देखते हुए ग्राउण्ड लेवल के ऊपर हाई स्पीड इंटरनेट को उपलब्ध कराने का मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि जब हम फाइनेंशियल इन्क्लूजन कर रहे हैं, टेलिफोन्स के माध्यम से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, भीम एप्प के माध्यम से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमें अधिक से अधिक हाई स्पीड इंटरनेट का प्रावधान भी करने की आवश्यकता है, जो कि सीधे तौर पर फाइनेंशियल इन्क्लूजन से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

फोरमैन को एक कमीशन के रूप में काम करने के लिए 5 प्रतिशत मिलता था। अभी उस 5 प्रतिशत को बढ़ा कर 7 प्रतिशत किया गया है क्योंकि जो गलत माध्यम से पैसा लिया जाता था, उसे रेगुलेटेड तरीके से बढ़ा कर उन्हें अगर आप पैसे दे दें तो फिर चोरी-चकारी कम होगी।

The Report of the Standing Committee on Finance of 2017-18, in Page 62 says,

“It also seeks to allow the foreman to have a right to lien for the dues from subscribers so that set-off is allowed by the chit fund company for the subscribers who have already drawn funds so as to discourage default by them.”

जो लोग चिट पहले उठा लेते हैं, उसके बाद धोखा देने के लिए वही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वे पैसे लेकर भागने का प्रावधान रखते हैं। इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो पैसे हैं, उनके ऊपर जो लियन है, उसे फोरमैन रख सकें ताकि अगर वह धोखा दें तो उसे जब्त करके बेहतर कार्रवाई हो सके। इसलिए फोरमैन को यह अधिकार दिया गया है, जो कि एक बहुत बेहतर काम है।

चिट फण्ड एक्ट का जो सेक्शन-85 बी है, उसे अमेंडमेंट में हटाया गया है। इसका कारण है कि पहले सिर्फ 100 रुपये की सीलिंग थी। 1982 में 100 रुपये की सीलिंग थी और आज 100 रुपये की सीलिंग के कोई मायने नहीं है। इसलिए इसे हटाकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ।

एक एडिशनल वर्ड 'रोटेटिंग सेविंग एण्ड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन' डाला गया है। जो गलिबल लोग हैं, जो भोले लोग हैं, जिन्हें आर्थिक नीतियों की ज्यादा जानकारी नहीं है, वे इसमें न फँसे और उन्हें बचाने के लिए कंपनीज को इन्क्लूड करके यह प्रावधान किया गया है।

चिट फण्ड्स कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा गैप, जो कि आज़ादी के 70 सालों के बाद भी भरा नहीं गया, पूरा नहीं किया गया, वही कारण बना। लोगों को सॉफ्ट लोन्स लेने और पैसे बचाकर सेविंग रखने का वही एकमात्र तरीका था। जैसे-जैसे फॉर्मल व्यवस्था बेहतर होती जाएगी, जैसे-जैसे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ग्रासरूट्स तक पहुंचेंगे, जैसे-जैसे उनकी उपलब्धता बढ़ेगी, जैसे-जैसे चिट फण्ड्स जैसी स्कीम्स अधिक जानकारी के माध्यम से लोगों के बीच से खत्म भी होगी, समाप्त भी होगी।

मैं इस सरकार का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वे एक अच्छा बिल लेकर आए हैं और व्यवस्थात्मक रूप से इसे और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हम सरकार के साथ हैं। सरकार उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करे। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

(इति)

1614 बजे

**डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट):** माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

सभापति जी, पिछले दो दिनों से चिट फण्ड के ऊपर चर्चा चल रही है और निश्चित रूप से चिट फण्ड एक्ट में जो संशोधन लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ क्योंकि जिस आशा और विश्वास के साथ यह संशोधन लाया गया है, भले ही यह संशोधन स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से 38 सालों के बाद लाया गया है, इसलिए इसमें माननीय सदस्यों द्वारा इसका ज्यादा विरोध करने का कोई विषय नहीं बनता। मैं तो सत्ता पक्ष का सदस्य हूँ। मैं तो निश्चित रूप से इसका स्वागत करूँगा।

1614 बजे

(श्रीमती मीनाक्षी लेखी पीठासीन हुईं)

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आखिर चिट फण्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि देश की आजादी के बाद, जैसा कि अभी मैडम लेखी जी ने कहा कि निश्चित रूप से हम सबके पास, उस जमाने में गांव के परिवारों के पास न सड़कें होती थीं, न संचार के साधन होते थे, न इतनी बैंकिंग थी, और जो उस समय छोटी-छोटी बचत करते थे, उन्हें कहीं न कहीं एकमुश्त रकम इकट्ठा मिल सके।

(1615/MY/SMN)

इस दृष्टि से एक छोटा-सा चिट निकाल कर उसके माध्यम से एक व्यक्ति को अधिकतम रकम दी जाती थी, जिसे सारे लोग मिलकर इकट्ठा करते थे। इस तरह से इसका नाम चिट फंड दिया गया। अब चिट का मतलब चिड़ी हुआ और यह चिड़ी से निकल कर बना। जब इसका नाम धीरे-धीरे लोगों में फैला और इसको चलाने वाले लोगों में बुद्धि आई, तो चिट के माध्यम से उन्होंने चिटिंग का काम प्रारंभ कर दिया। बाद में यह चिट फंड न होकर चीट फंड हो गया और वे लोग इसके माध्यम से लूटने का काम करने लगे। यदि हम इसके बारे में देखेंगे, तो पाएंगे कि आम जनता को जो लूटने वाले थे, वे ज्यादा पढ़े-लिखे थे और जो आम जनता थी, वे गांव के गरीब, छोटे मजदूर और किसान थे, जिन्होंने थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उसमें जमा किया था।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि 'यथा नाम तथा गुण', जैसा नाम होता है, वैसे ही उसका गुण होता है। चिट के नाम से ही लगता है कि सही में यह चिटिंग कंपनी है। हमने इतने वर्षों में ऐसा देखा भी है। 38 वर्षों के बाद इसके लिए कानून आ रहा है। इसके लिए मैं हमारे आदरणीय मोदी जी, वित्त मंत्री जी, आदरणीय अनुराग जी और स्टैंडिंग कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इसका नाम परिवर्तित करने का काम किया है। अब कम से कम इसका नाम चिट फंड समाप्त हो गया है। अब इसका नाम 'बंधुता फंड' हो गया है। बंधुता का मतलब हमारा आपस का संबंध होता है। जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से सारे लोगों का जो पैसा जमा होगा, वह बंधुता तथा एकता के साथ जमा होगा और इस फंड का उपयोग आवर्ती बचत के रूप में होगा। इसका नाम बदलने का जो काम किया गया है, वह निश्चित रूप से सही है, क्योंकि लोगों को चिट शब्द से ही शंका होती थी। पिछले समय में क्या हुआ, हमारे यहां एक कहावत है कि बीती ताहि बिसार दे और आगे की सुधि लें। इससे पहले कितने लोगों ने बेइमानी की, कितनी गड़बड़ी की, उन सबसे हटकर अब नया सिस्टम लाया गया है। अब एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया। इसको चलाने वाले लोगों को हम 5 परसेंट की जगह 7 परसेंट का लाभ देने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से अब इसको एक व्यक्ति की जगह समूह चलाएगा। कॉर्पोरेट को 18 लाख रुपये तक किया गया। यह फंड इसलिए बढ़ाया गया, क्योंकि कहीं न

कहीं अब ज्यादा राशि की आवश्यकता पड़ती है। पहले यह राशि कम थी, अब लोगों में थोड़ी आर्थिक समृद्धि आई है। अब इसमें लोग 18 लाख रुपये तक कर सकते हैं। लोग पहले चिट निकालने का काम करते थे, लेकिन आजकल संचार का माध्यम है। यदि कोई विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी उपस्थित रहे, तो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वह देख सकता है। निश्चित रूप से ये सारे संशोधन बहुत अच्छे हैं।

सभापति महोदय, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि सामान्यतः जिन लोगों को राशि की जरूरत पड़ती थी, उन्हें अभी भी पड़ती है। आज तक जो लोग रजिस्टर्ड नहीं थे, उनके कारण ज्यादा धोखाधड़ी होती थी। रजिस्टर्ड कंपनियों के माध्यम से जो काम होता था, जितनी उनकी सीलिंग थी, उससे ज्यादा रकम का काम करके लोगों को लूटने का काम करते थे। आज निश्चित रूप से सारे लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया है। इस तरह से जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं, उनके लिए सारे एक्ट्स हैं, जिसके अंतर्गत हम उनको गिरफ्तार करते हैं। हम सभी सांसद तथा जन प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि हम इन सभी चीजों को देखें। हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे कितनी नॉन रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जो इस तरह के चिटिंग का काम करती हैं, फंड रेगुलेट कराती हैं और बैंकिंग का काम करती हैं। जिस तरह से आपने कहा कि संचायिका चलती थी, मुझे भी अच्छी तरह से ध्यान है कि बहुत सारी बैंकिंग कंपनियां आईं। इन बैंकिंग कंपनियों ने हमारे मोहल्ले के लोगों को काम पर लगाया, जो थोड़े-बहुत पढ़े-लिखे थे, उन्होंने कुछ नामी-गिरामी लोगों को भी काम पर लगाया।

सभापति महोदय, मुझे यह बताते हुए भी दुख होता है कि उस समय मेरे जैसे व्यक्ति को भी कहा गया। उस समय मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस करता था और बाद में एमएलए भी बना। हमारे जैसे लोगों के पास भी इस प्रकार की कंपनियों के लोग आए और कहा कि हम आपको सहारा इंडिया का प्रमुख बना देंगे, संचायिका का प्रमुख बना देंगे। तभी से मैं डरता था कि ये लोग सही नहीं हैं। वे जिन लोगों को धन जमा करने के लिए काम पर लगाते हैं, वे गांव के गरीब तथा छोटे लोग हैं। उनके माध्यम से वे लोग रोज 10-20 रुपये जमा कराते थे और बाद में पैसा इकट्ठा करके भाग जाते थे। मेरे यहां एक महाकौशल कंपनी आई, मकान का काम करने के लिए कंपनियां आईं, बाद में ये सारी कंपनियां भाग गईं। जैसे आदमी कहता है कि दूध का जला छांछ को फूंक कर पीता है। चिट फंड कंपनी के नाम से अन्य बैंकिंग कंपनियों ने भी जिस तरह से लोगों को लूटा, निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज सरकार कार्रवाई कर रही है, इसलिए बैंकिंग के सारे खाते खोलने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार में हुआ। आज जन धन योजना तथा मुद्रा योजना निकाली गई है। मुद्रा योजना भी इसी में से निकल कर आई कि जिन लोगों के पास धन नहीं है, वे कहीं न कहीं मुद्रा योजना के माध्यम से 20 या 50 हजार रुपये का लोन लेकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं।

महोदय, आदरणीय मोदी जी की सरकार में गांव, गरीब, किसान तथा मजदूर लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करने का प्रयास हुआ है। जो चिट फंड विधेयक 2019 आया है, मैं निश्चित रूप से उसका समर्थन करता हूँ।

(1620/CP/MMN)

मैं इसका समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि जिनके लिए पांच से सात पर्सेंट का किया गया है, निश्चित रूप से उनके लिए भी सुविधा होगी। जो लोग गलत तरीके से ज्यादा धन कमाने की चिंता करते हैं, वे न कमा सकें। इसलिए जितने भी संशोधन आए हैं, मैं इन सभी का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और पुनः वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

(इति)

1620 hours

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Thank you Madam for allowing me to participate in the discussion on the Chit Funds (Amendment) Bill in this august House. This chit fund system is more useful to the rural poor. These rural poor people and their families use this system to improve their economic development. The chit fund scheme is a good plan for the poor and middle-class people to do the savings. It gives a good return for their savings. But many organisations are indulging in fraud and they cheat people. If the poor people are cheated by these organisations, it should be considered as a criminal offence. Stringent punishment should be given to the culprits. The State Government should also monitor these chit fund cases by appointing some supervisory body.

This is the easiest way for the poor and the middle-class people to save money. So, the Government should encourage these chit fund organisations by giving them incentives and other things. A separate police wing may be set up, especially to monitor and inquire cheating related to finances in the chit fund system.

My last point is that exemption from GST should be given to the chit fund organisations because poor and middle-class people use the chit fund scheme. That is why, I am requesting the Government to give GST exemption to the chit fund organisations. Thank you.

(ends)



1623 बजे

**श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर):** महोदया, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया है। यह भ्रष्टाचार पर फिर एक करारी चोट है। कभी-कभी यह विचार आता है कि अगर इस देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी नहीं होते, तो देश की धारा कहां जा रही होती? एक के बाद एक भ्रष्टाचार, बंगाल तो इससे बुरी तरह से हिल गया।

हम लोग यहां पर अपनी-अपनी बात कह रहे थे। पोंजी स्कीम्स पर हम लोग काफी बोले हैं, जिन्हें अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट्स कहते हैं। अब यह एक्ट बन गया है। पिछली बार माननीय मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में एक्ट ही बना डाला कि इस किस्म के जितने भी व्यवहार होंगे, जितने ट्रांजैक्शंस होंगे, वे सब के सब अवैध होंगे, वैध होंगे ही नहीं। वे आज तक वैध थे भी नहीं। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पिछली बार यह कानून आया, बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल और यह बिल पास भी हो गया। इसमें कड़ी सजा के प्रोविजंस भी हैं।

(1625/NK/VR)

इसी को एक तरह से पोंजी स्कीम कहते हैं। शारदा, पर्ल और आदर्श को लें, इसकी एक लंबी फेहरिस्त है। जो लोगों की धनराशि को हड़प कर विदेशों में चले गए। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि इनकी जमीन आस्ट्रेलिया तक फैली हुई है। देश में कोई देखने वाला नहीं था, लोग लूटे जा रहे थे, लोग मर रहे थे, हायतौबा हो रही थी, कानून बनाने की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। जो हो रहा है, वह हो रहा है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे लल्लू, जैसा चल रहा है, वैसे ही चलने दो, कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई मर रहा है तो मरने दो, जो जिस हाल में है तो उसको उसी हाल में रहने दो। आखिर मोदी जी ने कमान संभाली और कमान संभालने के बाद एक-एक चीजें जो देश की बर्बादी का कारण बन रही थी, लोगों के परिवार की बर्बादी का कारण बन रही थी, लोगों के परिवार बिखड़ चुके थे, लोग आत्महत्याएं कर रहे थे, हरेक चीज को एक-एक करके जैसे कील मारते हैं, अगर कोई चीज खराब हो गई, ठक-ठक करके उसका पुरख्ता प्रबंध किया है।

यह बिल भी भ्रष्टाचार पर करारी चोट है। अब कोई शारदा नहीं होगा, अब कोई पर्ल नहीं होगा, कोई आदर्श नहीं होगा। इस किस्म की कई घटनाएं हुई थीं, वे घटनाएं-दुर्घटनाएं अब नहीं हो सकती हैं। इसमें तीन प्रकार के अपराध पहले से थे, जो इस तरह की स्कीम चलाता है या शुरुआत करता है, उसके लिए सजा का प्रवाधान किया गया है। जो ऐसी स्कीम चला कर लोगों को धोखा देता है, गलत बात बताता है और ऐसी योजना का संचालन और समर्थन करने के लिए फिल्म एक्टर अगर कहता है कि ऐसी स्कीम है, पैसा डिपोजिट

करो, क्रिकेट या बैटमिंटन का खिलाड़ी, फुटबॉल का खिलाड़ी या पहलवान, जैसे आजकल विज्ञापन देते हैं, अगर वे ऐसा विज्ञापन भी देते हैं तो वे भी अपराधी हैं और वे भी जेल के अंदर जाएंगे। इस कानून के अंतर्गत पहले सत्र में इसका प्रोविजन हो चुका है।

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं। यह एक्ट बहुत पहले आ चुका था लेकिन इसमें कई खामियां थीं, कई कमियां थीं। वे लोग पनप रहे थे जिनका मैंने अभी नाम लिया, वे मौज मार रहे थे, ऐश कर रहे थे, हर समय एसी में रहते थे और हर समय एग्जिक्यूटिव क्लास की फ्लाइट में जाते थे। उनके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, आम आदमियों से मुंह सिकोड़ कर बात करना, जैसे आम आदमी कुछ नहीं है। कोई आदमी मिले जिससे पैसा लिया है, अगर वह मांगने जाता था, हूं, बाहर जाइए, इस तरह से बात करते थे, बॉडीगार्ड रखते थे। अपने तक फटकने नहीं देते थे कि हमारे पैसे का क्या हुआ? मैं अभी अपने शहर हल्द्वानी-नैनीताल में था। मेरे पास माताएं बहनें आईं और कहने लगीं कि हमें आत्महत्याएं करनी पड़ेगी, आप कहीं न कहीं से पैसा दिलवाइए, हमने इसमें सारे रिश्तेदारों का पैसा लगा दिया है। हर स्टेट की कमोबेश यही दास्तान है। अब देश में ऐसा काम कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो करेगा वह मरेगा, जेल के अंदर जाएगा और तड़पेगा। हमारी सरकार ने इसका पक्का प्रबंध किया है।

(1630/SK/SAN)

माननीय मोदी जी बधाई के पात्र हैं, केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। हम इतने कठोर कदम हर जगह उठा रहे हैं, अन्याय, भ्रष्टाचार और अनरैगुलेटेड चीजों का पटापेक्ष हो रहा है। लगता है आज देश का कोई रखवाला है, इस देश को कोई बचाने वाला है। कहते थे – है तुम्हारा कोई सिरमौर, कोई है देश का रखवाला? आज हम छाती ठोककर कह सकते हैं कि मोदी जी हम सबके रखवाले हैं, देश के रखवाले हैं, गरीब से गरीब के रखवाले हैं।

इस एक्ट में थोड़े से बदलाव किए गए हैं, बहुत बड़े बदलाव नहीं है। यह 1982 में बना था, उस समय चिट जो भी चाहता था एक लाख रुपये तक की चिट चला सकता था। अब इसे तीन लाख तक की छूट दे दी गई है। यदि कोई फर्म पूर्व में चिट चलाती थी तो उसे छः लाख तक की छूट थी। अब वह 18 लाख रुपये तक की चिट चला सकती है। यह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर व्यापार कीजिए, कोई भी चिट खोलिए लेकिन एक-एक पैसे का एकाउंट होगा, उसकी एकाउंटिबिलिटी होगी। इसे व्यवसाय के रूप में अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका लिया है, उसे देंगे, ब्याज समेत देंगे। इस तरह से बिल्कुल विशुद्ध बैंकिंग प्रणाली है। चिट चलाने के लिए पहले दो व्यक्तियों के जरिये से, जो फोरमैन होता था, यानी चिट चलाने वाला होता था, वह किन्हीं दो व्यक्तियों को लाकर, खड़ा करके

डिपोजिट को निकालकर विदड़ों कर सकता था। लेकिन अब पारदर्शिता लाने के लिए या तो वीडियो कान्फ्रेंसिंग में खातेदार, डिपोजिटर दिखेगा या प्रत्यक्ष उपस्थित होगा। उसका फिजीकली वेरिफिकेशन होगा, चाहे वीडियो कान्फ्रेंसिंग से हो। अब तो घपला कहीं हो ही नहीं सकता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च बढ़ गया है, कॉस्ट बढ़ गई है। फोरमैन को पांच प्रतिशत तक कमीशन मिलता था, लीगल कमीशन, जो कानून की नजरों में दिया जाता है, इसे अब सात प्रतिशत कर दिया गया है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, किसी चिट को चला रहे हैं तो आपको चलाने के लिए खर्च भी मिलना चाहिए ताकि आपकी क्रियोसिटी जागे, आप और बेहतर काम कर सकें। हर एक के हितों की रक्षा इस एक्ट में की गई है।

सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकारों को पावर दी गई है कि कितने तक की धनराशि को छूट दे सकते हैं। कोई किटी चलाता है, कोई और कुछ चलाता है, कोई छोटी पार्टियां चलाता है, हम पॉजी टाइप की बात कह रहे थे, इसमें किस सीमा तक किसे छूट दे सकते हैं। छूट का प्रोवीजन भी राज्य सरकार के पास है। यह कहना कि राज्य सरकारों में भी घपला हो सकता है, अब ऐसा कतई नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर राज्य सरकार में एक रजिस्ट्रार आफ चिट है, जहां चिट का पंजीकरण अनिवार्य होगा। इससे बाहर कोई जा ही नहीं सकता है। अगर वह कहीं बाहर जाता है तो फिर अनरैलेगुलेटिड डिपोजिट कहलाएगा, जिसमें वह जेल जाएगा। इसमें कहीं भी इस एक्ट में शक की आवश्यकता नहीं है। इसमें संशोधन हो रहा है, बहुत अच्छा कानून बनकर आ रहा है। आम आदमी इसे व्यवसाय के रूप में भी ले सकता है। इससे बेरोजगारी भी दूर होगी और लोगों की डिपोजिट धनराशि सुरक्षित भी रहेगी।

मैं सरकार और माननीय मोदी जी को को बधाई देना चाहता हूं कि किस तरह से छोटी से छोटी चीज को आगे ले जाकर भारत को सुरक्षित कर रहे हैं। आज हमारा देश मोदी जी के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, विदेशों में जो लोग जाते हैं, वहां उनसे लोग पूछते हैं कि कहां के रहने वाले हो, अच्छा भारत के रहने वाले हैं, मोदी जी के देश के, वैलकम, वैलकम। वे लोग जो यहां क्रिटिसाइज करते हैं, माननीय मोदी के नाम पर विदेशों में सम्मान पा रहे हैं।

मैं सबसे इस एक्ट को पास करने के लिए निवेदन करता हूं। मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1634 बजे

**श्री पी. पी. चौधरी (पाली):** माननीय सभापति जी, चिट फंड विधेयक, 2019 अपने आप में लैंडमार्क बिल है। इसे देखने से लगता है कि यह बहुत इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन चाहे एम्पलायमेंट का मामला हो, चाहे सेविंग का मामला हो, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पर पोजिटिव होगा। (1635/MK/RBN)

मैं इस बात के लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे चिट फंड अमेंडमेंट बिल में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जिसकी जरूरत है। मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूँ।

मैं बताना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी की दूरदृष्टि और सोच समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, चाहे वह गांव में हो या शहर में हो, गरीब हो, इस तरह से जो भी हों, हम जो बैंकिंग व्यवस्था देखते हैं, उसमें फार्मलिटीज होती हैं, उसमें टाइम लगता है, कम्प्लिकेटेड है, इन सभी से बचने के लिए जो चिट फंड बिल में अमेंडमेंट आ रहा है, यह उनके लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा। जिस प्रकार से प्रधान मंत्री जी की जन-धन योजना, चिट फंड अमेंडमेंट बिल या इस तरह के जो इन्स्ट्रूमेंट्स हैं, ये फाइनेंशिएल इन्क्लूजन का बहुत बड़ा टूल है। जहां पर भी फाइनेंशिएल इन्क्लूजन का टूल है, वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सकारात्मक साबित होगा। क्योंकि पूर्व कार्यकाल में प्रधान मंत्री जी की जन-धन योजना के माध्यम से देश में करोड़ों बैंक एकाउंट खुले, पहले बैंकिंग व्यवस्था बहुत ही लिमिटेड लोगों तक थी। गांवों में चिट फंड जिस हिसाब से चलता है, शहरों में भी चलता है, उसको प्रमोट करने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी की दूरदृष्टि ने किया है। क्योंकि आज फाइनेंशिएल इन्क्लूजन नहीं है तो हम अर्थव्यवस्था को गति नहीं दे सकते हैं। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए फाइनेंशिएल इन्क्लूजन चाहे जन-धन योजना के संबंध में हो, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के संबंध में हो या चिट फंड के मामले में हो, इसके लिए मेरा मानना है कि ये जो एक्सीलेंट टूल्स हैं, ये फाइनेंशिएल इन्क्लूजन को प्रमोट करेंगे। अगर हम एम्पलायमेंट की बात करें, हमें डॉयरेक्ट एम्पलायमेंट में इसका इम्पैक्ट भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन इनडायरेक्ट एम्पलायमेंट हम मिलियन्स में देख सकते हैं। इससे इनडायरेक्ट एम्पलायमेंट मिलियन्स में होगा। क्योंकि जब हम फाइनेंशिएल इन्क्लूजन के लिए काम करेंगे और इसमें जो गरीब लोग हैं वे लोग मिलकर इकोनॉमी को बूस्ट देने का काम करते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।

जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर में जब क्रेडिट की बात आती है, क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारी फार्मलिटीज करनी पड़ती हैं। एलिजिबिलिटी से लेकर हर चीज के लिए रिजिड पॉलिसीज हैं। इन सारी चीजों को चिट फंड एक्ट में और अमेंडमेंट करके स्ट्रीम लाइन किया गया है। इसको और भी ज्यादा इंस्टिट्यूशनलाइज किया गया है, जिससे आराम मिलेगा।

हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसको हम कंट्री की बैकबोन कह सकते हैं। आज हम जो 90 परसेंट एम्पलायमेंट जेनरेशन देख रहे हैं, वह हमारा एमएसएमई सेक्टर दे रहा है। इस सेक्टर के लिए भी जो चिट फंड अमेंडमेंट आ रहा है, उसमें बहुत ही मददगार साबित होगा। क्रेडिट गैप बहुत बड़ा है क्योंकि मैं कई वक्ताओं को सुन रहा था, उसमें देख रहा था कि एमएसएमई के लिए जो क्रेडिट गैप है, वह करीब 17 लाख करोड़ का है। इतना बड़ा क्रेडिट गैप जो एमएसएमई

के लिए बना हुआ है, चिड फंड से यह गैप ब्रीच होगा, कम होगा और हमारे एमएसएमई सेक्टर को इकोनॉमिकली, अर्थव्यवस्था के प्वाइंट ऑफ व्यू से बड़ा पुश मिलेगा और एमएसएमई में बहुत बड़ा काम होगा। यह जो कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंशिएल एंड क्रेडिट अरेंजमेंट है, ये अपने आप में एक बैंकिंग इंस्टिट्यूशन्स से अलग एक पैरलल व्यवस्था बहुत जरूरी है। कई बार यह लगता है कि लोगों का सोचना यह न हो कि यह सेफ नहीं है तो मरा मानना है कि इसमें जो चिट इन्वेस्टमेंट है, वह अपने आप में सेफ है। क्योंकि इसकी जो गवर्निंग ऑथोरिटीज है, वे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। इस तरह के जो भी इंस्टिट्यूशन वर्क करेंगे, उसका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर रजिस्टर्ड होगा तो उनकी एकाउंटेबिलिटी होगी, लाइबिलिटी होगी और इसके बाद एक बैंकिंग व्यवस्था है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो 1982 के एक्ट में हैं, वे स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड हैं। इसके कई एडवांटेज हैं। यह एक आम आदमी और एक गरीब आदमी के लिए सेविंग है और एक बौरोइंग प्रोडक्ट है। वह सेविंग और बौरो साथ में कर सकता है, पेपर वर्क्स नहीं के बराबर हैं और रिटर्न भी हाई है।

(1640/ASA/SM)

उसके अलावा जो मार्केट में अगर वह कहीं ईक्विटी, बॉन्ड या म्युचुअल फंड में पैसे लगाता है, उसमें जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको लॉस हो सकता है। लेकिन यह ऐसा इन्स्ट्रूमेंट टूल है जिसमें लॉस होने के चांसेज बहुत कम हैं। कई बार हम देखते हैं कि तुरंत ही जब इमर्जेन्सी होती है, उसको फंड की जरूरत होती है, बैंकिंग इश्यूज में एक औपचारिकता होती है, लोन और क्रेडिट देने का उनका एक मैकेनिज्म होता है लेकिन इसमें हम देखते हैं कि यह बिल्कुल ईजी है और उसमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होने की वजह से जब इमर्जेन्सी होती है, चाहे फैमिली में मेडिकल इमर्जेन्सी हो, चाहे बच्चों की फीस के बारे में हो, चाहे छोटा-मोटा बिजनेस खोलने के बारे में हो, उस समय यह मददगार साबित होता है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई अपनी सेविंग्स 10,000 रु. महीने करता है और 6 महीने तक लगातार सेविंग करता है तो हम मान लेते हैं कि उसके 60,000 रु. जमा हो गये हैं। उस पर ब्याज तो मिलता ही है लेकिन उसके साथ-साथ वह अपनी 80 प्रतिशत रकम विदड्रॉ कर सकता है, ये प्रावधान भी उसमें हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां जो मैं देख रहा हूँ, जैसे कि एसोसिएशन विद इन्वेस्टमेंट जो है, ऐसे जो स्कैम हैं, उनमें हमें कानून को और मजबूत करना पड़ेगा।

कई लोग पौंजी स्कीम से इसको अटैच कर रहे थे, पौंजी स्कीम बिल्कुल अलग है और चिट फंड एक्ट 1982 अगर हम पूरा देखें, उसमें और पौंजी स्कीम में बहुत फर्क है। इसके साथ इसको कनेक्ट करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स पहले से चल रहे हैं, अब नयी तकनीक आ गई है, मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे ये अच्छे संशोधन लेकर आए हैं, उसकी वजह से यह चिट फंड स्कीम और भी ज्यादा स्मूथ होगी। चिट फंड की जगह यह जो फ्रैटरनिटी फंड दिया है, इसको अच्छे नजरिये से देखा जाएगा। मैं सारी बातों को देखते हुए यह कहना चाहूंगा कि समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, चाहे वह शहर में हो या गांव में हो, जो गरीब है, जिनके छोटे-छोटे व्यवसाय हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके लिए भी काम आएगा और साथ में एक बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।

(इति)

1643 hours

\*SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): Hon. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on Chit Fund Amendment Bill, 2019. I fully support the amendments made in this bill. Hon. Chairman, while discussing this bill, we should keep in mind the people who have invested their money in these schemes. The people living in the rural areas and the labourers who earn only Rs. 200-300 per day, have invested their money. It is their hard-earned money. They had invested in these high return schemes just to secure their future and to marry off their children. The companies like Pearl India, Samruddh Jeevan have duped people at large. The people were deceived and did not get their money back. They have been waiting for the last 8-10 years for their money. This money belongs to the poorest of the poor and it was their very hard-earned money. Their money has got stuck in these chit fund companies and the investors are now completely helpless and clueless. Hence, I would like to request to seize the properties of these dubious and defaulter companies and by selling off their properties, the money should be returned back to these poor people immediately. I would also like to request you to kindly stop the financial activities of 91 defaulter companies which are blacklisted by SEBI. These kinds of companies are mushrooming everywhere and hence the defaulters should be punished. Helpless people as well as the agents are forced to commit suicide. The investors are completely devastated and seeking help from Government. Hence, I would like to demand of the Hon. Finance Minister to make a necessary provision for strict and panel action against these defaulters in this bill.

Lastly, I would like to congratulate and support the Government for making these amendments in this bill. Thank you for giving me an opportunity to speak.

(ends)

(1645/RAJ/AK)

1647 hours

**डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब):** मैडम जी, यह चिट फंड का इश्यू कल-परसों से चल रहा है। यह बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें जो लोग फंसते हैं, वे ज्यादातर गरीब हैं या मिडल क्लास के लोग हैं। इसमें बहुत धनी व्यक्ति व्यक्ति नहीं फंसता है। इसका बेसिक कारण क्या है कि गरीब इसमें फंसता क्यों है। अनफोर्चुनेटली, यहां फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई नहीं हैं, यहां पार्लियमेंट्री मिनिस्टर बैठे हैं। जब से देश आजाद हुआ है...(व्यवधान) आप हट जाइए। चेयर को मेरी ओर देख लेने दो...(व्यवधान) वह हमारी बात को अच्छी तरह से सुन लेंगी।

मैडम, मेरा जो अपना ओपिनियन है और सर आपसे भी विनती है कि फेल्योर का रीजन क्या है? मंत्री जी यहां आ गए, उनका स्वागत है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, हम गरीब लोगों के लिए उनकी बचत के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना पाए, उसको समझ पाए। अब अगर उनको बैंक का खाता खुलवाना है, तो हम लोगों का फॉर्म भरने में धुआं निकल जाता है। मेरे ख्याल में शायद कोई माननीय एमपी खुद फॉर्म नहीं भर सकता है। गरीब की आदमी की समस्या यह है कि वह 50-100 रुपये बचाना चाहता है, लेकिन जो फाइनेंशियल फॉर्मल सिस्टम है, उसमें उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है।

वित्त राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि यह बेसिक बात है कि इसमें गरीब आदमी क्यों फंस रहा है, क्योंकि हम फॉर्मल सिस्टम में उसकी छोटी बचत 10-20 रुपये को कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं, इसलिए वे चिट फंड की तरफ जा रहे हैं। चिट फंड कौन कर रहा है, उसी के मोहल्ले का जानने वाला कोई आदमी कहता है कि अरे! तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे को दोगुना कर दूंगा, तिगुना कर दूंगा, चार गुना कर दूंगा तब वह कहता है कि जितना पैसा मेरे पास है, उसे इसमें रख दो, कुछ न कुछ तो इससे मिलेगा।

हमें सोचने की जरूरत है कि गरीब आदमी की जो छोटी-मोटी बचत है, उसको फॉर्मल सिस्टम में कैसे लाएं। सर, जो दूसरी सबसे बड़ी कमी है, आपने अमेंडमेंट्स भी दी है, सवाल ऑर्गनाइज्ड सेक्टर का नहीं है। आज भी जो चिट फंड रजिस्टर कराते हैं, उनको आप कानून के तहत पकड़ सकते हैं। सवाल तो अनऑर्गनाइज्ड का है, जो

गांव-गांव बैठे हैं, इधर-उधर बैठे हैं। मैंने सभी अमेंडमेंट्स पढ़े। आप कह रहे हैं कि जो अनरेगुलेटर और अनऑर्गनाइज्ड हैं, हम उनको ठीक करेंगे।

(1650/SPR/VB)

मेजर पॉइंट, जो इसमें मीसिंग है, मैं विनती करना चाहूँगा कि उन गरीब लोगों के पैसे की क्या इंश्योरेंस है, यहाँ तो बैंक खातों की इंश्योरेंस नहीं है, हमारा चाहे 20 लाख रुपये पड़े हों, लेकिन एक लाख रुपये की इंश्योरेंस ही मिलेगी। जब तक गरीब लोगों को फॉर्मल सिस्टम में नहीं लाया जाएगा, कोई इंश्योरेंस का प्रबंध नहीं किया जाएगा, तो ये जो अन-रेगुलेटेड, अन-ऑर्गेनाइज्ड फर्म्स खुल रही हैं, जब तक उनके लिए कोई प्रबंध नहीं होगा, तब तक चिट फंड पर बहुत कंट्रोल नहीं होने वाला है। आपने कोशिश अच्छी की है, क्योंकि ऑरिजनल एक्ट 1982 का है। इतने वर्ष बीत गये हैं, इसलिए इसमें अमेंडमेंट तो होनी चाहिए। लेकिन हमारी विनती है, आपकी मेजॉरिटी है, you can push this amendment. कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? गरीबों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे लग रहा है कि गरीबों का कोई बहुत फायदा नहीं होगा। अगर आप हमारी विनती मानते हैं तो इन्श्योरेंस और म्युचुअल फंड में गरीब लोग कैसे बचत कर सकते हैं? जो अनऑर्गनाइज्ड फर्म्स जगह-जगह खोल देते हैं, उनको आप इसमें कैसे ला सकते हैं? जो फॉर्मल हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वे तो पहले भी फंसते थे और अभी भी फंसेंगे, सवाल दूसरों का है। आपने यह जवाब अपने अमेंडमेंट में कहीं नहीं दिया है। मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूँ। इसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए। यही मेरे सुझाव हैं। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)



1652 hours

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): My dear brother, Shri Anurag Thakur, who happened to be the Minister of State in the Ministry of Finance has been displaying inexhaustive presence by hearing, by listening to all the arguments dished out by the Members of this House with rapt attention. That is why, he is deserved to be praised lavishly.

I would simply add two or three points. Yes, it is a fact that chit fund is itself an institution, which has been existing in our country for centuries. So, it has huge potentiality but the consumers who are entitled to enjoy the benefits of these financial institutions are considered less empowered, vulnerable and poor.

So, my first observation is that consumers should be given the legal protection. What are the legal protections enshrined in this legislation so as to save those less-empowered, poor and vulnerable sections, who are using these institutions as a credit and savings institution simultaneously?

In our country, the chit fund institutions, in spite of having all its potentialities cannot escape the anathema attached with its name. The name, 'chit' immediately haunts the spectre that it is meant for cheating and deceiving the people. So, the anathema is attached with the name itself - 'chit', which is interpreted as 'cheat'. This anathema needs to be done away with. In this legislation, you have tried to do away with this kind of name attached to anathema.

I would also like to suggest that you should also replace the word 'foreman' because it appears to be discordant with the objective of this legislation.

(1655/UB/PC)

Here, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the issue. Would the Chit Funds Act 1982 by itself prevail over the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996? The position with respect to jurisdiction of consumer courts in entertaining chit fund disputes is yet to be settled in view of the divergent views taken by the Madras High Court in N. Venkatesa Perumal Vs. State Consumer Dispute Redressal Commission in 2003 which held that consumer forums had no jurisdiction to entertain complaints pertaining to chit fund transactions. The hon. High Court in Margadarsi Chit Fund Vs. District Consumer Dispute Redressal Commission held that consumer forums can deal

with chit fund transactions. So, there lie some confusions. National Consumer Disputes Redressal Commission held that the Consumer Protection Act provides an additional remedy in terms of Section 3 thereof. So, what is the opinion of your Minister in that regard?

I would like to flag the attention of the hon. Minister that under Section 87 of the Principal Act, the State Government is empowered to exempt some chit fund companies from any or all the provisions of the Chit Funds Act. It has been submitted that the criteria for exemption should be transparent and certain, and a level-playing field should be provided to all the entities operating in the chit fund sector. This has been cited by other hon. Members also. I also require further clarifications.

Yes, there is no dispute that the Bill should be recognised as a bold and transparent step but the fact remains that, in our country, we do not have any dearth of legislation. Plethora of legislations is being enacted in Parliament but, at the same time, there is no dearth of fraudulent scamsters and unscrupulous elements, who are deceiving the poor, less empowered and vulnerable population by cocking a snook to all the existing provisions in our Acts. So, we need a very robust and comprehensive legislation in order to stem the rot. In spite of all the legislative instrument that we have had at our disposal, we cannot save the vulnerable people from being deceived. That is why the hon. Members are expressing concerns.

I am also hailing from that State which has already earned the status of notoriety. It may be called 'collective investment fund', there may be various nomenclature to hide the intention but the fact is that the entire State of West Bengal has been ravaged by those unscrupulous elements who have deceived lakhs and lakhs of common people. Still, many of them are roaming with impunity. Not even a single penny has been recovered. So, sometimes, I feel we require further legislation with all the punishments. Though all the mechanisms are stated to have been existed in the present legislation, what more teeth do we require?

(1700/KDS/SNT)

हमें और क्या चाहिए? हम रुक नहीं पाते हैं। चिट फंड को लेकर गोरखधंधा हो रहा है। करोड़ों रुपये लूटे जा रहे हैं। बंगाल से हमारे साथियों ने, चाहे वे बीजेपी पार्टी से क्यों न हों, जो बात उठाई है, वह बिल्कुल सही है कि बंगाल में लाखों की तादाद में लोगों को लूटा गया है। हजारों करोड़ रुपये लूटे गए। लेकिन हां, यह बात सही है कि वह चिट फंड और पॉजी दोनों अलग हैं, जैसा कि चौधरी साहब ने भी कहा है। सब कन्फ्यूज हो जाते हैं। हमें खुद पता नहीं है कि इतने सारे लीगल इम्प्लिकेशन्स हैं कि हम लोगों को सही तरह से इसके बारे में पता करना मुश्किल हो जाता है। अनस्कूपलस एलिमेंट्स इसी का फायदा उठाते हैं और गरीब लोगों को बरबाद कर देते हैं। मैं एक और बात रखना चाहता हूँ और वह यह है कि आपने यह कहा कि the Bill secures the interest of foreman by giving him the right of lien to secure the dues from the subscribers. However, the Bill does not secure the interest of the subscribers in case of a default by the foreman. फोरमैन की रक्षा करने के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर को और गरीब लोगों को फोरमैन से बचाने के लिए हम कोई साधन नहीं देते हैं। एक और चीज मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि - The major players of the chit fund industry observe that the said Bill does not have the potential to solve the basic problem confronting the sector – the unorganised players. T.S. Sivaramakrishnan, General Secretary, All India Association of Chit Funds has categorically observed that the Bill does not have provision to bring the unorganised players into the organised fold. The focus of this legislation is to bring the unorganised sector into the organised arena. Experts opine that the number of unorganised entities is over hundred times more than the organised ones, and this does not bode well especially, when the size of the industry is valued at over Rs.50,000 crore.

So, without any hesitation, I am extending all our support to this legislation with a hope that henceforth poor and vulnerable people will be adequately safeguarded by this legislation.

(ends)

1703 बजे

**श्री मलूक नागर (बिजनौर):** बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पूरे सदन में हमारे बहुत सारे साथी बोल चुके हैं और सारी बातों पर विस्तार पर चर्चा हुई है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने बहुत सारे कानून बदले हैं और इसका मतलब यह है कि पहले बनाए गए कानूनों में कहीं न कहीं कुछ खामियां रह गई थीं। यह चर्चा भी इसीलिए हो रही है कि सब अपने सुझाव दे सकें। जरूरी नहीं है कि जो बिल आज संशोधन के लिए आया है, यह सही हो। इसमें भी कहीं न कहीं खामी रह सकती है। अतः मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि गांव-देहात में कहीं चिट फंड को कमेटी का नाम देते हैं, कहीं इसको सोसायटी का नाम देते हैं। चीटिंग अलग-अलग नाम बदलकर होती है और वे लोग इतने शातिर होते हैं कि ऐसा माहौल और ऐसी जगह देखते हैं जहां लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी न हो। अतः वे लोग ऐसी जगह ही अपना सेटअप जमाते हैं। ज्यादातर वे लोग इसके शिकार होते हैं, जिनको कानून की जानकारी नहीं होती है, जिनके पास साधन नहीं होते हैं, जो कम पढ़े-लिखे होते हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं और जिन्होंने पैसों की कमी देखी होती है। वे इस लालच में आकर कि हमारे पैसे दोगुने हो जाएंगे, तीन गुने हो जाएंगे, वे इस जाल में फंस जाते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कि यह जो संशोधन बिल आया है, इसमें पूर्व में जिन लोगों के साथ चीटिंग हुई है, चाहे वह किसी भी राज्य में हुई हो, क्या सरकार ने उन गरीब लोगों के लिए ऐसे किसी बजट का प्रावधान रखा है जिससे प्राइमरी स्टेज पर उनकी कुछ सहायता हो जाए, उनकी रोजी-रोटी चल जाए?

(1705/MM/RSG)

जो लोग सुसाइड करने की स्थिति में हैं, जो लोग भूखों मरने की स्थिति में हैं, क्या सरकार ने उनके लिए कोई प्रोविजन रखा है? दूसरा, अगर सरकार यह सोचती है कि जिसके पास पैसा था, उसने चिट फण्ड में पैसा दे दिया, जिसके पास पैसा था, उसने कमेटी में दे दिया, जिसके पास पैसा था, उसने सोसायटी में डाल दिया। जिस तरह से सरकार का आरक्षण में क्रीमीलेयर का प्रावधान है तो क्या कोई सरकार ऐसा सोचती है कि उसकी एक ऐसी लेयर बनाए कि सरकार की तरफ से उसकी कमाई का सर्टिफिकेट, अगर इतनी कम कमाई है और इससे नीचे बिलकुल इतनी ही कमाई है तो केवल उसके लिए हो, जिससे कि जो बहुत गरीब लोग हैं, जिनको रोटी किसी भी सूरत में नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति में हैं। जिनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं और उनके साथ चीटिंग हो गई है। जिनके घरों में झगड़े हो रहे हैं, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, ताकि इससे वे बच सकें, तो मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसे कमेटी में भेजा जाए। मैं उस कमेटी में भी हूँ और वहां से जो सुझाव आए, उसके अनुसार संशोधन करके दोबारा से बिल को लाया जाए। धन्यवाद।

(इति)

**माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी):** कमेटी से बिल होकर आ चुका है और उसकी रिपोर्ट काफी लम्बी-चौड़ी है।

1706 बजे

**श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण):** सभापति महोदया, आप अभी यहां से बोलकर सभापति जी की कुर्सी पर चली गई हैं तो स्वाभाविक तौर से आपका ज्ञान दोनों स्थान का है, वैसी परिस्थिति में बोलना कठिन होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा।

महोदया, सबसे पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इस प्रकार की योजनाओं के बारे में हम बचपन से सुना करते थे, लेकिन इसका क्या दायरा है, यह समझना कभी सम्भव नहीं हो पाया था। समय-समय पर इस बारे में तभी चर्चा आती थी, जब पता चलता था कि 30 हजार करोड़ रुपये निकलकर किसी के पास चले गए हैं। कभी पता चलता था कि रोज़ वैली टाइप का कुछ हुआ है और 60 हजार करोड़ रुपये चले गए हैं। हमारी सरकार ने कम से कम कलेक्टिव स्कीम्स, जिसे पिछले सत्र में पारित किया गया है, या चिट फण्ड है। पहले बहुत सारे रेगुलेटरी फण्ड्स थे, जिनको सेबी कवर नहीं कर पाता था तो उसमें से चिट फण्ड भी एक था। पिछले सत्र में ही इसे पारित किया जाना था, क्योंकि वर्ष 2018 से ही यह चल रहा है, लेकिन सौभाग्य से हमारी सरकार को इस विधेयक को पारित करने का अवसर मिला है। इसका जो साइज बताया जाता है। जब तक सदन में चर्चा नहीं होती है, क्योंकि सामान्य रूप से पढ़ने का इतना मौका नहीं मिलता है, तब तक यह अनुमान नहीं लगता है कि जिन चीजों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसका साइज क्या है? चिट फण्ड की बात करें तो goes upto Rs. 500 billion which is the cost. तीन प्रकार के चिट फण्ड थे। एक तो राज्य सरकारें करती थीं, उनके अधीनस्थ पीएसयूज इत्यादि करते थे। कुछ हद तक उन पर नियंत्रण रहता था, कुछ हद तक नियंत्रण नहीं रहता था। उसके बाद दूसरी श्रेणी का था जो प्राइवेट रजिस्टर्ड था। उस पर भी कुछ प्रकार का नियंत्रण रहता था। लेकिन उसमें भी लूपहोल्स रहते थे, जिनके ऊपर लोग ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन इनके अतिरिक्त अनरजिस्टर्ड चिट फण्ड्स थे, उनकी संख्या देश में, वर्ष 1982 में जो चिट फण्ड एक्ट बना, उस दौरान लगभग 10 हजार से अधिक चिट फण्ड की संस्थाएं थीं। उसमें बहुत सारी सम्भावनाएं थीं, जिसके कारण लीकेज थी और वह सेबी के भी ज्यूरिस्टिडक्शन में नहीं था। इस प्रकार से देश की बहुत बड़ी वित्तीय व्यवस्था चिट फण्ड के माध्यम से थी। यह पारम्परिक रूप से सौ वर्षों से अधिक समय से है। यह देश की आजादी के पहले भी था और देश की आजादी के बाद भी चल रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम सभी लोग राजनेता हैं, सांसद हैं और विधायक हैं। इस देश में जो व्यवस्था है उसमें पूरे भारतवर्ष में सिर्फ तीन हजार सांसद और जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन सरकारी व्यक्तियों की संख्या कहीं ज्यादा है, चाहे वह राज्य सरकार में हों या केन्द्र सरकार में हों। हम पांच साल के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन संस्थागत तरीके से तीस वर्ष तक रहने वाले अधिकारियों की संख्या ज्यादा है। हम सब सीमित समय के लिए आएं। जब सदन के भीतर पांच वर्ष के लिए आएं तो चर्चा करेंगे, फिर सदन के बाहर चले जाएंगे और कोई दूसरा व्यक्ति जीतकर आएगा। इस आंशिक पांच वर्ष के भीतर हम इतना काम करते हैं। लेकिन संस्थाओं को देखने वाले अधिकारियों की जिम्मेवारी पिछले 70 वर्षों से रही है। अगर उन्होंने इस विषय को ध्यान से देखा होता, इस देश के 70-72 परसेंट भारत के लोग चिट फण्ड में इनवेस्ट करते हैं, ऐसी समिति की रिपोर्ट भी है।

(17110/GG/RK)

लोगों का 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा इसमें लुट गया है। अभी भारत में लगभग 30 हजार से अधिक चिट-फंड हैं, उसका मूल्यांकन किया गया है तो वे जो आपस में व्यापार कर रहे हैं, लगभग 35 हजार करोड़ रुपये हैं। ये रजिस्टर्ड वाले हैं, जिनको हम जानते हैं। सौ गुना इससे अधिक हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, इसका मतलब है कि साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का व्यापार इसमें होता है और इसमें संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि एक तरफ बैंक्स अगर लाख, दो लाख या तीन लाख करोड़ का व्यापार करते हैं तो चिट-फंड की व्यवस्था में भी साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये है। यही एक बड़ी चिंता का कारण बनता है।

महोदया, आखिर इनका उपयोग कौन करता है? मतलब इसका आकर्षण किनके लिए होता है? ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम किटी पार्टीज़ की बात छोड़ दें, जो भारत में बहुत ही पारंपरिक तौर से बड़े लोगों के बीच में होता है, वह अलग विषय है। लेकिन चिट-फंड से जो लोग जुड़ते हैं, ये छोटे दुकानदार हैं, छोटे लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, खेत-खलिहानों में काम करते हैं। उनको लगता है कि साहब अब सौ रुपये जमा करें, चार-पांच सौ रुपये जमा किए हमको पांच हजार रुपये मिल जाएंगे, उसका आकर्षण का केन्द्र बिन्दु बहुत है। इसी प्रकार से हमको याद है कि तरह-तरह की योजनाएं भारत में आती रही हैं। यहां हमारे एक बड़े मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन्होंने पटना में एमू की खेती की थी। जब हम इनके घर पहुंचे तो माननीय मंत्री जी के घर में कम से कम चार सौ एमू था और एमू के अंडे बेच रहे थे। पहली बार हमको समझ में आया, लेकिन उसके पहले दक्षिण में कहीं सुना था कि यह जो ऑस्ट्रेलियन पक्षी है। मंत्री जी हम आपका उदाहरण दे रहे हैं। वे किसी और ज्ञान में पड़े हुए हैं। मंत्री जी आपके एमू की चर्चा हो रही है। जो आपके घर में था, आपके एमू की चर्चा हो रही है। हम इधर बोल रहे हैं, आप उधर सर हिला रहे हैं। हम आपके बारे में बोल रहे हैं। मैडम, ये चार सौ एमू ले कर आए थे। ये उस समय बिहार सरकार के मंत्री थे, अब हमको समझ में आ रहा है कि पहली बार हमने अपने जीवन में एमू देखा तो बड़ी-बड़ी पक्षियां इनके घर में घूम रही थीं। इन्होंने कहा कि बड़ा अंडे का व्यापार होता है। तब तक मैंने एमू ध्यान से नहीं देखा था। लेकिन बाद में जब हमने कागज पलट कर देखा तो एमू के व्यापार करने वाले इस देश में दो का चार बना रहे थे और चार का आठ बना कर एमू के नाम पर लोग पैसे का निवेश करा रहे थे। मुझे विश्वास नहीं है कि मंत्री जी ने अपने पैसे से एमू का व्यापार किया था। ... (व्यवधान) लेकिन एमू के नाम पर पूरे भारतवर्ष में ऐसी-ऐसी योजनाएं थीं। फिर एक किसी ने कहा कि अगर आप इज़राइल की यात्रा करेंगे और ऐसे-ऐसे करेंगे तो आपकी इस यात्रा से जो कमाई होगी, उसमें से हम जो टूरिज्म का प्रॉफिट कमाएंगे, उससे हम भारत में स्कूल और अस्पताल खोलेंगे। बाद में वह व्यक्ति लगभग दस हजार करोड़ रुपये ले कर चला गया। ऐसे-ऐसे ज्ञानी लोग भारतवर्ष में कितने और कहां-कहां हैं, इसका पता लगाना बड़ा कठिन है। ... (व्यवधान) ये तो कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा कि एमू का अंडा बेचना है और पूरे भारतवर्ष में पहुंचाना है। मैं उस विषय को नहीं उठा रहा हूँ, केवल संदर्भित कर रहा हूँ। ... (व्यवधान)

**पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्री (श्री गिरिराज सिंह):** सभापति महोदया, मुझे माननीय सदस्य का जवाब देना है। माननीय सदस्य ने जिस एमू की चर्चा की है, चिट-फंड से उसका कहीं रिश्ता-नाता नहीं है। ... (व्यवधान) वह एमू मैं अपने घर के लिए लाया था। ... (व्यवधान) ये जान लें। अगर नहीं जानें तो थोड़ा और ज्ञानवर्धन कर लें। ... (व्यवधान)

**श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण):** महोदया, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, बिल्कुल इतना ही कहा कि मंत्री जी आपके घर में उन 40 और 50 एमू को देखने के बाद मेरा एमू के प्रति ज्ञान बढ़ा। ... (व्यवधान)

**श्री गिरिराज सिंह :** माननीय सदस्य, तो उसमें चिट-फंड कहां से आ गया?

**श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण):** पता नहीं। आप भारत सरकार के मंत्री हैं, कम से कम जो बोल रहे हैं, इसी पर चर्चा हो रही है चिट-फंड की हो रही है कि देश में एक बार योजना चली थी, जिसमें एमू के नाम पर लोगों ने वसूल लिया था। ... (व्यवधान)

**श्री गिरिराज सिंह :** महोदया, देश में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि एमू चिट-फंड में आया था। हमने एमू लिया जरूर था, लेकिन एमू के ग्राहक मिले नहीं, लेकिन चिट-फंड से इसका कोई लेना-देना नहीं है। ... (व्यवधान)

**श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण):** मंत्री जी, ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। एमू की एक योजना थी, जिसके बारे में मैंने बता दिया है। ... (व्यवधान) बाकी जो लोग समझ पाएं हैं, समझ गए हैं। ... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, आपसे कुछ लेना-देना नहीं है। ... (व्यवधान) महोदया, मैं कह रहा था। ... (व्यवधान)

**कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर):** महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि गिरिराज जी जो बोल देते हैं तो उस पर आगे क्रॉस करना नहीं चाहिए, बल्कि मान ही लेना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। ... (व्यवधान)

**श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण):** महोदया, मेरे पास कागज़ बहुत हैं, मुझे बोलना है। लेकिन एक बात बताएं और मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं और ये तो हमारे छोटे मंत्री जी इस विभाग के हैं, छोटे और बड़े मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। देश की सरकार ने और देश के प्रधान मंत्री जी ने इन सब चीजों को देख कर के एक बहुत बड़ी योजना लागू की है।

(1715/KN/PS)

सचमुच में पता नहीं, माननीय सांसदों ने कितने स्थानों पर इसका लाभ उठाया। लेकिन मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में और जो प्रधान मंत्री जी ने एक योजना शुरू की थी, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, शिशु योजना, उन्होंने इन्हीं सब परिस्थितियों को देख कर, यहां तो पैसा लगाना पड़ता था। मैंने कम से कम डेढ़ सौ करोड़ के आस-पास अपने संसदीय क्षेत्र में शिशु योजना के तहत पैसे बंटवा दिए हैं। हमारे पास जो योजनाएं हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वे तमाम लोग जिनको मैंने पैसा दिलवाया, उनसे मैंने पूछा कि शिशु योजना में जो बैंक से आपने लोन लिया है, आपके पास सिलाई की दुकान है, आपके पास मीट की शॉप है, आपके पास परचून की दुकान है, आपके पास चूड़ियों की दुकान है, आपके पास मोबाइल रिपेयर की दुकान है और इन सब लोगों की दुकान चल रही थी। जब मैंने सब

लोगों को लोन दिलाया तो सभी लोग जो अपना व्यापार 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार में करते थे, इन्होंने अपने जीवन में बैंक से कभी लोन नहीं लिया। यह सचमुच में एक्सपेरिमेंट है।

महोदया, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण सभी सांसदों को देना चाहूंगा। मैंने 23 हजार आवेदन मुद्रा योजना के तहत बैंकों में जमा कराया। उसमें से मुश्किल से 700-800 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 21 हजार आवेदन बैंक ने किसी न किसी कारणवश एक फार्मेट लगाकर लौटा दिए। मुद्रा योजना जो देश की सरकार और प्रधान मंत्री की सबसे बड़ी योजना है अगर हम सब मिलकर इसको कार्यान्वित कर दें और भारत की सरकार और माननीय मंत्री इसकी निगरानी करें तो ऐसे चिट फंड बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। गरीब अपने बैंक के खाते से पैसा निकालेगा और उसके बाद एमाउंट डेबिट होगा। वह अपना व्यापार करके उसे लौटा देगा। जब देश की सरकार और देश के बैंक्स, अगर बैंकिंग सर्विसेस हमारे यहां थोड़े सा लोगों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े जो स्कैंडल्स होते हैं या इस प्रकार के रेगुलेशन की हम बात करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से एक पायलेट के रूप में माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप भारत के वित्त मंत्री के रूप में यहां बैठे हैं। अगर आप सिर्फ छपरा को पायलेट के रूप में एक बार एग्जामिन करवा लें। मैंने आग्रह किया है कि गरीबों तक पहुंचने की जो वित्तीय व्यवस्था है, उसमें मुद्रा योजना के तहत मैंने कितने आवेदन डलवाए। आपके बैंकों ने बिना किसी कारण के एक पैमफलेट लगाकर कितने को अस्वीकृत किया है और कितने को स्वीकृत किया है। अगर एक जिले को पकड़ कर आप पायलेट कर देंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे बिलों की सम्भावनाएं भारत में विमर्श करने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। हम देश के गरीबों को बहुत आगे लेकर चल सकते हैं और किसी के साथ बेईमानी नहीं होगी। इस विषय पर विस्तार से सदन में जब-जब मौका मिलेगा...(व्यवधान) मैडम, आप मेरी बातों से नाराज हुई हैं, आप उठ रही है, आप मत उठिए।

1718 hours

(Hon. Speaker in the Chair)

मुझे लगा कि आप मेरी बातों से नाराज होकर जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, जब बड़ी बात हम रख ही रहे थे, तो आपके समक्ष भी एक बार फिर से उसी बात को संक्षिप्त रूप से रख ही दें। यह मेरा सौभाग्य है कि मीनाक्षी जी जा रही हैं और आप इस कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। आपकी मुस्कान के सामने बोलने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि यह चिट फंड के पहले हमने कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम पर भी विधेयक पारित किया। देश में लोगों के पैसे की और जो जमा की हुई राशि है, उसकी बचत के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि छपरा जो जिला है, आप पायलेट के रूप में उस जिले के बारे में, अगर आप जिले के रूप में सारण जिला जो बिहार का मेरा संसदीय क्षेत्र है, जहां 23 हजार मुद्रा योजना के आवेदन हमने जमा कराए हैं, मुश्किल से 700-800 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, 21 हजार के आस-पास आवेदन पड़े हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि



सारण जिले को पायलेट के रूप में माननीय मंत्री जी एग्जामिन करवा लें कि कितने आवेदन किए गए, गरीबों तक कितना पैसा पहुंचा। ऐसे चिट फंड की सम्भावनाएं और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब गरीबों के पास, नौजवानों के पास, साइकिल बनाने वाले दुकानदारों के पास, परचून की दुकानदारों के पास, चूड़ियां बेचने वाली उस गरीब महिला के पास अगर ये पैसे सीधे सरकार के बैंकों से जाने लगे तो स्वाभाविक तौर से देश में यह नुकसान जो होता है और देश में गरीबों को जो लूटा जाता है, उस व्यवस्था को हम नियंत्रित कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात का आग्रह करना चाहूंगा। धन्यवाद।

(इति)

(1720/CS/SNB)

1720 बजे

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर):** महोदय, धन्यवाद। चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बहुत विस्तार से यहाँ पर चर्चा हुई और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जब भी देश के गरीब की बात आती है, छोटे व्यापारी की बात आती है, लोक सभा के इस सदन में सभी अपने राजनीतिक दलों से, विचारधाराओं से ऊपर उठकर कानून बनाने में एकजुट और सहमत होकर अपने विचार भी रखते हैं, सुझाव भी रखते हैं और इस कानून का समर्थन भी सब तरफ से देखने को मिला है। इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इसमें अपनी बात रखते हुए और क्या सुधार हो सकते हैं, इस बिल से क्या सुधार होगा, क्या चुनौतियाँ समाज में हैं, इन सब विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला है। कहीं न कहीं ये बातें भी आईं कि क्या डिपॉजिट स्कीम या पैसा इकट्ठा करने वाले जो पैसा लेकर भाग जाते हैं, उसकी चर्चा भी हुई, कहीं न कहीं उस बात को एक मिक्सअप होते हुए भी देखा गया। अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट को हम चिट फंड के साथ कहीं न कहीं बहुत बार बातों में मिक्स कर गए। अगर आपको याद हो कि पिछले ही सत्र में जब banning of unregulated deposit schemes पर कानून बनाने के लिए हम यहाँ पर आये थे, तब भी इस सदन में भी और राज्य सभा में भी सभी माननीय सांसदों ने, जिन्होंने उस चर्चा में भाग लिया, उसमें भी बहुत अच्छे विचार दिए और जिन्होंने अमेंडमेंट्स दी थीं, उन्होंने उस समय सारी अमेंडमेंट्स विदूढ़ भी की थीं कि यह गरीब के हित में बिल है, ताकि उसका जो ईमानदारी का पैसा है, जो छोटी-छोटी बचत है, कहीं वह बर्बाद न हो जाए, इसलिए उस समय भी इन सब लोगों ने सहयोग किया था। यह मात्र दो-तीन महीने पुरानी बात है। चिट फंड बिल शायद उस समय आता। पिछली बार जब यह 16वीं लोक सभा में यहाँ पर आया, वित्त संबंधी स्थायी समिति को इसे देखने के लिए कहा गया, विस्तार में इस पर चर्चा हुई। इससे पहले की-एडवाइजरी ग्रुप इस पर बनाया गया था। उन्होंने अपनी अलग से रिकमंडेशन दी थी। फाइनेंस कमेटी के सारे विचार सुनते हुए, उनकी 21वीं रिपोर्ट भी सुनी, उसमें उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट आयी थी। फिर 35वीं रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एक मजबूत, सशक्त और एक अच्छा कानून बने, जिससे चिट फंड में जो अपना पैसा देते हैं, उनको कहीं न कहीं सुरक्षित रखा जाए और मजबूती वहाँ पर मिल सके। उसमें प्रमुखता क्या थी, जो banning of unregulated deposit था, उसमें डिपॉजिट जो कंपनियाँ लेती हैं, जो 9 रेग्युलेटर से बाहर हैं, जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन, जो इन जैसे 9 आर्गनाइजेशंस से बाहर हैं, वे सारे ही अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट गिने जाएंगे। उसमें बड़ी क्लियर व्याख्या है। जो 9 में रजिस्टर होंगे, वे रेग्युलेटेड होंगे और जो 9 से बाहर होंगे, वे अनरेग्युलेटेड होंगे। वह अलग बिल था। यह चिट फंड के लिए है, जो डिपॉजिट मेकिंग नहीं है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और निर्धारित समय पर आपको अपनी सब्सक्रिप्शन देनी है, अलग-अलग इंटरवल पर देनी है। इस पर भी यह कहा गया, जो पहले डिविडेड की बात आती थी कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत उसमें कुछ विरोध भी होता है कि डिविडेड कहाँ से दोगे। उस पर भी इसको बदलाव करके नाम बदलने की बात कही गई। यह ज्यादा जागरूकता लाने

के लिए सब कुछ किया गया है। जहाँ अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट इल्लीगल है, वहीं पर चिट फंड लीगल है। आप रजिस्टर करवाते हो और रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपको परमीशन मिलती है, तब जाकर आप अपनी चिट को फ्लोट कर सकते हो। लोग उसके हिस्से बन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि फोरमैन, क्योंकि 1981 के बाद तो बेचारे की उसकी कमीशन ही नहीं बढ़ पाई थी, तो स्थायी समिति ने भी, के.ए.जी. ने भी, दोनों ने ही कहा कि उसको बढ़ाना चाहिए, तभी इसको बढ़ाकर 7 परसेंट किया गया ताकि फोरमैन का कमीशन बढ़ सके।

(1725/RV/RU)

इसकी चर्चा में बहुत सारी बातें आईं। एक बात मैं कहूंगा कि यह अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपको क्रेडिट भी और सेविंग, दोनों की व्यवस्था एक ही योजना में मिलती है। इसके अलावा, नाम बदलने की जो बात यहां कही गई कि नए नाम क्यों दिए गए, तो बहुत सारे भाषणों में, विशेष तौर पर, पश्चिम बंगाल के जो माननीय सांसद थे, उन्होंने एक बात का उल्लेख किया कि चिट और चीट, इन दोनों में बहुत अन्तर है, लेकिन कहीं न कहीं उस राज्य में कई जगहों पर ऐसा अन्तर देखने को नहीं मिलता। Chit और cheat, इन दोनों में बहुत अन्तर है। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि उसी भावना के साथ इसे लाया गया था कि जो पॉन्जी स्कीम्स हैं, वे बिल्कुल अलग हैं। वे डिपॉजिट बेस्ड हैं, घपले करने वाले काम हैं। चिट फण्ड एक लीगल सिस्टम है, जिसके माध्यम से इसे चलाया जा सकता है। इसलिए चाहे फ्रैटरनिटी फण्ड की बात हो या आर.ओ.एस.सी.ए., इसे एक अल्टरनेट नाम देने की व्यवस्था खड़ी की गयी है, ताकि इसके माध्यम से आगे लाभ मिल सके।

यह बात आई कि बहुत पहले यह कैप लगाई गई थी कि किसी व्यक्ति का एक लाख रुपये और किसी फर्म का तीन लाख रुपये तक या छः लाख रुपये तक हो सके। यह पहले था। अब वर्ष 2001 की इंप्लेशन रेट के हिसाब से इसे तीन गुणा बढ़ाया गया है। इंडीविडुअल्स के लिए इसकी लिमिट को तीन लाख रुपये और फर्म्स के लिए इसे अठारह लाख रुपये किया गया।

एक सवाल आया कि बैंकिंग के क्षेत्र में कॉरपोरेट्स को लेंड करते हैं। वीरास्वामी जी ने कहा था और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कमी है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि प्रति वर्ष प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, एग्रीकल्चर में विशेष तौर पर, लगातार वृद्धि हुई है। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी किया गया, जैसा कि हमारे कुछ माननीय सांसदों ने अभी कहा कि किस तरह से उन्हें योजनाओं का लाभ मिला है। उस पर मैं आगे और आपको जानकारी भी दूंगा।

आपने जीएसटी के एग्जम्पशंस की बात कही। यह ऑपरेशनल मैटर है और जी.एस.टी. काउन्सिल में इस विषय पर विचार किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता है।

आपने हाउसवाइक्स को अफेक्ट करने की बात कही। उसके बारे में मैं केवल इतना कहूंगा कि जो पहले 100 रुपये की कैप थी, यह सही बात है कि बहुत सारे सांसदों ने कहा कि आज के समय में 100 रुपये बहुत कम है। इसलिए हमने अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियों के आधार पर उन राज्यों की सरकारों को यह अधिकार दिया है कि वे अपने राज्य के अनुसार इसे तय कर सकते

हैं। इसे तय करने में वहां की राज्य सरकार की भूमिका रहेगी। इससे छोटे-छोटे लोगों को, जो गरीब हैं, उन्हें भी और जो महिलाएं हैं, हाउसवाइक्स हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।

जहां तक चिट फण्ड्स स्कैम की बात कही गयी, कई जगहों पर तो सुप्रीम-कोर्ट-मॉनीटरिंग कमेटीज काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट पर कोई प्रश्न चिह्न खड़ा न करें। हाँ, उसमें तेजी आए। हम सब लोगों की चिन्ता है कि लोगों के जो पैसे लगे हैं, उन्हें जल्द वापस किए जाएं। लेकिन, जब वह पैसा वापस दिलाने की बात आती है तो कई लोग ऐसे बड़े पदों पर बैठ कर भी उसमें एक रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, जो मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि यह पैसा गरीबों से जुड़ा हुआ पैसा है। उस जांच में किसी को भी अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए। गरीब को उसके डूबे हुए पैसे जल्द से जल्द वापस मिलें, यह हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। वह चाहे कोई भी क्यों न हों, आखिरकार उस गरीब की ईमानदारी की कमाई को छीनने का हक किसी के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनीटर की गयी इस जांच में कोई भी रोड़ा न बने, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए।

जहां तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात है, यह इसलिए किया गया कि अगर आप व्यस्त हैं, जो लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते तो आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है क्योंकि आज से कुछ वर्षों पहले शायद हम लोग सोचते भी नहीं थे कि कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएगा या डेटा का इतना यूज होगा, लेकिन पिछले चार वर्षों में हमने भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति देखी है कि दुनिया भर में हमारे यहां सबसे ज्यादा डेटा कंजम्पशन बढ़ने की शुरुआत हुई। दूसरी ओर से भारत सरकार ने भी अपनी ओर से प्रयास किया। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के गांव-गांव को, पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम किया है। यह इतनी बड़ी बात है कि आने वाले एक वर्ष के अन्दर जहां हमारे देश की हर पंचायत और गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ जाएंगे। यह एक बहुत बड़ी सुविधा गांव-गांव तक होगी। यह डिजिटल इंडिया को ताकत भी देगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसके चिट का परिणाम निकल जाएगा तो दो दिनों के अन्दर उन लोगों से, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया है, उनसे उसके रजिस्टर पर साइन करवाना है।

(1730/MY/NKL)

उसमें यह अनिवार्य किया गया है, ताकि इसमें कोई धांधली नहीं हो सके। इसका भी प्रावधान हमने इसमें करके दिया है।

यहां इंश्योरेंस की बात आई, यह ऑपरेशनल मैटर है। अब आप कहिए कि किसी चिट में या चिट के जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको लगे कि हम इंश्योरेंस का पैसा खर्च नहीं करना चाहते, हम बगैर इंश्योरेंस के ही ठीक हैं। अगर किसी को लगता है कि उसे इंश्योरेंस कराना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि उसे इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। कोई भी आईआरडीए तक जा सकता है। अगर कोई रेगुलेटर या इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से अपनी चिट को इंश्योर करवाना चाहे, तो हमने उनके ऊपर इसको छोड़ा है। इसमें अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इंश्योरेंस की कॉस्ट भी कहीं न कहीं उन गरीब लोगों के ऊपर पड़ती। जहां तक सिक्योरिटी डिपॉजिट को कम करने की बात है,

आपने कहा कि इसको 100 परसेंट से घटा कर 50 परसेंट कर दीजिए। मुझे लगता है कि यह अन्याय होगा, क्योंकि जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया है, उनकी पूरी सिक्योटी का हमने इसमें प्रावधान किया है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड एडवाइजर ग्रुप ने भी इसके बारे में कहा था। मुझे लगता है कि आप सब की भी सहमति होगी कि जो भी इसमें पैसा निवेश करें, उसका पैसा सुरक्षित हो, किसी का एक रुपया भी न डूबे, इसके लिए सदन को पूरी प्राथमिकता से निर्णय करना चाहिए।

इसके अलावा, आरबीआई ने भी इस डिमांड को नहीं माना था और दूसरा, माननीय महताब जी ने भी कहा था। हमने चिट फंड्स को रजिस्टर करने के लिए राज्य सरकारों के पास ही इसका अधिकार दिया है। रजिस्ट्रार को भी बहुत सारे अधिकार इस कानून के अंतर्गत दिए हैं। Under Section 47 of the RBI Act, even RBI can inspect chit books and records of any chit fund. Apart from this, hon. Speaker Sir, under Section 73, RBI can advise any State Government on any policy, either on its own or if requested by the State Government. यह जो कहा गया था कि आरबीआई के पास कुछ अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि आरबीआई के पास इन नियमों के अंतर्गत अधिकार है। वहां पर वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। Under Section 87, the State Government can exempt any chit fund from the Act but only with the consultation of the RBI. सुप्रिया जी कह रही थी कि आरबीआई के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई के पास बहुत कुछ है।

इसके अलावा, एक सवाल खड़ा किया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। It already exists. स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटीज हैं। माननीय अध्यक्ष जी, चीफ सेक्रेटरी इसको चेयर करता है। वह राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी है। इस कमेटी में सेबी, आरबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, सीबीआई, पुलिस, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अधिकारी हैं। मुझे लगता है कि जो फ्रॉड से रिलेटेड या बाकी रेगुलेटर हैं, वे सभी इसमें शामिल हैं। राज्य में चीफ सेक्रेटरी है और जहां से उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसमें उनका हिस्सा है। वहां हर तीन महीने में एक बार कमेटी मिलती है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी के मन में कोई शंका रहनी चाहिए। इनके पास पर्याप्त शक्तियां भी हैं। इनके पास हर तीन महीने में मिलने का नियम भी बना हुआ है और उसमें न्याय दिलाने के लिए उचित लोग भी हैं। They talked about protection of interests of subscribers. इसके बारे में मैं अपनी तरफ से दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। अभी महताब जी नहीं है। Chapter 5 of the Act provides detailed provision to safeguard interests of subscribers so that the subscribers who have won in any particular round continue to pay in the future rounds. Chapter 3 lays down the rights and duties of the foreman, including the provision of security to safeguard all subscribers. Chapter 4 has the provision of action against defaulting subscribers, such as their removal and substitution to safeguard the interests of other subscribers.

इसके अलावा, आरबीआई ने 'सचेत' नाम से एक पोर्टल लांच किया है, जिस पर इसकी जानकारी भी है। अगर आपको याद होगा, तो बैनिंग ऑफ अन रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में हमने यह भी प्रावधान किया था कि इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से योजना चलाने वाले लोगों का एक डेटा बैंक बने और उनके पोर्टल पर वह उपलब्ध हो, ताकि देश भर में उसकी जानकारी मिल सके। उसमें भी सजा का प्रावधान किया गया था और यहां भी सजा का प्रावधान है।

(1735/CP/SRG)

सजा का प्रावधान इसलिए किया गया है कि गरीब आदमी का पैसा लेकर कोई न भागे। अगर सदन को लगता है कि सजा होनी चाहिए, तो उसका प्रावधान इस कानून में किया गया है, ताकि भविष्य में उस बात का ध्यान रखा जा सके।

अधीर रंजन जी ने कहा कि whether consumer grievances relating to chit funds can be considered by consumer forums. The consumer complaints are covered under the Consumer Protection Act. आपने दो-तीन हाई कोर्ट्स और कंज्यूमर कोर्ट्स का भी उदाहरण यहां पर दिया। It is decided by the judiciary as to whether any consumer grievance or complaint is covered under the Consumer Protection Act. इसलिए शायद कहीं न कहीं यह और यह एक केस में ही नहीं, बहुत सारों में दिक्कत आती है। आपका यह विषय उठाना बड़ा वाजिब है, मैं आपसे इसमें कुछ हद तक सहमत भी हूँ। आपने कहा कि name of the foreman should be changed. इस पर बड़ी डिटेल् में चर्चा कमेटी में भी हुई, उससे पहले जो एडवाजरी ग्रुप रखा गया, कुछ सांसदों ने और भी कहा, तो मुझे लगता है कि इसकी रिस्पॉसिबिलिटीज भी, इसका नाम भी इसमें बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया है। उसको लिअन करने तक के सारे प्रावधान किए गए हैं। यह इंडिविजुअल और कंपनी में कहीं पर भी हो सकता है। मुझे लगता है कि इसकी डेफिनिशन बहुत क्लियर है और अब इसके ऊपर ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

अमर सिंह जी ने कहा कि people should get access to formal financial system and insurance. मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। कहीं न कहीं जब हम सब लोग यह बात उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें पिछले कुछ वर्षों पर भी नजर उठाकर देखना चाहिए कि हम कहां पर थे, कहां पहुंच पाए हैं। आज से कुछ साल पहले तक बहुत सारे बैंक खाते नहीं थे। बहुत सारे मीन्स, 37 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते नहीं थे। मैं आपको उसकी एग्जैक्ट फिगर पढ़कर बताना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री जन-धन योजना में 37 करोड़ 30 लाख बैंक खाते 16 अक्टूबर, 2019 तक खुले। आप कल्पना कीजिए कि जिन गरीबों के पिछले 70 वर्षों में खाते नहीं खुले थे, 15 अगस्त, 2014 को माननीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हर गरीब को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे, बैंक का खाता खोलेंगे। हमने जब कहा, तो बहुत मजाक भी उड़ाया गया कि कौन पैसा जमा कराएगा, जीरो फ्रिल अकाउंट में कौन खाता खुलवायेगा? माननीय अध्यक्ष जी, केवल खाते नहीं खुले हैं, इनमें 1,05,523 करोड़ रुपये देश के गरीबों ने जमा करके देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है।

प्लास्टिक कार्ड्स या प्लास्टिक मनी की बात कही गई। मैं कहूंगा कि दुनिया कॉइन से प्लास्टिक कार्ड पर या प्लास्टिक करेंसी पर गई। India has moved first from coin to paper currency and from paper currency to digital payments and we should be proud of the fact that under UPI platform, last month, we had more than one billion transactions; I repeat one billion transactions. यूपीआई कुछ वर्ष पहले हमने शुरू किया। 1 बिलियन ट्रांजैक्शन्स उसमें हो जाएं, यह बहुत बड़ी बात है। देश के गरीब ने, आम नागरिक ने और गांव में रहने वाले, सभी ने उसको माना है। रुपये डेबिट कार्ड शुरू किया गया। गरीब एटीएम तक जाने की कहां सोचता था? हमने उनको ताकत दी है। लगभग 28 करोड़ लोगों के पास रुपये डेबिट कार्ड देश के अंदर भी हैं और अब तो सिंगापुर, यूएई और बाकी देशों में भी भारतीय करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी जो मुहिम चलाई गई है, मैं माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री जी को उसके लिए बहुत-बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं।

आप मास्टर कार्ड, वीजा या एसबीआई कार्ड की वैल्युएशन देख लीजिए, कहां पर है। आज उनकी वैल्युएशन जहां पर है, कल को अगर रुपये डेबिट कार्ड की वैल्युएशन मार्केट में की जाए, तो मुझे लगता है कि अपने आप में इतना बड़ा प्लेटफार्म बन जाएगा कि हजारों करोड़ रुपये की वैल्युएशन हमारे रुपये डेबिट कार्ड की हो सकती है।

(1740/NK/RP)

हमने फाइनेन्शियल इन्कलूजन के स्तर पर प्रयास किए हैं। मैं आपसे सहमत हूं कि इसमें जितने सुधार की जरूरत होगी, उसके लिए हम और भी प्रयास करेंगे। सुप्रिया जी ने कहा कि बैंक में एनपीए बहुत बढ़ गया है।

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब का आर्टिकल पढ़िए, बिल पढ़ कर नहीं आई, लेकिन डॉक्टर साहब के आर्टिकल पर सब कुछ बोला। मुझे कुछ न कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं बिना नाम लिए बोल देता हूं क्योंकि बिल पर कुछ नहीं था, अर्थव्यवस्था पर था। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। एनपीए किसके दिए हुए हैं। ... (व्यवधान) वे वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनका नाम लेकर बोला जाए।

जब हमारी सरकार आई, मैं उस समय पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य था। उस समय रघुराम राजन जी ने आकर कहा था कि यह एनपीए का लोन उस समय का है जब यूपीए सरकार थी। ये लोन उसी समय दिए गए और बाद में एनपीए हुए। उस समय इसे कारपेट के नीचे दबाया गया था। हमने कुछ भी नहीं छिपाया, हमने देश को बताया कि एक्चुअल में एनपीए है और वह देश की जनता के सामने आया। हमने एसेट क्वालिटी रिव्यू कराने का प्रयास किया। हम लोग फोर-आर स्ट्रेटजी पॉलिसी लेकर आए, जिसमें रिकग्निशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्मस है। हमने इसके माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। हमने कुछ छिपाया नहीं। जो दस पीएसबी थे, अब उनकी चार एंटीटी रह जाएगी। हमने उनकी क्षमता बढ़ाने का काम किया है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा कर्ज दे सकें। वे पीसीएफ फ्रेमवर्क से बाहर आए तो हमारी सरकार के

कारण आए। हमने उनको रिकैपिटलाइजेशन करने काम किया, उसमें लाखों-करोड़ रुपये हमारी सरकार ने डाले हैं।

उस समय कहा गया कि आपने इन्सोलवेंसी और बैंकरप्सी कोड लाकर कौन सा बड़ा तीर मार लिया। इससे क्या हो गया? हमने बड़ा तीर मारा है। हममें हिम्मत थी तो हम कानून भी लेकर आए और उस कानून के डर और प्रावधान से लगभग चार करोड़ चौरासी लाख रुपये इस देश में वापस आया है, उसके माध्यम या उसके डर या उसके प्रावधानों से आया है। उससे डेटर-क्रेडिटर रिलेशनशिप बेहतर हुई है। कुछ एनसीएलटी आने से पहले सोल्व हो गई और कुछ एनसीएलटी आने के बाद हुए। भूषण स्टील अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। शायद पहले चार-पांच वर्ष लगते और पैसा वापस नहीं आ पाता। इस कानून बनने के बाद वह समय आधा से भी कम रह गए और हजारों करोड़ रुपये वापस आने शुरू हुए हैं। हमने कानून बनाया और उसे लागू किया। फिज्यूटिव इकोनॉमिक आफेंडर्स बिल की बात आई, आपने पैसा दिया और वे भाग गए। उन्हें वापस लाने के लिए हमने कानून बनाया और विदेशों में रहने वाले को जेल भी कराई और कई लोगों को वापस लाने के लिए प्रक्रिया भी शुरू की है। हमने किया है इसीलिए बोलते हैं। जहां तक फाइनेन्शियल लिटरेसी की बात कही गई, इस देश में फाइनेन्शियल लिटरेसी पर कोई काम ही नहीं हुआ, यह कहा गया।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कम से कम पांच मिनट लेना चाहूंगा। यहां 1483 फाइनेन्शियल लिटरेसी सेंटर्स हैं। यह आंकड़ा 31 मार्च, 2019 तक का है। अप्रैल, 2018 से लेकर मार्च, 2019 तक इन फाइनेन्शियल लिटरेसी के 52,084 स्पेशल कैम्प लगाए जिसमें 93,343 स्पेसिफिक कैम्प लगाए गए। रूरल ब्रांच में 3,05,672 कैम्प लगाए गए और पिछले साल 2,64,120 कैम्प लगाए गए। इसके अलावा अलग से फाइनेन्शियल इनक्लूजन फंड बनाया गया है। हमने फाइनेन्शियल एंड डिजिटल लिटरेसी कैम्प भी शुरू किए। हमने आरआरबी और आरसीबी को फंडिंग सपोर्ट दी है, वह छह हजार रुपये प्रति कैम्प देते हैं। 330 स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स में पांच हजार कैम्प लगाए हैं। स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट में डेमो वैन के लिए भी देते हैं।

(1745/SK/RCP)

इससे और जानकारी मिल सके, फाइनेन्शियल लिटरेसी स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स में हो सके। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड स्कीम 7 सितंबर, 2016 को बनाई गई थी। इसका काम एडमिनिस्टर, एजुकेशन और प्रोटेक्शन करना और जानकारी देना था। आईईपीएफ ने एमओयू कॉमन सर्विस सेंटर्स, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज से किया है, जो मिनिस्ट्री आफ इलैक्ट्रॉनिक्स इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएंगे ताकि भविष्य में और सेंसटाइजेशन हो और जानकारियां मिलें। वर्ष 2018-19 में 27,639 इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कराए गए। सीएसई ई-गवर्नेंस मैकेनिज्म प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स से करवाया गया। इस वर्ष और आने वाले वर्षों में हम 15,000 से ज्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें लगभग 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सीएसई के थ्रू प्रोग्राम किए जाएंगे।

नेहरू युवा केन्द्र, जो केवल एक संस्था है, जिसमें बहुत कम कार्य किए जाते हैं, हमने उसे इसमें जोड़ने का काम किया है। हम इसे कस्टमाइज्ड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से



कंडक्ट करेंगे। इसमें आफिशियल्स और वालेंटियर्स को जानकारी देंगे ताकि लाखों लोगों को वे जानकारी दे सकें।

हम इन्वेस्टर एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम ग्रामीण भारत में एडवांस स्टेज पर चलाने की बात इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से कर रहे हैं। पोस्ट बैंक ने देश भर में लगभग 650 ब्रांचेज माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर खोली हैं। इसके माध्यम से 3219 प्रोग्राम्स किए जाएंगे। 20,000 गांवों को इसके साथ जोड़ा जाएगा और 3 लाख 21 हजार 9 सौ भारत के नागरिकों को इसके माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इतने कार्यक्रम फाइनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से शुरू किए गए हैं। इसके अलावा भी लंबी सूची है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आगे चलूं।

मैंने आईबीसी और एपेक्स कोर्ट की बात कही है, जनधन योजना का विषय भी रखा है। यह भी कहा गया कि कलैक्शन कम हुई क्योंकि लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स कलैक्शन वर्ष 2013-14 में 6 लाख 39 हजार करोड़ था जो पिछले साल बढ़ गया, इसमें डिमोनेटाइजेशन एक बड़ा कारण है। हमारी सरकार ने बड़ा कदम उठाया था।

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** यह तो बजट के रिप्लाय की तरह हो रहा है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL):

You raised the issue. That is why he is replying.

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें किसी पर भी उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हूँ, हम सहमति से इस बिल को पास कर सकते हैं। लेकिन किसी माननीय सदस्य ने विषय उठाया है, मैं जितनी जानकारी दे सकता हूँ, उतनी देने का प्रयास कर रहा हूँ। हम में दम था, हमने डिमोनेटाइजेशन का कदम उठाया, इसलिए 6 लाख 35 हजार करोड़ से बढ़कर 11 लाख 38 हजार करोड़ रुपये की कलैक्शन हुई है, लगभग दुगनी कलैक्शन हुई। इनकम टैक्स देने वाले भी लगभग दुगने हुए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसी को सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने देखा कि अनरैगुलेटेड डिपोजिट, पॉजी स्कीम्स को चिट फंड के साथ मिश्रण किया गया था। किसी ने 'नासमझ' शब्द का प्रयोग किया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, जानकारी के अभाव में ऐसा कई बार होता था, मुझ से भी होता था, सबसे होता है। मैं शायद इस विभाग का मंत्री हूँ तो मेरे पास ज्यादा जानकारी है, जानकारी सब तक पहुंचे, देश तक पहुंचे। हम देश को पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाना चाहते हैं और वर्ष 2025 तक बनाकर छोड़ेंगे, मैं यह कहना चाहता हूँ।

अर्थव्यस्था पर अधिकतर सवाल थे, मैं उस पर नोट बनाकर लाया हूँ।

(1750/MK/SMN)

अगर आप कहते तो मैं एक-एक करके सब पर कार्रवाई कर सकता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू को उठाया गया है। पर्ल कंपनी की बात भी कही गई। जहां पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी

होगी, एक कंपनी चाहे एक राज्य में है, दूसरे में है या तीसरे में है, मुझे लगता है कि यह समय-सीमा तो उनको भी तय करनी चाहिए। अगर सदन को लगता है कि निर्धारित समय के अंतर्गत है तो मैं इसको सुप्रीम कोर्ट पर थोप नहीं सकता। लेकिन, जो कमेटीज बनती हैं, हमने कई वर्षों तक देखा है कि कोई एक वर्ष के लिए बनती है और दस वर्ष तक वह अपना काम करती रहती है। निर्धारित समय के अंदर उस पर काम हो, गरीबों को पैसा मिले, मैं आप सबकी इस भावना को समझता हूँ। इस सदन के माध्यम से वह भावना मीडिया भी जन-जन तक पहुंचा सकती है, जहां तक पहुंचे। लेकिन हमारी सरकार कानून में जो भी बदलाव करना होगा, वह करेगी, आप सबके सहयोग से करेगी, ताकि भविष्य में किसी गरीब का पैसा न लुटे। फाइनेंशिएल लिट्रेसी प्रोग्राम्स भी होंगे। कानून की पूरी ताकत भी उनको दी जाएगी और जानकारी भी जन-जन तक पहुंचे ऐसा प्रावधान किया जाएगा। मेरा आप सब से भी अनुरोध है कि आप भी जब कोई कार्यक्रम करें तो वहां पर लोगों में जानकारी अवश्य पहुंचाएं कि पॉजी स्कीम में और लीगल चिट फंड में क्या अंतर है। यह जो रेगुलेटेड डिपॉजिट हैं, जो 9 संस्थाओं के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, वे जेनुइन कैसे हैं, लीगल कैसे हैं और इल्लिगल क्या है, इसको यदि आप भी जन-जन तक पहुंचाएंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप सोशल मीडिया व मीडिया पर जनता को बताएं। मैं भी अपनी ओर से प्रयास करूंगा कि भविष्य में जब ये फाइनेंशिएल लिट्रेसी प्रोग्राम किए जाएं तो जहां संभव हो सके वहां पर सांसदों को भी बुलाना चाहिए ताकि सांसदों की भागीदारी भी वहां पर हो और जन-जन तक इसकी जानकारी पहुंच सके। मैं किसी राज्य के बारे में विशेष तौर पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे कोई जितना मर्जी कहे कि किसी एक राज्य के बारे में कहें, किसी एक स्कीम के बारे में कहें, आज मैं देश के गरीबों के हित के लिए यहां पर खड़ा हूँ। मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हमारी सरकार की प्राथमिकता गरीब के हित के संरक्षण के लिए है और यह बिल भी उसी के लिए लाया गया है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि राजनीति से ऊपर उठकर हम गरीब के हित के लिए इस बिल को पास करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा न हो। आप सड़क पर जाकर जो करना है करिए, लेकिन सदन ने हमें कानून बनाने की क्षमता या ताकत दी है। हम यहां पर कानून बनाएंगे क्योंकि बाकी दलों ने भी राजनीति से ऊपर उठकर यहां पर अपने सुझाव दिए हैं, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि इन्होंने राजनीति से उठकर इस बिल का समर्थन किया है।

(इति)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** मंत्री जी ने इतना अच्छा जवाब दिया है, इनको कम्प्लीमेंट दे दीजिए।

**DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH):** Sir, the Minister has given an excellent reply. I thank him for that. But I am very sad that the issue of GST has neither been confirmed nor denied. He has said that it has to be discussed. ...*(Interruptions)* Let me finish my question. It is only a small suggestion. You were saying that the insurance part of it has to be borne by the individuals. When you are collecting GST, why should the Central Government not look into this? ...*(Interruptions)*

**माननीय अध्यक्ष:** यह जीएसटी का विषय नहीं है, चिट फंड का विषय है।

**DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH):** Why should the Central Government not insure all these registered chit funds? If there is any default by anybody, then the insurance will be there. It is paid by the Central Government through the GST which it has collected.

**SHRI ANURAG SINGH THAKUR:** Mr. Speaker, Sir, I think when I started my reply, I particularly mentioned the hon. Member's name and replied accordingly that this issue relates not to the Bill but it is concerned with the GST Council. It will be looked them.

Apart from that, about the insurance, we said the size may vary from one chit to another chit. So, let us leave it to the subscriber whether they want it to get it insured or not insured because the cost has to be borne by the subscriber and the chit fund.

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि चिट फंड अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

(1755/ASA/MMN)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

#### **खंड 4**

**माननीय अध्यक्ष :** श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन , क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Sir, I have raised a very serious apprehension, at the time of my intervention, that how this will affect the poor marginalised sections of the society because Self-Help Groups, Kudumbashree Groups and Samata Groups are all having these Fraternity Funds as well as Rotating Savings and Credit Institution. You are incorporating two words, that is,

'Fraternity Fund' and 'Rotating Savings and Credit Institution'. This will come within the purview of the definition of section 2, clause (b). When this is being incorporated, what would be the impact as far as the poor people who are doing some rural works are concerned? It is because if one group having 10 persons is contributing Rs.30,000, it will be Rs.3 lakh and they are doing credit and saving. Everything is there in the scheme. What would be its impact? That is why, I have given a notice of amendment to remove Fraternity Fund, 'kuri' as well as Rotating Savings and Credit Institution. They have to be omitted from the definition of section 2, clause (b). No clarification has been given by the hon. Minister. Hence, I am moving the amendment.

I am moving Amendment No. 1 to Clause 4.

I beg to move:

Page 2, lines 24 and 25,--

*omit* ' , "kuri", "fraternity fund" or "Rotating Savings and Credit Institution" " .

(1)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am moving Amendment No.2 to Clause 4.

I beg to move:

Page 2, line 36,--

*for* "one year"

*substitute* "six months".

(2)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो संशोधन दिया है और जो प्रेमचन्द्रन जी ने दिया है, वह एक ही है। मेरी बात सुनिये।

**माननीय अध्यक्ष :** आपको 6 और 7 पर बोलना है।

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** सर, मेरा संशोधन यह है कि इसे ओमित किया जाए क्योंकि केवल as it is बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। चिट फंड क्या है, पौजी स्कीम क्या है, ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप यह बताएं।

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रेमचन्द्रन जी ने भी यह सवाल उठाया है। लेकिन मंत्री ने अच्छा जवाब दिया है, इसलिए मैं मूव नहीं कर रहा हूँ।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“ कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

### खंड 5

**माननीय अध्यक्ष :** श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?  
SHRI N.K.PREMACHANDRAN (KOLLAM) : I am moving Amendment No. 3 to Clause 5.

I beg to move:

Page 2, lines 43 and 44,--

for “rupees three lakhs”

substitute “rupees two lakhs”.

(3)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, my amendment is, Page 2, line 32, for “one year” substitute “six months”. It is a minor amendment. अभी जो बोला है कि एक साल के अंदर उसको भर्ती करना चाहिए। हमारा यह कहना है कि 6 महीने के अंदर करिए। But I am not moving my amendment.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I am moving Amendment No.14 to Clause 5. I beg to move:

Page 2, lines 38 and 39,--

for "rupees three lakhs"

substitute "rupees four lakhs".

(14)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री के.सुरेश द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

(1800/RAJ/VR)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि खंड 5 विधेयक का अंग बनो”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

### खंड 6

**माननीय अध्यक्ष :** क्या प्रो. सौगत राय जी, में संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** सर, यहां पर बोला गया कि चिट फंड की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कोई हाजिर हो सकता है। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के खिलाफ हूँ... (व्यवधान)

सर, अमेंडमेंट मूव करने दीजिए।

**माननीय अध्यक्ष :** दादा, अमेंडमेंट मूव होता है या मूव नहीं होता है।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am moving my amendment No.10 to Clause 6 of the Bill.

I beg to move:

Page 3, line 2, --

omit 'or through video conferencing duly recorded by the foreman'.

(10)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बनो”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अगर आपकी इजाजत हो तो इस बिल के पारित होने के आधा घंटे बाद तक, 6.30 बजे तक सदन का समय बढ़ा दें।

**अनेक माननीय सदस्य :** हां।

**माननीय अध्यक्ष :** बिल पास भी होगा और शून्य काल भी चलेगा।

सदन का समय 6.30 बजे तक बढ़ाया जाता है।

### खंड 7

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 11, 12 और 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am moving my amendment Nos. 11 to 13 to clause 7 of the Bill.

I beg to move:

Page 3, line 6, --

*omit* ‘or through video conferencing’. (11)

Page 3, line 9, --

*omit* “through video conferencing”. (12)

Page 3, lines 10 and 11, --

*for* “within a period of two days of the date of the draw”

*substitute* “on the same day”. (13)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11, 12 और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कोडिकुन्निल सुरेश जी, क्या आप संशोधन संख्या 15 और 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am moving my amendment Nos. 15 and 16 to clause 7 of the Bill.

I beg to move:

Page 3, *omit* lines 5 and 6. (15)

Page 3, line 9, --

for "through video conferencing"

*substitute* "in person". (16)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 और 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

### खंड 8

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving my amendment No.4 to clause 8 of the Bill.

I beg to move:

Page 3, line 13, --

for "seven per cent."

*substitute* "six per cent.". (4)

Sir, regarding the submission on the foreman, the ceiling amount of the chit fund is being enhanced. As the ceiling limit will enhance, automatically the foreman's commission will also increase. Why is five per cent being increased to seven percent? It is the subscribers who will have to suffer. So, I am making an amendment for just a marginal increase from five per cent to six per cent. This is my amendment. It may kindly be accepted.



**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कोडिकुन्निल सुरेश जी, क्या आप संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am moving my amendment No. 17 to clause 8 of the Bill.

I beg to move:

Page 3, line 13, --

for "seven per cent."

substitute "eight per cent". (17)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश जी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

“खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।”

(1805/SAN/VB)

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I beg to move:-

“That the Bill be passed.”

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

**(FOR REST OF THE PROCEEDINGS,  
PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)**